मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

अध्ययन प्रतिवेदन

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्था)

Scanned with CamScanner

अध्ययन–दल

अध्ययन

श्रीमती ऋचा मिश्रा, सलाहकार (CSSD)

मार्गदर्शन

श्री अखिलेश अर्गल, संचालक

श्री मदनमोहन उपाध्याय, प्रमुख सलाहकार (CSSD)

विशेष मार्गदर्शन

श्री पद्मवीर सिंह, महानिदेशक

सहयोग

कु. सृष्टि साहू, रिसर्च एसोसिएट (डाटा विश्लेषण)

श्री रविन्द्र चौहान, सहायक

अनुक्रमणिका

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	i
अध्ययन सारांश	ii-viii
अध्याय एक: पृष्ठभूमि	1–4
1.0 सामान्य	1
1.1 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम– एक परिचय	2
1.2 मूल्यांकन की आवश्यकता	4
अध्याय दो: अध्ययन की कार्यविधि	5–11
2.0 विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा एवं समन्वय	5
2.1 मूल्यांकन के उद्देश्य	5
2.2 अध्ययन की रूपरेखा एवं निदर्शन 2.2.1 अध्ययन हेतु जिलों एवं विकासखंडों का चयन 2.2.2 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों का चयन 2.2.3 जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का चयन	6
2.3 मूल्यांकन विधि	8
2.4 आँकड़ों का संग्रहण एवं प्रतिवेदन लेखन	10
2.5 निष्कर्ष एवं सुझाव	10
2.6 अध्ययन की सीमायें (Limitations of Study)	10
अध्याय तीन: आँकड़ों का विश्लेषण	12–48
3.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति (Profile of Repondents)	12
3.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं शैक्षिक प्रस्थिति 3.1.1 (अ) ग्रामवासियों की लिंगवार जानकारी 3.1.1 (ब) ग्रामवासियों की जातिवार स्थिति 3.1.1 (स) ग्रामवासियो का आयुवार वर्गीकरण 3.1.2 मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के बारे मे ग्रामवासियों एवं परिषद् पदाधिकारियों की जानकारी 3.1.3 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की लिंगवार जानकारी 3.1.4 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की जातिवार जानकारी 3.1.5 मेन्टर्स एव विद्यार्थियो की आयुवार जानकारी 3.1.6 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति	12–17
3.2 मेन्टर्स चुने जाने हेतु अपनाई चयन प्रकिया संबंधी जानकारी 3.2.1 (अ) मेन्टर्स किसके द्वारा चुना गया 3.2.1 (ब) मेन्टर्स की चयन प्रकिया	18–19

3.2.1(स) विज्ञापन उपरान्त चयन हेतु अपनाई प्रकिया एवं मेन्टर्स का अनुभव	
3.3 मेन्टर्स के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी 3.3.1 प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति 3.3.2 प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण स्थल संबंधी जानकारी (बहुविकल्पीय) 3.3.3 मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता (बहुविकल्पीय) 3.3.4 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता	20–24
3.4 मेन्टर्स कार्य के मूल्यांकन, मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने एवं गतिविधि कराने संबंधी जानकारी 3.4.1 मेन्टर के कार्य के मूल्यांकन की जानकारी 3.4.2 मेन्टर द्वारा पढ़ाने / गतिविधि कराने के तरीके (अ) कक्षा में पढ़ाने के तरीके (बहुविकल्पीय) (ब) फील्ड कार्य हेतु ग्राम चयन के तरीके (स) फील्ड कार्य हेतु गतिविधियाँ चयन एवं कराने के तरीके (द) विद्यार्थियों के मूल्यांकन के तरीके 3.4.3 मेन्टर द्वारा विद्यार्थियो की उपस्थिति एवं कक्षा में सक्रिय सहभागिता के बारे में अभिमत	25–29
3.5 मेन्टर्स को आने वाले समस्याए एवं मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव 3.5.1 मेन्टर कार्य में आने वाली समस्याएं 3.5.2 मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव	30–31
3.6 विद्यार्थियों के बारे में महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर विस्तृत जानकारी 3.6.1 (अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण 3.6.1 (ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति 3.6.1 (स) विद्यार्थियों द्वारा अटैण्ड की गई कक्षाओं की संख्या 3.6.2 उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता	32–33
3.7 पाठ्यक्रम एवं अध्ययन केन्द्र के बारे में जानकारी 3.7.1 पाठ्यक्रम के विषयों के बारे में विद्यार्थियों की जानकारी का स्तर 3.7.2 संपर्क कक्षाओं में पढाए जाने का तरीका (बहुविकल्पीय) 3.7.3 सबसे अधिक पसंद का विषय 3.7.4 परामर्शदाताओं द्वारा दिये गये मार्गदर्शन का आंकलन 3.7.5 अध्ययन केन्द्र मे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं उनके स्तर के बारे में जानकारी 3.7.6 विद्यार्थियों के सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति	34–39
3.8 विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र कार्य के बारे में जानकारी 3.8.1 विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति 3.8.2 क्षेत्र कार्य किस प्रकार एवं किन विषयों पर किया गया 3.8.3 विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति 3.8.4 क्षेत्र कार्य करने की उपयोगिता एव इसारो विद्यार्थियों को होने वाले	39–44

अनुभव 3.8.5 पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं इसके कारण 3.8.6 कोर्स को आगे तक जारी रखने की स्थिति 3.8.7 संपर्क कक्षाओं के दिन एवं समय के संबंध में अभिमत	
3.9 अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार/सुधार हेतु सुझाव की जानकारी 3.9.1 अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की स्थिति हेतु सुझाव	45
3.10 पाठ्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अभिमत 3.10.1 अध्ययनित कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) 3.10.2 पाठ्यक्रम संचालन के बारे में जानकारी 3.10.3 पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत	46–48
अध्याय चार : निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	49–75
4.1 निष्कर्ष	49–67
4.1.1 पाठ्यक्रम के संबंध में ग्रामवासियों में जानकारी का स्तर	49
4.1.2 उत्तरदाताओं की लिंगवार, जातिवार, आयुवार एवं शैक्षिक जानकारी	49
4.1.3 मेन्टर्स चुने जाने हेतु अपनाई चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी	50
4.1.4 मेन्टर्स के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी (अ) प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति (ब) प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता संबंधी (स)मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता (बहुविकल्पीय) (द)पाठ्यक्रम संचालित करने हतु उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता	51–52
4.1.5 मेन्टर्स के कार्य के मूल्यांकन, उनके द्वारा पढ़ाने एव गतिविधि कराने संबंधी जानकारी (अ) मेन्टर्स के कार्य का मूल्यांकन (ब) मेन्टर द्वारा पढ़ाने, गतिविधि कराने एवं मूल्यांकन के तरीके	53
4.1.6 विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता के बारे मे मेन्टर का अभिमत	54
4.1.7 मेन्टर्स को आने वाले समस्याएं एवं मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव (अ) मेन्टर कार्य में आने वाली समस्याए (ब) मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव	55
4.1.8 विद्यार्थियों के बारे में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी (अ) विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्रवेश का कारण एव उनकी वर्तमान प्रस्थिति (ब) विद्यार्थियों द्वारा अटैण्ड की गई कक्षाओं की संख्या (स) उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता	55
4.1.9 पाठ्यक्रम एवं अध्ययन केन्द्र के बारे में जानकारी (अ) पाठ्यक्रम के विषयों के बारे में विद्यार्थियो की जानकारी का स्तर	57

(ब) संपर्क कक्षाओं में पढ़ाए जाने का तरीका (बहुविकल्पीय) (स) सबसे अधिक पसंद का विषय (द) मेन्टर्स द्वारा दिये गये मार्गदर्शन का आंकलन	
4.1.10 अध्ययन केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का आंकलन एवं सुझाव (अ) अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन (ब) अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव (स)विद्यार्थियों के सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति	58
4.1.11 विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र कार्य के बारे में जानकारी (अ) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति (ब) क्षेत्र कार्य किस प्रकार एवं किन विषयों पर किया गया (स) विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति (द) क्षेत्र कार्य करने की उपयोगिता एवं इससे विद्यार्थियों को होने वाले अनुभव	60
4.1.12 पाठ्यक्रम की उपयोगिता, इसके कारण एवं कोर्स निरंतर रखे जाने की स्थिति (अ) पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं इसके कारण (ब) कोर्स को आगे तक जारी रखने की स्थिति	61
4.1.13 पाठ्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अभिमत (अ) अध्ययनित कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) (ब) पाठ्यक्रम संचालन के बारे में जानकारी (स) पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत	62
4.1.13.1 जन अभियान परिषद् से प्राप्त जानकारी अनुसार	63–67
4.2 अनुशंसाएं	68–75
4.2.1 ग्रामवासियों में जागरूकता	68
4.2.2 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों का लिंगानुपात एवं शैक्षिक स्तर	68
4.2.3 मेन्टर्स चुने जाने की प्रक्रिया	69
4.2.4 मेन्टर्स का प्रशिक्षण (अ) प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति (ब) प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता संबंधी (स) मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता (बहुविकल्पीय) (द) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता	69
4.2.5 मेन्टर्स के कार्य के मूल्यांकन एवं मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन (अ) मेन्टर्स के कार्य का मूल्यांकन	71

	(ब) विद्यार्थियों द्वारा मेन्टर्स के मार्गदर्शन का मूल्यांकन (स) मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों का मूल्याकन (द) मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता का मूल्यांकन	
4.2.6	मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का तरीका एव क्षेत्र कार्य (अ) मेन्टर द्वारा पढाने के तरीके (ब) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति (स) विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति	72
4.2.7	अध्ययन केन्द्र पर सुविधाए विद्यार्थियों के बारे में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी (अ) अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओ (ब) अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव	74
4.2.8	पाठ्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अभिमत (अ) पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत	75–76
अध्याय पॉच : परिशिष्ट		77–120
तालिका: 5.1.1	(अ) ग्रामवासियों की लिंगवार स्थिती	77
तालिका: 5.1.1	(ब) ग्रामवासियों की जातिवार स्थिति	78
तालिका: 5.1.1	(स) ग्रामवासियों का आयुवार वर्गीकरण	79
तालिका: 5.1.2	(अ) ग्रामवासियों की जानकारी का स्तर	80
तालिका: 5.1.2	(ब) परिषद पदाधिकारियों की जानकारी का स्तर	81
तालिका: 5.1.3	(अ) मेन्टर्स की लिंगवार स्थिती	82
तालिका: 5.1.3	(ब) विद्यार्थियों की लिंगवार स्थिती	83
तालिका: 5.1.4	(अ) मेंटर्स की जातिवार स्थिति	84
तालिका: 5.1.4	(ब) विद्यार्थियो की जातिवार स्थिति	85
तालिका: 5.1.5	(अ) मेंटर्स की आयु स्थिति	86
तालिका: 5.1.5	(ब) विद्यार्थियो की आयु स्थिति	87
तालिका: 5.1.6	(अ) मेंटर की शैक्षिक स्थिति	88
तालिका: 5.1.6	(ब) विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति	89
तालिका: 5.2.1	(अ) किसके द्वारा चुना गया	90
तालिका: 5.2.1(ब)	(अ) मेन्टर्स के अनुसार चयन प्रकिया	91
तालिका: 5.2.1(ब)	(अ) विज्ञापन उपरान्त अपनाई प्रकिया	92
तालिका: 5.2.1	(ब) मेन्टर्स के अनुभव क्षेत्र	93
तालिका: 5.3.1	(अ) प्रशिक्षण अवधि (दिनों में)	94
तालिका: 5.3.2	(ब) प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम	95
तालिका: 5.3.3	मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता	96
तालिका 5.4.1	(अ) मूल्याकन होने की स्थिति	97

तालिका 5.4.1	(ब) मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है (बहुविकल्पीय)	98
तालिका 5.4.2	(अ) मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का तरीका	99
तालिका 5.6.1	(अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण	100
तालिका 5.6.1(ब)	(अ) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति	101
तालिका 5.6.1(स)	(अ) विद्यार्थियों द्वारा अटेण्ड की गई	102
तालिका 5.7.1	मॉड्यूल के नामों की जानकारी	103
तालिका 5.7.2	संपर्क कक्षाओं में पढाए जाने का तरीका	104
तालिका 5.7.4	परामर्शदाताओं का आंकलन	105
तालिका 5.7.5	(1) सेन्टर में बैठने की व्यवस्थाएं	106
तालिका 5.7.5	(2) पीने के पानी की व्यवस्था	107
तालिका 5.7.5	(3) कक्ष में पंखे एवं लाइट की व्यवस्था	108
तालिका 5.7.5	(4) प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर एवं नेटवर्क की स्थिति	109
तालिका 5.7.5	(5) शौचालय एवं उसमें पानी की व्यवस्था	110
तालिका 5.7.5	(6) सेन्टर पर पुस्तकालय की सुविधा है	111
तालिका 5.7.6	सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति	112
तालिका 5.8.1	(अ) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति	113
तालिका 5.8.2	(ब) क्षेत्र कार्य के बारे में संपर्क कक्षाओं में बताये जाने की स्थिति	114
तालिका 5.8.3	(अ) मूल्यांकन किये जाने की स्थिति	115
तालिका 5.8.5	(अ) कोर्स के उपयोगी होने के संबंध में अभिमत	116
तालिका: 5.8.6	(अ) कोर्स में अध्ययन जारी रखें जाने की स्थिति	117
तालिका: 5.8.6	(ब) कोर्स के अध्ययन का मूल्यांकन किये जाने की स्थिति	118
तालिका: 5.8.7	(अ) संपर्क कक्षाओं के बारे में अभिमत	119
तालिका: 5.9.1	(अ) अध्ययन केन्द्र में सुधार की आवश्यकता	120

प्रस्तावना

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना है। इस उद्देश्य के परिपालन में संस्थान के कोर स्टाफ, अनुभवी विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय संस्थानों के चुने हुए इन्टर्न (Intern) द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों के सहयोग से योजनाओं, उनके कियान्वयन एवं परिणाम संबंधी अध्ययन एवं मूल्यांकन विभागों के अनुरोध पर एवं संस्थान के स्वयं के निर्णय अनुसार समय–समय पर किये जाते हैं। ये अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों, जिनमें उत्तरदाताओं के मत, उनकी अपेक्षाओं एवं कियान्वयन से जुड़े अधिकारियों और अन्य से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण एवं द्वितीयक आंकड़ो के विश्लेषण पर आधारित होते हैं।

जन अभियान परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन अंतर्गत 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' के तहत संचालित पाठ्यक्रम का अध्ययन इसी कड़ी मे एक नवीन कड़ी है। इस अध्ययन हेतु जन अभियान परिषद् द्वारा संस्थान से अनुरोध किया गया था.

इस अध्ययन के अंतर्गत मेन्टर्स चयन उनकी गुणवत्ता, संपर्क कक्षाओं के संचालन, विषय–वस्तु, एवं पढ़ाने की विधि, पाठ्यक्रम के बारे में जिला अधिकारियों एवं विद्यार्थियों का फीडबेक, विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र–कार्य के बारे में जानकारी, अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं और उनके उपयोग की स्थिति एवं विद्यार्थियो, मेन्टर्स एवं नोडल ऐजेन्सी को आने वाली समस्याओं संबंधी बिन्दुओं को मूल्यांकन में लिया गया है। हमें आशा है कि प्रस्तुत अध्ययन, उसमें दिये गये निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं परिषद की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए पाठ्यक्रम को भविष्य मे और अधिक प्रभावी एवं समयोपयोगी बनाने के लिए परिषद् का मार्ग प्रशस्त करेगा।

(पद्मवीर सिंह)
महानिदेशक

अध्ययन सारांश

म.प्र. जन अभियान परिषद् म.प्र. सोसायटी एवं पंजीयन अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जो कि वर्ष 1997 से अस्तित्व में आई है। परिषद् का लक्ष्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश में विकास के लिए स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता का वातावरण निर्मित कर समाज की विकास में सहभागिता सुनिश्चित करना है। परिषद् ने विगत कई वर्षों में 'नवांकुर' एवं 'प्रस्फुटन' समितियों के माध्यम से अपने कार्य का विस्तार ग्राम स्तर तक किया है। मैदानी स्तर पर इन कार्यों की स्थिति एवं परिणाम जानने के लिए परिषद् के शासी निकाय एवं कार्यकारिणी सभा की बैठक के निर्णय अनुसार यह मूल्यांकन कार्य संस्थान को सौंपा गया है।

जन अभियान परिषद् द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम' का संचालन सभी विकासखंडों में किया जा रहा है, अतः इसे परिषद् की एक मुख्य गतिविधि मानते हुए इसका मूल्यांकन, अध्ययन के एक पृथक भाग के रूप में किया गया है इस मूल्यांकन अंतर्गत जन अभियान परिषद् द्वारा संचालित स्टडी सेन्टर्स को हो लिया गया है। पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए एक वर्ष पूर्ण हो गया है। इस समयावधि में पाठ्यक्रम संचालन में विद्यार्थियों को, मेन्टर्स को एवं क्रियान्वयन संस्था को किस तरह की कठिनाईयां आ रही हैं, इसके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं, ताकि अध्ययन परिणाम के आधार पर आने वाले वर्षों में उन्हे और अधिक बेहतर बनाया जा सके। इन सभी बिन्दुओं के बारे में जानने हेतु संस्थान द्वारा अध्ययन कार्य किया गया है।

'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के नाम से प्रारंभ यह कार्यक्रम राज्य मंत्री–परिषद् द्वारा 2014 में अनुमोदित किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत 'सामुदायिक नेतृत्व विकास' पर तीन वर्षीय डिग्री कोर्स करने पर समाज कार्य में स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से सबंद्ध है। पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षण माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा एवं तीन वर्ष पूर्ण करने पर समाज कार्य (नेतृत्व विकास) में स्नातक उपाधि प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम की अवधारणा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे स्वप्रेरित लोगों को चिन्हित एवं प्रशिक्षित कर सामाजिक नेतृत्व का सृजन करना है, जो शासकीय कार्यक्रमों को ग्रामवासियों तक पहुँचाने एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सेतु की भूमिका निभाए।

मूल रूप से 'करके सीखो' एवं 'मेरा गाँव मेरी पाठशाला/प्रयोगशाला' के सिद्धान्त

पर आधारित यह पाठ्यक्रम अन्य पाठ्यक्रमों से बिलकुल भिन्न है।

यह पाठ्यक्रम 27 मई 2015 से प्रारंभ हुआ है। परिषद् से चर्चा अनुसार मूल्यांकन अध्ययन निम्न बिन्दुओं पर किया गया.

- सपर्क कक्षाओं का संचालन कार्यक्रम की मंशा के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं?
- मेन्टर्स/विद्यार्थियों के चयन का आधार एवं प्रक्रिया जानना।
- पाठ्यक्रम हेतु चयनित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम मे प्रवेश का आशय/मंशा जानना।
- सपर्क कक्षाओं हेतु चयनित अध्ययन केन्द्रो मे उपलब्ध व्यवस्थाओं और उनके उपयोग की स्थिति का आंकलन करना।
- कक्षाओ के संचालन, पाठ्यक्रम विषय–वस्तु, एवं पढाने की विधि के बारे में विद्यार्थियों का फीडबेक
- विद्यार्थियों, मेन्टर्स एवं नोडल ऐजेन्सी (जन अभियान परिषद) की समस्याओं (यदि आ रही हैं तो) को जानना।

अध्ययन की रूपरेखा एवं सेम्पल साइज– परिषद् के कार्यकारी ढांचे में मान्य 07 संभागों में से प्रत्येक संभाग से दो जिले. इस प्रकार कुल 14 जिलो एवं प्रत्येक अध्ययनित जिले से दो विकासखंड के अध्ययन केन्द्र, कुल 28 अध्ययन केन्द्रो का चयन (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित) उद्देश्यों के अनुरूप रेण्डम एवं उपयुक्त सेम्पलिंग के आधार पर किया गया। उन्हीं स्थानों के 05 नागरिकों, जिनमें उस पंचायत के सरपंच एवं एक पंच को अध्ययन में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया।

'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के बारे में उपलब्धता के आधार पर 03 जिला कलेक्टर एवं 01 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से भी दूरभाष पर (संरचित प्रश्नावली द्वारा) राय ली गई।

चयनित अध्ययन केन्द्र/मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र.	संभाग	चयनित जिले	चयनित विकासखंड	चयनित अध्ययन केन्द्र	मेन्टर (प्रत्येक केन्द्र से दो मेन्टर)	विद्यार्थी–प्रत्येक केन्द्र से 07 विद्यार्थी)	ग्रामवासी
1.	7	14	28	28	(28 X2)=56	(28 X7)=196	755

इस प्रकार 04 तरह के उत्तरदाता – 1 मेन्टर, 2.विद्यार्थी, 3 नागरिक (स्थानीय जन प्रतिनिधि सहित), 4 जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **कुल 1015 उत्तरदाता** अध्ययन मे **शामिल किये गये है।**

मूल्यांकन विधि – अध्ययन मुख्यत. साक्षात्कार अनुसूची/चेकलिस्ट एवं दूरभाष (आंशिक) के माध्यम से किया गया।

निष्कर्ष :

पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य के दौरान साक्षर भारत अभियान एवं समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई अभियान में उल्लेखनीय कार्य किये जाने एवं सहयोग दिये जाने की बात विभिन्न स्त्रोतों से निकलकर सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही मेन्टर्स चयन, मेन्टर्स की गुणवत्ता एव ज्ञान, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण की अवधि, नियमित सशक्त मॉनिटरिंग, मेन्टर्स एव विद्यार्थियों का मूल्यांकन, सौंपा कार्य कराये जाने का तरीका एवं उसका मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध मूलभूत आवश्यक सुविधाओ की गुणवत्ता आदि बिन्दुओं पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता भी निकलकर आई है।

अनुशंसाएं

पाठ्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है। यह जिम्मेदारी परिषद् के मैदानी पदाधिकारियो एव कार्यकर्ताओं की है।

विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा (72%) संख्या 18–30 आयुवर्ग के विद्यार्थियों की संख्या होना सोशल सस्था के लिए अवसर के साथ–साथ बडी चुनौती भी है। यह आयुवर्ग विश्व मे सबसे उत्पादक और उर्जावान आयुवर्ग माना जाता है। यदि संस्था सार्थक तरीके से इन्हें अपने साथ जोड लेती है और इनका मार्गदर्शन करती है, तो ये लोग ग्राम स्तर पर

समाज एवं शासन के लिए फौज की तरह काम करेगें। अन्यथा ये भी वर्तमान के अन्य स्नातकों की तरह रोजगार मांगने वाली एक भीड़ बनकर खड़े हो जाएंगे।

मेन्टर्स एवं अध्ययनित विद्यार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत कम है। पाठ्यक्रम संचालन करने वाली नोडल संस्था को इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढाने हेतु सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

मेन्टर्स हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है, लेकिन अध्ययनित मेन्टर्स में 2% स्नातक भी हैं। ऐसा किन विशेष कारणों से हुआ, यह जानना परिषद् के लिए आवश्यक है।

मेन्टर्स के चयन हेतु अलग–अलग प्रक्रियाऐं सामने आयी हैं। परिषद् द्वारा मेन्टर्स के चयन हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है, तो उसका सभी जगह पालन हो, इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अनु.ज.जा. विकासखंड एवं गैर अनु.ज.जा. विकासखंड में मेन्टर्स की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण देने वाली प्रक्रियाएं अलग–अलग हैं। चूंकि पाठ्यक्रम एक ही है, तो फिर प्रशिक्षण अवधि में भी समरूपता होनी चाहिए। नोडल संस्था को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, कि पूरे पाठ्यक्रम में समरूपता बनी रहे ताकि किसी भी कारण से पढ़ाई की गुणवत्ता का स्तर कम न हो।

कई मेन्टर्स को विषय के नाम एवं विषय अंतर्गत विषय–वस्तु के संबध में स्पष्टता नहीं है, जो कि मेन्टर्स जैसी जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री मे सुधार की बहुत गुंजाईश नजर आती है। विशेष रूप से प्रशिक्षक द्वारा विषय–वस्तु परोसने की कला एवं पाठ्य सामग्री को और अधिक सचित्र बनाने में। अगले चरणों में इस पर कार्य कर इसे प्रभावी बनाय जाने की आवश्यकता है।

सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं होने से मेन्टर्स एव विद्यार्थियों को कठिनाई हुई है। पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

मेन्टर्स के कार्य के मूल्यांकन हेतु पद्धति मे एकरूप मापदंड एवं प्रकिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

मेन्टर्स की गुणवत्ता एवं उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सबंध में परिषद् को गहराई से पता लगाने की आवश्यकता है, कि कितनी कमी मेन्टर्स के स्वयं के मानसिक स्तर की है एवं कितनी कमी प्रशिक्षण में है और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है।

मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकन के तरीकों में सभी जगहों पर एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता है। **श्योपुर में मेन्टर्स द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाना गंभीर मुद्दा है।**

कक्षाओं में विद्यार्थियो की उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता के संबंध में जिम्मेदार पदाधिकारियो को यह पता लगाना आवश्यक है कि वास्तव में समस्या बच्चों की उपस्थिति/सक्रिय सहभागिता की है अथवा मेन्टर्स की गुणवत्ता एवं कौशल की है। इसके लिए सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

कई अध्ययन केन्द्रों मे वास्तविक गतिविधियाँ एवं कार्य कराकर, ई-व्याख्यान एवं दृश्य-श्रव्य सामग्री के उपयोग के साथ पढ़ाने की बात सामने आई है। अन्य अध्ययन केन्द्रों पर भी इस प्रणाली को उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

अध्ययनित कुछ विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य नहीं किये जाने की बात सामने आयी है। इसी तरह कुछ जिलो मे विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य का मूल्यांकन नही होने की बात सामने आई है। **विशेषकर इन जिलो पर परिषद् को ध्यान केन्द्रित करने एवं सघन अधिक मॉनिटरिंग/निरीक्षण की आवश्यकता है।**

विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन में एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता है। इस पाठ्यक्रम में **'मेरा गाँव मेरी पाठशाला/प्रयोगशाला'** के आधार पर फील्ड कार्य कार्य को वास्तविक/व्यावहारिक अनुभव दिये जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय-वस्तु के रूप में जोड़ा गया है। **फील्ड कार्य को प्रभावी बनाये जाने हेतु आवश्यक है कि, विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के तुलनात्मक परिणाम देखे जा सकें कि विद्यार्थी के क्षेत्र कार्य करने के उपरान्त क्या बदलाव हुए हैं, ताकि वास्तविकता एवं कमियां जानकर उन्हें अगले क्षेत्र कार्य में सुधार आ सके।**

अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं में सबसे ज्याद चिंताजनक स्थिति कम्प्यूटर प्रोजेक्टर एवं नेटवर्क की उपलब्धता की एवं पुस्तकालय की अनुपलब्धता की है।

अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु भी इससे संबंधित सुझाव आए हैं। मुख्य रूप से आधुनिक तकनीक से पढ़ाई, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय की व्यवस्था, ई–लेक्चर, पुस्तकें एवं सामग्री समय से उपलब्ध होना, मेन्टर द्वारा अच्छे से समझाया जाना एवं समय से आना जैसे सुझाव प्राप्त हुए है।

जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारियो के अनुसार विभाग को बहुत सशक्त मापदण्ड निर्धारित कर उन पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। ऐसी रणनीति बनानी होगी ताकि अन्य विभाग इन विद्यार्थियों का सार्थक उपयोग कर सकें।

अध्ययन अनुसार मेन्टर्स की गुणवत्ता बढाए जाने की आवश्यकता बताई गई है, जिसमें
उनके चयन का तरीका एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। मेन्टर्स के ज्ञान एवं जानकारी में बहुत सुधार की आवश्यकता निकलकर आयी है।

विभागों के साथ समन्वय कर विभिन्न विभागों की ग्राम स्तरीय समितियों/गतिविधियों में विद्यार्थियों की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सारांश में यह पाठ्यक्रम अन्य पाठ्यक्रमों से बिलकुल भिन्न है, इसकी विषय–वस्तु सामान्य नागरिक के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है एवं आमजन की रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं/आवश्यकताओं का निदान साबित हो सकती है, बशर्ते कियान्वयन संस्था उपरोक्त अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर कार्य प्रारंभ कर दे।

पाठ्यक्रम से जुड़े द्वितीयक आकड़ों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य के रूप मे स्वच्छता एव साक्षरता के लिए कार्य किये गये हैं, इसका ज्यादा सकारात्मक प्रभाव अनुसूचित विकासखंडों में परिलक्षित हुआ है।

संस्थान द्वारा पूर्व में किये गये कई अध्ययनों में भी यह बिन्दु निकलकर आये ह कि, अशिक्षित होने के कारण एक विशेष आयु वर्ग के लोगों में जानकारी एवं जागरूकता की कमी है। जिसके लिए प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर गंभीरता से कदम उठाने की बात संस्थान द्वारा अपनी अनुशंसाओ में कही गई है। पाठ्यक्रम अंतर्गत साक्षरता पर एवं समाज की आवश्यकता से सीधे जुड़े मुद्दों पर क्षेत्र कार्य कराया जाना एवं इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना अत्यन्त सराहनीय कदम है।

यदि योजनाबद्ध तरीके से सशक्त मार्गदर्शन में इन विद्यार्थियों से क्षेत्र कार्य के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ–सफाई एवं जल तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर ही कार्य करा लिया जाता है, तो यह बहुत बड़ी सकारात्मक सामाजिक क्रांति होगी।

जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अन्य अध्ययनित उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी अनुसार यदि विभाग इस पाठ्यक्रम को गंभीरता से निरंतर संचालित करता है तो आने वाले कुछ वर्षों में ग्रामीण समाज (ज़मीनी स्तर पर) मे इसके सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं।

––0––

अध्याय एक
पृष्ठभूमि

1.0 सामान्य

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्यप्रदेश शासन की एक स्वशासी संस्था है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमो का विश्लेषण करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान द्वारा जन अभियान परिषद् के अनुरोध पर 'जन अभियान परिषद् के कार्यों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन अध्ययन' का कार्य किया गया है। वर्तमान में जन अभियान परिषद् की एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण गतिविधि 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम' का संचालन करना भी है अतः इस अध्ययन के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम' के मूल्यांकन का कार्य किया गया है।

विगत तीन दशकों से राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर सभी शासकीय योजनाओ एवं कार्यक्रमों के कियान्वयन, विशेषकर विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने एव स्वैच्छा से समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक सहभागिता की अवधारणा पर जोर दिया गया है। जन अभियान परिषद् द्वारा सबसे निचले स्तर तक इस अवधारणा को मूर्त रूप दिये जाने के प्रयास नवांकुर एवं प्रस्फुटन समितियो के माध्यम से किये जा रहे हैं

'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम– 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के नाम से प्रारंभ यह कार्यक्रम राज्य मंत्री–परिषद् द्वारा 2014 मे अनुमोदित किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत 'सामुदायिक नेतृत्व विकास' पर तीन वर्षीय डिग्री कोर्स करने पर समाज कार्य में स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से संबद्ध है। पाठ्यक्रम दूरस्थ–शिक्षण माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा एवं तीन वर्ष पूर्ण

करने पर समाज कार्य (नेतृत्व विकास) में स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है। मैदानी स्तर पर इसके क्रियान्वयन हेतु जन अभियान परिषद् नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है।

1.1 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम– एक परिचय

वर्तमान में शासन द्वारा 200 से अधिक योजनाएं कमजोर वर्ग/महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं उत्थान हेतु ग्राम स्तरों पर संचालित हैं। इनका वास्तविक लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति को तभी मिल सकता है, जब इनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समाज की सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी हो। शासन और प्रशासन दोनों ही सभी तरह के विकास में एवं योजनाओं के संचालन में सामूहिक एवं स्वैच्छिक सहभागिता की बात कर रहे हैं। प्रत्येक समाज के विकास और उत्थान में स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यह सामूहिक एवं स्वैच्छिक सहभागिता कैसे आए एवं कैसे विकसित की जाए? यह सवाल उठता है। गाँव एवं नगर स्तर पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिनमें अपने समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। लेकिन इस कार्य को कैसे प्रारंभ किया जाए और कैसे सही ढंग से किया जाए एवं कैसे आगे बढ़ाया जाये, इस संबंध में जागरूकता, ज्ञान एवं सही मार्गदर्शन की कमी के कारण अधिकांश लोग सिर्फ विचार कर रह जाते है, उस विचार को कार्यरूप मे परिणित करने के लिए आगे नही बढ़ पाते। ऐसे लोगों को यदि जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे ज्यादा प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज के विकास के लिए कार्य कर सकेंगे। इसी कठिनाई के निदान के रूप में 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत समाज कार्य विषय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की कल्पना की गई। इस कार्यक्रम की अवधारणा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से स्वप्रेरित लोगों को चिन्हित एवं प्रशिक्षित कर ऐसे सामाजिक नेतृत्व का सृजन करना है, जो शासकीय कार्यक्रमों को ग्रामवासियों तक पहुँचाने में सेतु की भूमिका निभाए। वर्तमान में जन अभियान परिषद् द्वारा नोडल संस्था के रूप में 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' संचालन का कार्य भी किया जा रहा है।

यह पाठ्यक्रम 'करके सीखो' एवं **'मेरा गाँव मेरी पाठशाला'** के सिद्धान्त पर शासकीय योजनाओं एव कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन में लोगों की सही दिशा में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किया गया है। स्थानीय उर्जावान एव उत्साही लोगों को, जिनकी सकारात्मक सोच है एवं जिनमें स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों की समझ हो एवं उनको लेकर आगे बढ़ने का विचार, क्षमता और जुनून है, उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए सही मार्गदर्शन और रास्ते मिल सकें, पाठ्यक्रम के विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं :

- अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं एव पुरुषों की प्रदेश के विकास में साझेदारी सुनिश्चित करना।
- जनजाति वर्ग के युवाओं को सामाजिक विकास के विविध आयामों के संबंध में जागरूक एवं शिक्षित कर कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना।
- समाज के विकास हेतु स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के वातावरण को सुदृढ़ करना।
- शासन की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना, जिससे समाज की संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हो सके।
- जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व उपलब्ध कराना।
- समाज कार्य के क्षेत्र में भविष्य निर्माण हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
- स्थानीय स्तर पर जागरूक, सशक्त, क्षमतावान नेतृत्वकर्ता तैयार करना।

इस पाठ्यक्रम के तहत् एक साल का पाठ्यक्रम पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दो साल का पाठ्यक्रम पूरा करने पर डिप्लोमा एवं तीन साल का पाठ्यक्रम पूरा करने पर सामाजिक कार्य मे स्नातक उपाधि दिये जाने का प्रावधान है।

1.2 मूल्यांकन की आवश्यकता :

जन अभियान परिषद् द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम' का संचालन सभी विकासखंडों मे किया जा रहा है। पाठ्यक्रम संचालित हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, अतः इसे परिषद् की एक मुख्य गतिविधि मानते हुए इसका मूल्यांकन, अध्ययन के एक पृथक भाग के रूप में किया गया है (मूल्यांकन अंतर्गत जन अभियान परिषद् द्वारा संचालित स्टडी सेन्टर्स को ही लिया गया है)। पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए एक वर्ष पूर्ण हो गया है। इस समयावधि में पाठ्यक्रम संचालन में विद्यार्थियों को, सेन्टर्स को एवं कियान्वयन संस्था को किस तरह की कठिनाईयां आ रही हैं, इसके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं, ताकि अध्ययन के आधार पर आने वाले वर्षों में उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। इन सभी बिन्दुओं के बारे में जानने हेतु संस्थान द्वारा अध्ययन कार्य किया गया है।

—o—

अध्याय दो
अध्ययन प्रकिया एवं कार्यविधि

2.0 विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा एवं समन्वय

अध्ययन हेतु जन अभियान परिषद् द्वारा संस्थान से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी परिषद् के अधिकारिगों के साथ चर्चा कर एवं पत्राचार के माध्यम से प्राप्त की गई। अध्ययन हेतु उपयोगी द्वितीयक जानकारी भी एकत्रित की गई। परिषद् के अधिकारियों के साथ चर्चा कर अध्ययन प्रस्ताव एवं अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया गया।

2.1 मूल्यांकन के उद्देश्य

यह पाठ्यक्रम 27 मई 2015 से प्रारंभ हुआ है। पाठ्यक्रम को प्रारंभ हुए अभी एक वर्ष का समय व्यतीत हुआ है। कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं मंशा के मद्देनज़र इस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों मे स्वयं एवं उनके माध्यम से समाज मे आए परिवर्तन को इतने शीघ्र मापा जाना संभव नहीं है। इसे मापने के लिए कम से कम पाठ्यक्रम को चले तीन वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए। किन्तु परिषद् के अनुरोध पर एवं आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम का तात्कालिक मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किये जाने का निर्णय लिया गया:

- संपर्क कक्षाओं का संचालन कार्यक्रम की मंशा के अनुरूप हो रहा है अथवा नही?
- मेन्टर्स/विद्यार्थियों के चयन का आधार एवं प्रकिया जानना।
- पाठ्यक्रम हेतु चयनित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्रवेश का आशय/मंशा जानना।
- संपर्क कक्षाओं हेतु चयनित अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं और उनके उपयोग की स्थिति का आंकलन करना।

- कक्षाओ के संचालन, पाठ्यक्रम विषय–वस्तु एवं पढ़ाने की विधि के बारे मे विद्यार्थियों का फीडबेक।
- विद्यार्थियों, मेन्टर्स एवं नोडल ऐजेन्सी (जन अभियान परिषद) की समस्याओं (यदि आ रही है तो) को जानना।

2.2 अध्ययन की रूपरेखा एवं निदर्शन (Sampling)

2.2.1 अध्ययन हेतु जिलों एवं विकासखंडों का चयन

परिषद् के कार्य क्षेत्रो में संभागों की संख्या, जो कि 07 है, में से प्रत्येक संभाग से दो जिले, इस प्रकार कुल 14 जिलों का चयन अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रेण्डम सेम्पलिंग एव सोद्देश्य सेम्पलिंग के आधार पर किया गया। प्रत्येक अध्ययनित जिले से दो विकासखंड, इस प्रकार कुल 28 विकासखडो का चयन भी इसी आधार पर किया गया।

परिषद द्वारा मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम दो तरह के आदिवासी एव सामान्य विकासखडो मे चलाया जा रहा है, इसे ही ध्यान में रखकर कुछ आदिवासी जिलों एवं विकासखंडों एवं कुछ सामान्य जिलो एवं विकासखडो का चयन किया गया है।

चयनित ज़िले एवं अध्ययन केन्द्र :

क्र.	संभाग	जिले	विकासखंड	
1	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	मुरार
		श्योपुर(आदि)	कराहल	विजयपुर
2	उज्जैन	देवास	सोनकच्छ	बागली
		मंदसौर	मंदसौर	भानपुरा
3	इंदौर	धार (आदि.)	बाग	मनावर
		खरगौन (आदि.)	महेश्वर (नर्मदा क्षेत्र)	बड़वाह (नर्मदा क्षेत्र)
4	भोपाल	रायसेन	बेगमगंज	उदयपुरा (नर्मदा क्षेत्र)
		हरदा(नर्मदा क्षेत्र)	खिरकिया (नर्मदा क्षेत्र)	हरदा (नर्मदा क्षेत्र)
5	सागर	छतरपुर	नौगांव	बिजावर
		टीकमगढ़	जतारा	टीकमगढ़
6	जबलपुर	मंडला (आदि.)(नर्मदा क्षेत्र)	मंडला (नर्मदा क्षेत्र)	मवई
		सिवनी	धनौरा	कुरई
7	रीवा	सीधी	मंझौली	सिहावल
		शहडोल (आदि.)	बुढार	सोहागपुर

2.2.2 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों का चयन

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक अध्ययनित विकास खंड मे संचालित अध्ययन केन्द्र से 02 मेन्टर एव 07 विद्यार्थी अध्ययन में शामिल किये गये। सेम्पल एक नज़र में निम्नानुसार है–

क्र	संभाग	चयनित जिले	चयनित विकासखंड	चयनित अध्ययन केन्द्र	मेन्टर (प्रत्येक केन्द्र से दो मेन्टर)	विद्यार्थी (प्रत्येक केन्द्र से 07 विद्यार्थी)
1.	7	14	28	28	(28x2)=56	(28x7)=196

2.2.3 जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का चयन

'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के बारे में उपलब्धता के आधार पर जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से भी राय ली गई है। अध्ययन हेतु चयनित जिलों में से 3 जिला के कलेक्टर एवं 01 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (उपलब्धता अनुसार) से भी दूरभाष पर (संरचित प्रश्नावली पर) चर्चा की गई।

इस प्रकार 07 तरह के उत्तरदाता – 1 समिति प्रमुख, 2. समिति सदस्य, 3. नागरिक (स्थानीय जन प्रतिनिधि सहित), 4 मेन्टर, 5 विद्यार्थी, 6. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 7 जिला एवं विकासखंड समन्वयक कुल 1642 उत्तरदाता अध्ययन में शामिल किये गये हैं।

मुख्य शब्दावलियाँ :

मेन्टर : मेन्टर से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिन्हें 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में कक्षाएं संचालन करने हेतु एवं पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए सुगम बनाने हेतु जन अभियान परिषद् द्वारा चिन्हित किया गया है।

विद्यार्थी : विद्यार्थी से तात्पर्य उनसे है, जिन्होंने 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के रूप में अपना पंजीयन कराया है।

2.3 मूल्यांकन विधि

- अध्ययन मुख्यतः साक्षात्कार अनुसूची एवं चेकलिस्ट के माध्यम से किया गया।
- उत्तरदाताओं से चर्चा कर अनुसूची भरने हेतु प्रत्येक विकासखंड में एक सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति मानदेय आधार पर की गई।

सर्वेक्षणकर्ताओं को संस्थान में दिया गया प्रशिक्षण

- चयनित सर्वेक्षणकर्ता को अध्ययन हेतु तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूची तथा अध्ययन के मुख्य उद्देश्यो एव बिन्दुओं पर संस्थान की टीम द्वारा गोपाल मे एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम' अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु जहां कक्षाएं संचालित हो रही है, वहां की वास्तविक स्थिति जानने हेतु चेकलिस्ट का निर्माण किया गया। यह चेकलिस्ट सर्वेक्षणकर्ता द्वारा स्वयं के अवलोकन के आधार पर भरी गई है।
- चयनित सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओ से अलग–अलग आमने–सामने चर्चा कर अनुसूची भरी गई।
- जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा हेतु पृथक से साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई। इस साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर इस अध्ययन योजना के समन्वयक द्वारा उपलब्धता अनुसार कुछ अधिकारियों से चर्चा की गई।

2.4 आँकड़ों का संग्रहण एवं प्रतिवेदन लेखन

अध्ययन अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची एवं चेक लिस्ट के माध्यम से सख्यात्मक जानकारी एकत्रित की गई है।

सर्वेक्षणकर्ता के माध्यम से विकासखंडवार/जिलेवार संकलित आँकड़ों को एक्सल शीट में फीड करवाकर राज्य स्तर पर बुलाया गया। संकलन के दौरान आंकड़ों को क्रॉस चेक कर उनकी प्रतिपूर्ति की गई।

आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर एस.पी.एस.एस. एवं एक्सल के माध्यम से किया गया है।

2.5 निष्कर्ष एवं सुझाव

साक्षात्कार अनुसूची एवं चेकलिस्ट से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण तथा वॉलिन्टियर्स को साक्षात्कार अनुसूची भरने के दौरान हुए अनुभवो के आधार पर अध्ययनित विषय के संबंध में सुझाव दिये गये है।

2.6 अध्यगन की सीमायें (Limitations of Study)

- निष्कर्षो का मुख्य आधार मात्रात्मक आंकड़े हैं। कुछ खुले प्रश्नों को शामिल कर इसे संतुलित करने का प्रयास अध्ययन में किया गया है।
- सर्वेक्षण हेतु अध्ययन के मुख्य उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस विधि मे प्रश्नकर्ता एंव उत्तरदाता आमने सामने होते हैं, जिससे उत्तरदाता प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर जवाब दे सकें। बावजूद इसके कुछ प्रशिक्षणार्थियो द्वारा संपूर्ण जानकारी न होने पर भी सुनी–सुनाई बातों के आधार पर अथवा कुछ–न–कुछ जवाब देना है, इसलिये भी आधे–अधूरे उत्तर दिये गये हैं। इस कारण अध्ययन के परिणाम कुछ प्रतिशत तक सकारात्मक/नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए होंगे। हालाकि ऐसे उत्तरदाताओ के अन्य उत्तरों के आधार पर निष्कर्षों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।

- इस प्रक्रिया में अनुसूची भरने की गुणवत्ता सर्वेक्षणकर्ता के सामान्य बुद्धि स्तर एवं समझ से भी प्रभावित हुई है। कुछ प्रश्नों में इसका प्रभाव देखने को मिला है।
- डाटा फीडिंग सर्वेक्षणकर्ता के स्तर पर ही कराई गई, डाटा एन्ट्री में विशेषज्ञता न होने के कारण कुछ स्थानों पर अशुद्धियाँ भी संभावित हैं, हालांकि इसे डाटा क्लीन करते समय दूर करने के प्रयास किये गये हैं। इन कारणों से प्राप्त डाटा व्यवस्थित करने में ज्यादा समय लगा।
- कुछ स्थानों पर समिति के प्रमुख द्वारा कार्य छोड दिये जाने एवं कुछ स्थानों पर समिति प्रमुख के उस ग्राम विशेष से चले जाने या न मिलने से समितियों के सदस्यों के बारे में एवं समिति संबंधी अन्य जानकारी नहीं मिल पायी, इसके कारण उत्पन्न विसंगति को कुछ जगहों पर अन्य समितियों का चयन कर, उनसे चर्चा की जाकर दूर किये जाने का प्रयास किया गया है। इसके कारण उत्तरदाता का चयन पूर्णतः रेण्डम नहीं रहा है।
- विश्लेषण में आकड़ों का प्रतिशत पूर्णांक में लेने के कारण कुछ स्थानों पर 1–2 प्रतिशत का अंतर (कम या ज्यादा होने) परिलक्षित हुआ है।
- सर्वेक्षणकर्ता द्वारा उत्तरदाता से तादातम्य बनाये रखने एवं बातचीत की निरतरता बनाए रखने में कई प्रश्नों के उत्तर चिन्हित करने में कुछ मानवीय त्रुटियॉ होना संभावित एवं स्वाभाविक है (हालांकि प्राप्त अनुसूची एवं डाटा कम्पाइलेशन को रेण्डम आधार पर कॉस चेक किया जाता है)।

—0—

अध्याय तीन

मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (आँकड़ों का विश्लेषण)

3.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति (Profile of Repondents)

मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम हेतु मुख्य रूप से मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों से पूर्व संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बारे में आम लोगों को जानकारी का स्तर जानने हेतु चिन्हित ग्रामवासियों एवं चिन्हित जिला के कुछ कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से भी पूर्व निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की गई। इस खण्ड के अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं की संख्या निम्नानुसार है–

क्रमांक	उत्तरदाता का प्रकार	संख्या
1.	मेन्टर्स	57
2.	विद्यार्थी	199
3.	ग्रामवासी	755
4.	जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी	4
	योग	**1015**

3.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं शैक्षिक प्रस्थिति

3.1.1 **ग्रामवासियों की** : अध्ययनित ग्रामवासियों मे 71% सामान्य नागरिक, 18% पंच एवं 11% सरपंच हैं (ये वही उत्तरदाता हैं, जिनसे जन अभियान परिषद् के कार्यों के बारे में

जानकारी ली गई है)। अध्ययनित ग्रामवासियों की लिंगवार एवं जातिवार जानकारी निम्नानुसार है –

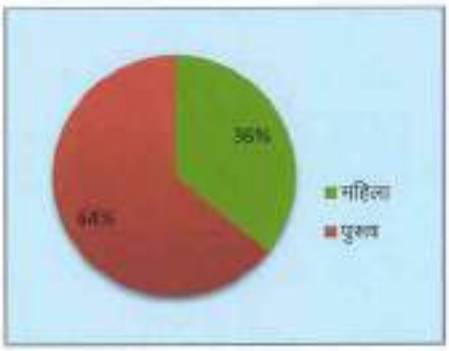

चित्रण क्रमांक –3.1.1 (अ) लिंगवार जानकारी

चित्रण क्रमांक –3.1.1 (ब) जातिवार स्थिति

चित्रण क्रमांक –3.1.1 (स) ग्रामवासियों का आयुवार वर्गीकरण

अध्ययनित जानकारी में सभी जातियों के उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत (41%) अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाताओं का है।

उत्तरदाताओं में 31–40 आयुवर्ग (उत्साहित एवं उर्जावान आयुसमूह) के उत्तरदाताओ का प्रतिशत सबसे ज्यादा 44% है, 41–50 आयुवर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 26 एवं 18–30 आयुवर्ग (उर्जावान) के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 23% है। इससे प्राप्त जानकारी की गुणवत्ता के प्रति यह विश्वास किया जा सकता है कि प्राप्त जानकारी में हर श्रेणी एवं हर स्तर की सोच समाहित है।

3.1.2 मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के बारे में ग्रामवासियों एवं परिषद् पदाधिकारियों की जानकारी :

ग्रामवासियो से पूछे जाने पर कि क्या उन्हे जानकारी है कि मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम विकास खंड में संचालित हो रहा है. इस संबंध में 19% उत्तरदाताओ को ही पाठ्यक्रम संचालन की जानकारी है। परिषद् पदाधिकारियों से यह पूछे जाने पर कि क्या उनके जिले, विकासखंड में यह पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है. 90 पदाधिकारियों द्वारा पाठ्यक्रम संचालित होने की बात स्वीकारी गई, 10 द्वारा उत्तर नहीं दिया गया. संभवत. इसका कारण सर्वेक्षणकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य सही तरीके से वार्तालाप की कमी हो सकती है।

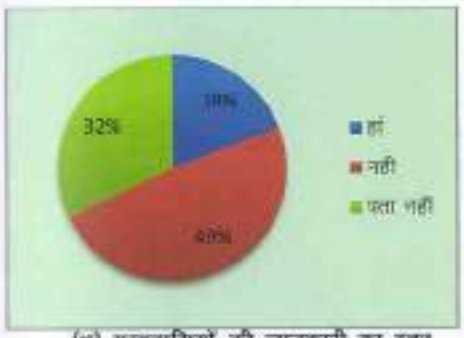

(अ) ग्रामवासियों की जानकारी का स्तर

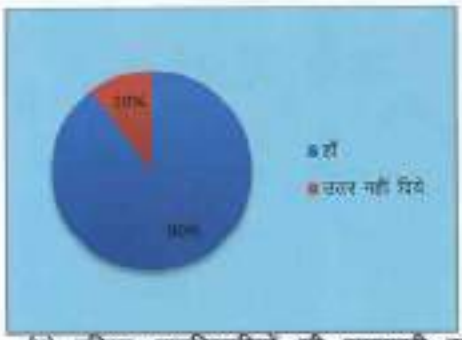

(ब) परिषद् पदाधिकारियों की जानकारी का स्तर

चित्र क्रमांक –3.1.2 मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में जागरूकता का स्तर

चित्र क्रमांक –3.1.2(स) पाठ्यक्रम के उद्देश्य (पदाधिकारियों अनुसार)

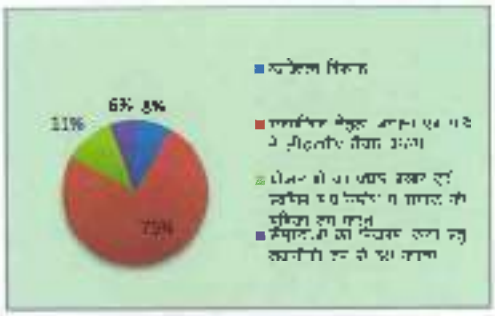

पाठ्यक्रम के बारे में परिषद् पदाधिकारियों की जानकारी के स्तर को जानने हेतु उनसे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में पूछने पर सबसे ज्यादा 75 पदाधिकारियों द्वारा गांव में नेतृत्व जगाना एवं लीडरशीप तैयार करना, शेष द्वारा व्यक्तित्व विकास, स्वर्णिम म.प्र. में समाज की भूमिका तय करना एवं समस्याओं के निवारण हेतु तकनीकी रूप से दक्ष करना बताया गया, इससे प्रमाणित होता है कि पदाधिकारियों को संचालित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी है।

3.1.3 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की लिंगवार जानकारी

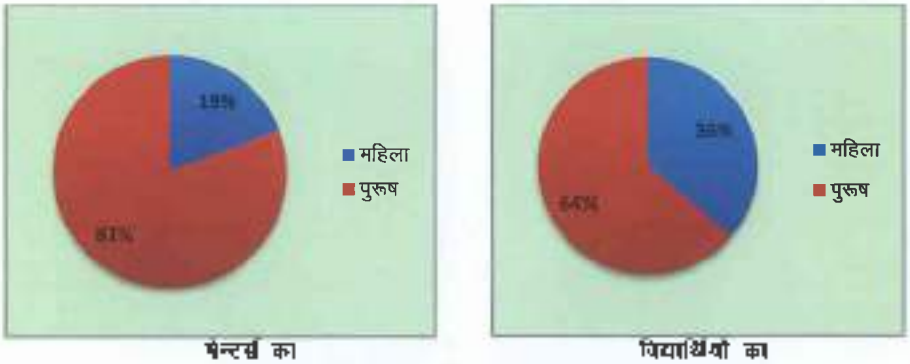

मेन्टर्स का विद्यार्थियों का

चित्रण क्रमांक –3.1.3 लिंगवार विवरण

मेन्टर्स में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम 19% है। इसी तरह अध्ययनित विद्यार्थियों में भी महिलाओं का प्रतिशत (36%) पुरूषों की तुलना में कम ही है। संभवतः इसका एक बहुत बड़ा कारण विकासखंड स्तर पर कक्षाएं लगना एवं रविवार के दिन कक्षाएं लगना हो सकता है एवं सर्वे वाले दिन महिलाओं की कम उपस्थिति हो सकती है, ये कुछ संभावनाएं मात्र है, क्योंकि जन अभियान परिषद् द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपलब्ध कराई गई संख्या अनुसार पाठ्यक्रम में महिलाओं का प्रतिशत 49% है।

3.1.4 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की जातिवार जानकारी

मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों में वैसे तो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन मेन्टर्स में

सामान्य जाति के सबसे ज्यादा (51%) एवं दूसरे नबंर पर अ.पि.वर्ग के उत्तरदाताओ की संख्या(33%) ज्यादा निकलकर आई है। विद्यार्थियों मे अनु.जाति के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है इसका एक कारण अध्ययन सेम्पल में ऐसे जिले होना भी हो सकता है जहा अनु. जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कम है।

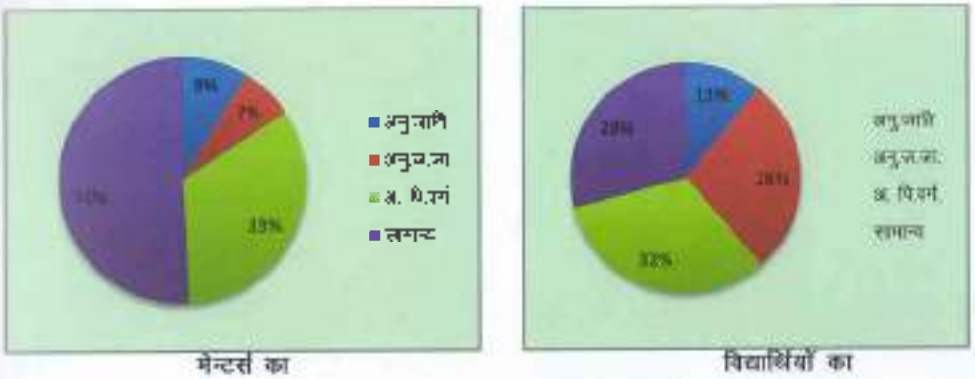

चित्रण क्रमांक –3.1.4 जातिवार विवरण

3.1.5 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की आयुवार जानकारी

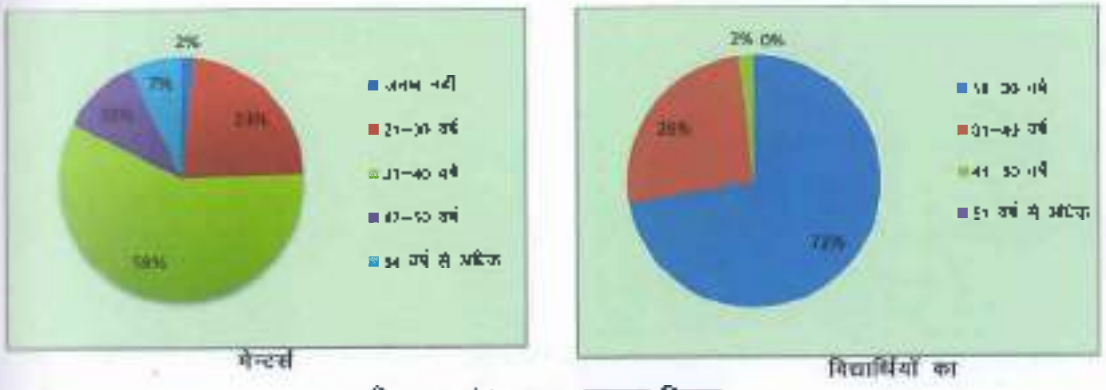

चित्रण क्रमांक –3.1.5 आयुवार विवरण

अध्ययनित मेन्टर्स में आयुवर्ग का दायरा 21 वर्ष से लिया गया है। इसका कारण यह है कि मेन्टर्स कम–से–कम स्नातकोत्तर होना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश किसी स्थान पर मात्र स्नातक को मेन्टर के रूप में लिया गया है, तो ऐसे लोगों का डाटा भी विश्लेषण हेतु

शामिल किया जा सकेगा। मेन्टर्स में 31–40 आयुवर्ग के लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा (58%) है। जो कि सर्वथा उचित है। इस आयुवर्ग के पास ज्ञान के साथ–साथ अनुभव, साथ ही विद्यार्थियों के साथ उम्र में ज्यादा अंतर न होने के कारण उनके साथ मित्रवत् व्यवहार कर तादात्म्य बिठाने का कौशल भी होता है. जो विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि 2 मेन्टर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या 72% 18–30 आयुवर्ग के विद्यार्थियों का है।

3.1.6 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति

मेन्टर्स विद्यार्थियों का

चित्रण क्रमांक –3.1.6 शैक्षिक विवरण

प्राप्त जानकारी अनुसार अध्ययनित मेन्टर्स की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किये जाने पर 86% स्नातकोत्तर एवं 10% पीएच.डी हैं जो कि मेन्टर्स के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता के अनुरूप ही है। 2% मेन्टर्स सिर्फ स्नातक ही हैं।

अध्ययनित विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा प्रतिशत 43% स्नातक योग्यताधारी विद्यार्थियों का है। 35% विद्यार्थी 12वी पास भी हैं।

3.2 मेन्टर्स चुने जाने हेतु अपनाई चयन प्रकिया संबंधी जानकारी

3.2.1 (अ) किसके द्वारा चुना गया

अध्ययनित मेन्टर्स से यह पूछे जाने पर कि मेन्टर के रूप मे आपको किसने चुना 61% ने ज्ञान अभियान परिषद् द्वारा एवं 32% ने चयन समिति द्वारा चुना जाना बताया। 5% ने कोई जवाब नही दिया।

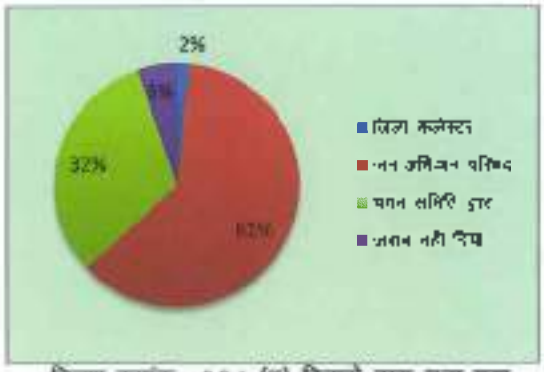

चित्रण क्रमांक –3.2.1 (अ) किसके द्वारा चुना गया

(ब) चयन प्रकिया

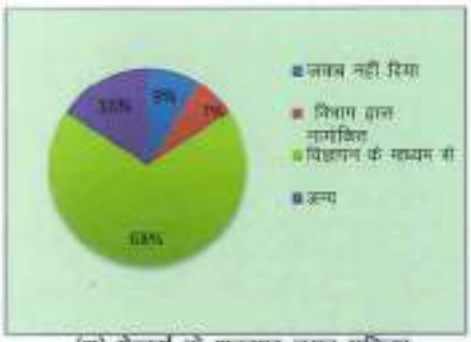

(अ) मेन्टर्स के अनुसार चयन प्रकिया

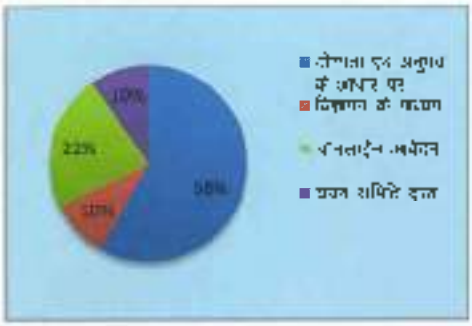

(ब) परिषद् पदाधिकारियों के अनुसार चयन प्रकिया

चित्रण क्रमांक –3.2.1 (ब) मेन्टर्स की चयन प्रकिया

मेन्टर के अनुसार : मेन्टर चुनने हेतु क्या चयन प्रक्रिया अपनाई गई, के जवाब में 68% मेन्टर्स ने विज्ञापन के माध्यम से चयन होना बताया। 7% ने सीधे विभाग द्वारा नामांकित किया जाना बताया एवं 9% द्वारा जवाब नहीं दिया गया। अन्य में योग्यता, मेरिट एवं अनुभव के आधार पर चुना जाना बताया गया।

परिषद् पदाधिकारियों के अनुसार : 58% परिषद् पदाधिकारियों द्वारा बताए अनुसार योग्यता एव अनुभव के आधार एवं 42% द्वारा विज्ञापन एवं चयन समिति के माध्यम से मेन्टर्स चयनित किये जाते हैं।

(स) विज्ञापन उपरान्त चयन हेतु अपनाई प्रकिया एवं मेन्टर्स का अनुभव

जिन 68% ने विज्ञापन के माध्यम से चयन प्रकिया में शामिल होने की बात कही उनमें से सबसे ज्यादा 43% ने साक्षात्कार के आधार पर एवं 31% ने मेरिट के आधार पर चयन होना बताया। 19% ने अनुभव के आधार पर उनका चयन होने की बात स्वीकारी है।

चयनित मेन्टर्स का अनुभव किन क्षेत्रों में यह जानकारी लिये जाने पर सबसे ज्यादा 44% मेन्टर्स का शिक्षा क्षेत्र में अनुभव है। दूसरे नंबर पर सामाजिक क्षेत्र के अनुभव वाले 22% मेन्टर्स हैं

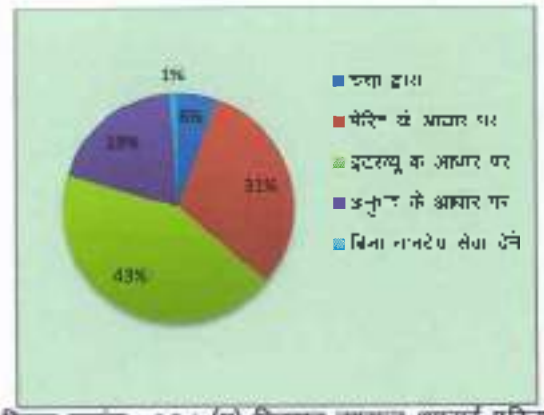

चित्रण क्रमांक –3.2.1 (अ) विज्ञापन उपरान्त अपनाई प्रकिया

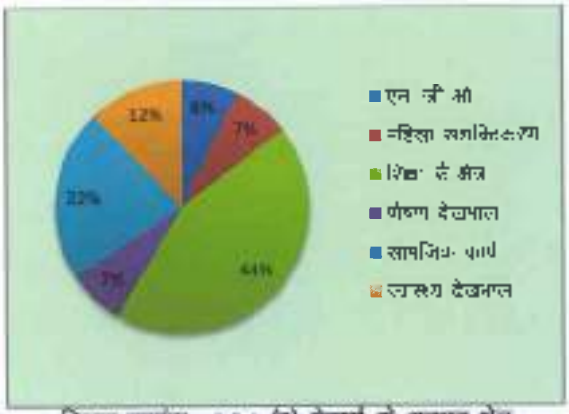

चित्रण क्रमांक –3.2.1 (ब) मेन्टर्स के अनुभव क्षेत्र

3.3 मेन्टर्स के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी

मेन्टर्स चुने जाने उपरान्त संदर्भित कोर्स हेतु मेन्टर्स को प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य था, चूंकि यह पाठ्यक्रम बिलकुल नया है, अतः इस बिन्दु पर मेन्टर्स से जानकारी ली गई।

3.3.1 प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति

अध्ययनित मेन्टर्स ने शत–प्रतिशत द्वारा बताया गया कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण कितने दिन का प्राप्त किया है, इस बारे में पूछे जाने पर उत्तरदाताओं के जवाबों में भिन्नता पाई गई। प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार 54% उत्तरदाताओं द्वारा प्रशिक्षण अवधि 1–5 दिन बताई गई, 35% द्वारा 6–10 दिन के प्रशिक्षण लेने की जानकारी दी गई। जन अभियान परिषद एवं चित्रकूट विश्वविद्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारियो से की गई चर्चा में प्राप्त जानकारी अनुसार अनु.ज.जा. विकासखंडों में मेन्टर्स की प्रशिक्षण अवधि 10 दिवस एवं शेष 224 गैर अनु.ज.जा विकासखंडों मे मेन्टर्स के लिए यह प्रशिक्षण अवधि 05 दिन की निर्धारित है।

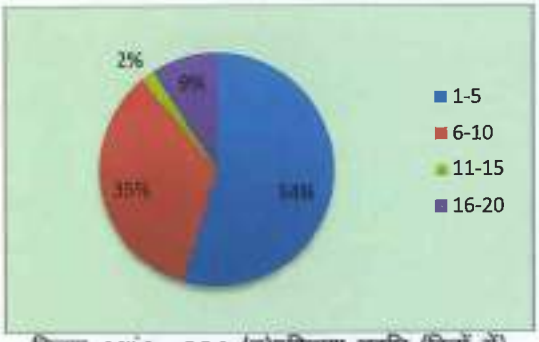

चित्रण क्रमांक –3.3.1 (अ)प्रशिक्षण अवधि (दिनों में)

भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि, अध्ययन में दोनों ही तरह (अनु.ज.जा. एवं गैर अनु.ज.जा.विकासखंड) के विकास खंड शामिल हैं।

किन विषयों पर प्रशिक्षण हुआ, इसके जवाब में सबसे ज्यादा 21% उत्तरदाताओं द्वारा नेतृत्व विकास के बारे में, 17% द्वारा सभी विषय, 11% द्वारा जन अभियान परिषद् के बारे में बताया गया। शेष लोगों द्वारा अलग–अलग विषयों का नाम लिया गया। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्ययनित मेन्टर्स में अलग–अलग विषय के मेन्टर्स शामिल हैं। दिये गये जवाब के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि बहुत से लोगों को विषय के नाम एवं विषय अंतर्गत विषय–वस्तु के सबंध में स्पष्टता नहीं है, जो कि मेन्टर्स जैसे जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है।

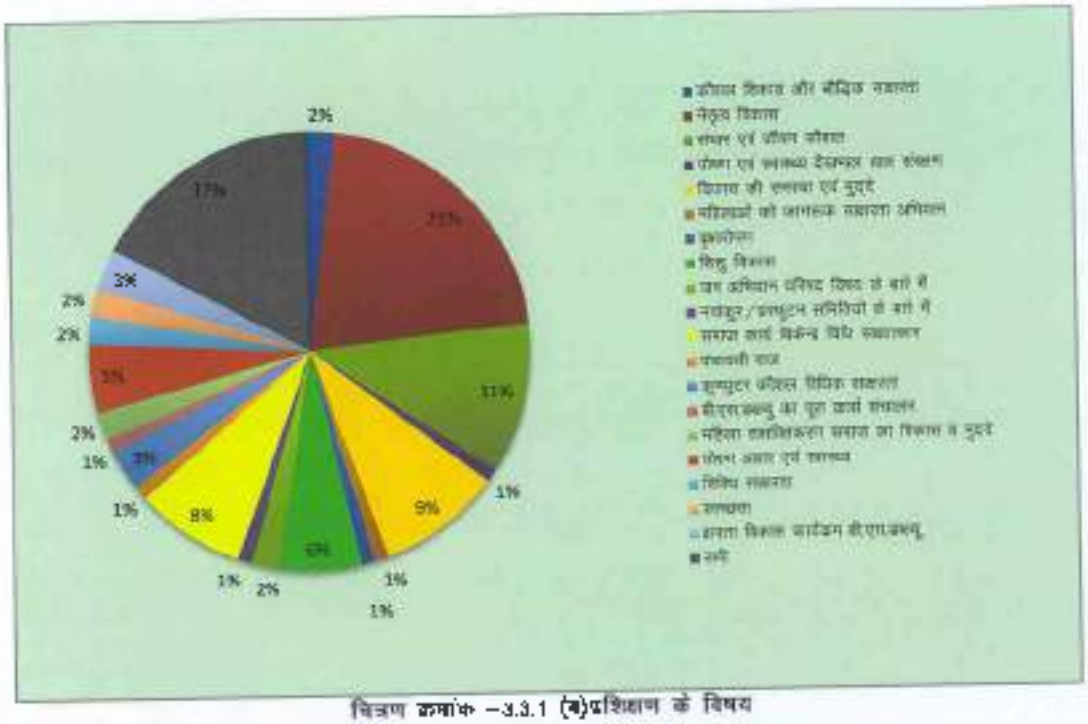

चित्रण क्रमांक –3.3.1 (ब)प्रशिक्षण के विषय

3.3.2 प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण स्थल संबंधी जानकारी (बहुविकल्पीय)

अध्ययनित मेन्टर्स से प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता के बारे में जानकारी लिये जाने हेतु कुछ प्रश्न पूछे गये, सामग्री की गुणवत्ता जानने हेतु उत्तरदाताओं से मुद्रण की

गुणवत्ता, विषय–वस्तु की गुणवत्ता एवं विषय–वस्तु की बोधगम्यता एवं प्रशिक्षक द्वारा विषय–वस्तु बताये जाने की कला को अंक प्रदाय करने हेतु कहा गया था। जिन्हें 1–5 अंकों के स्केल पर नापा जाना था। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सर्वाधिक अंक विषय–वस्तु की उपयुक्तता को (3.48 अंक) एवं दूसरे नंबर पर प्रशिक्षक द्वारा विषय–वस्तु परोसने की कला (3.27 अंक) को दिये हैं, जिन्हें कमोबेश अच्छा एवं बहुत अच्छा के मध्य की श्रेणी में गिना जा सकता है। इसी प्रकार भाषा एवं समझ के आधार पर विषय–वस्तु की बोधगम्यता एवं सामग्री के प्रस्तुतीकरण (मुद्रण के आधार पर) को अच्छा श्रेणी (3.11 एवं 3.16) में ही गिना जाएगा।

इसका प्रभाव पाठ्यक्रम पर क्या पड़ रहा है, यह प्रतिवेदन में आगे उल्लिखित मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पर सुझाव संबंधी विश्लेषण में परिलक्षित होगा।

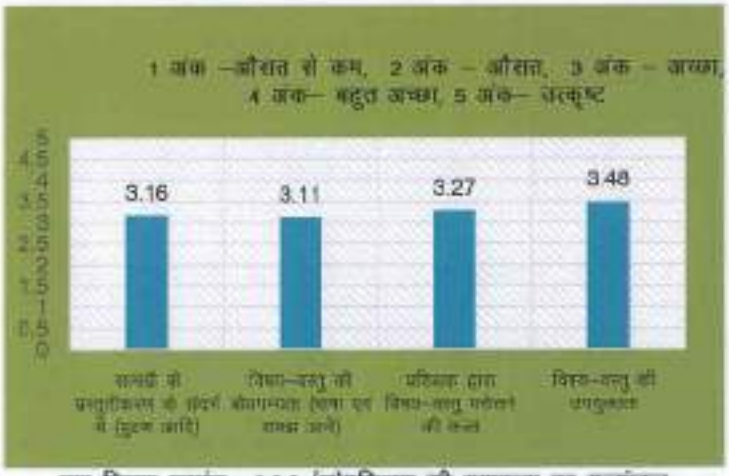

बार चित्रण क्रमांक –3.3.2 (अ)प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन

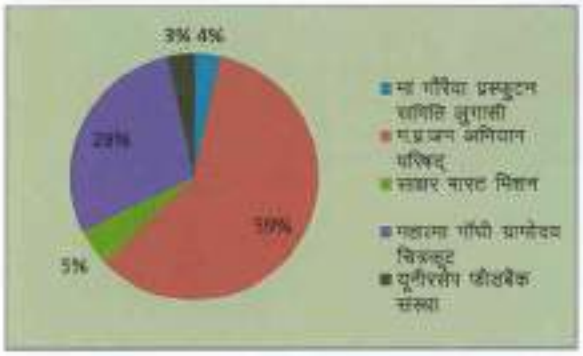

चित्रण क्रमांक –3.3.2 (ब) प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम

दूरवर्ती शिक्षा वाले व्यावहारिक पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण में सामग्री एवं विषय–वस्तु के साथ–साथ प्रशिक्षक/प्रशिक्षक संस्था की भूमिक और ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती है, अच्छा प्रशिक्षक वह माना जाता है, जो कठिन से कठिन विषय–वस्तु को सरल एवं आसान बना दे, जो किसी भी निरस विषय को रोचक तरीके से बताकर रूचिपूर्ण बना दे। इसी बिन्दु को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं स्थल के बारे में जानकारी पूछी गई। सबसे ज्यादा 59% उत्तरदाताओं द्वारा जन अभियान परिषद् के द्वारा संबंधित जिले स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना एवं दूसरे स्थान पर (29% द्वारा) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के द्वारा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण दिये जाने की बात कही गई है। 12% उत्तरदाताओं द्वारा अन्य संस्थाओं के नाम एवं प्रशिक्षण स्थल, जो कि जिले से भी नीचे वाली इकाई हैं, के बारे में बताया गया।

3.3.3 मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता (बहुविकल्पीय)

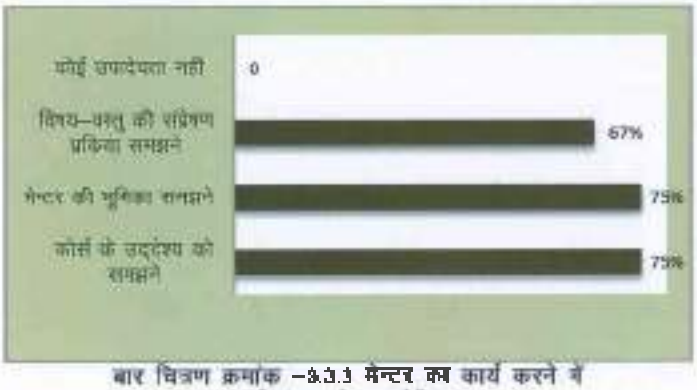

बार चित्रण क्रमांक –3.3.3 मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता

मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की क्या उपयोगिता रही, इसके जवाब में 75% मेन्टर्स ने कोर्स के उद्देश्य को समझने एवं मेन्टर्स की भूमिका को समझने में उपयोगी बताया। 67% ने भी विषय वस्तु को सम्प्रेषण प्रक्रिया के लिए उपयोगी बताया।

3.3.4 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता

उत्तरदाताओं को पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता पर 4 बिन्दुओं – सामग्री की उपलब्धता, मुद्रण की गुणवत्ता, विषय–वस्तु की गुणवत्ता, विषय–वस्तु की बोधगम्यता (स्व–अध्ययन हेतु आसानी से समझने) पर अंक देने थे। विश्लेषण अनुसार सबसे ज्यादा अंक 3.56 (बहुत अच्छा के करीब) विषय–वस्तु की बोधगम्यता (स्व–अध्ययन हेतु) को दिये गये, सबसे कम (3.13 अंक) सामग्री की उपलब्धता को दिये गये।

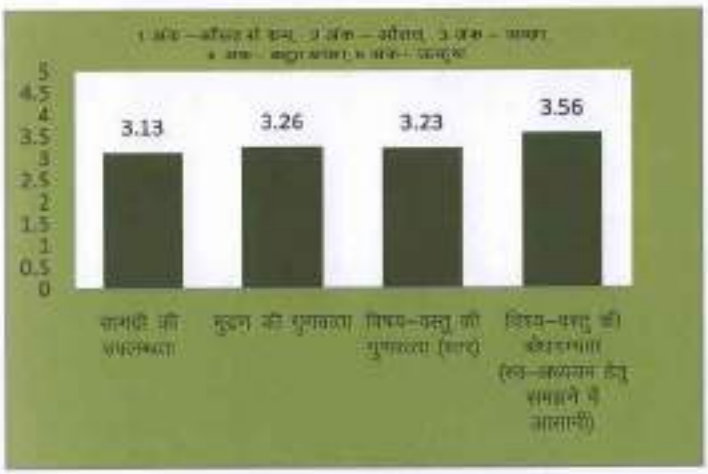

बार चित्रण क्रमांक –3.3.4 पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता

3.4 मेन्टर्स कार्य के मूल्यांकन, मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने एवं गतिविधि कराने संबंधी जानकारी

3.4.1 मेन्टर के कार्य का मूल्यांकन

मेन्टर द्वारा किये जा रहे कार्य का मूल्यांकन होता है अथवा नहीं और यदि होता है तो किसके द्वारा एवं किस प्रकिया से? यह जानकारी हासिल किये जाने पर 96% मेन्टर्स द्वारा बताया गया कि उनके कार्य का मूल्यांकन होता है। इनमें से शत–प्रतिशत ने जन अभियान परिषद् के प्रतिनिधियों द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाना बताया है। 27% द्वारा स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा मूल्यांकन किये जाने की भी बात कही गई। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना एवं उनके द्वारा इसमें सहभागिता करना ये एक सकारात्मक बिन्दु माना जा सकता है।

मूल्यांकन हेतु क्या प्रकिया अपनाई जाती है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सबसे ज्यादा 37% उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि छात्रों से मेन्टर के बारे में राय पूछकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। 18% उत्तरदाताओं ने विद्यार्थियों के फील्ड कार्य के आधार पर उनका मूल्यांकन होने की बात कही। इसके अतिरिक्त उपस्थिति पंजी, छात्रों की उपस्थिति एवं परीक्षा परिणामों के आधार पर भी मूल्यांकन होने की बात उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई है।

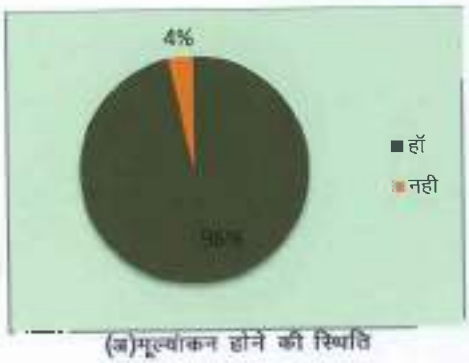

(अ)मूल्यांकन होने की स्थिति

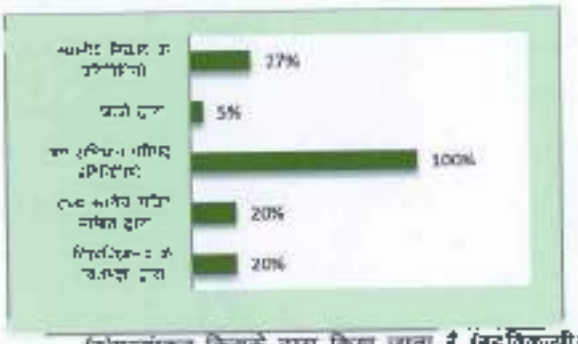

(ब)मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है (बहुविकल्पीय)

चित्रण क्रमांक -3.4.1 मेन्टर के कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

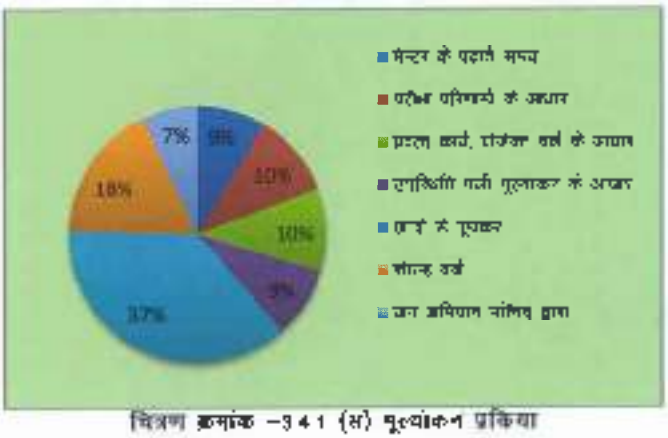

चित्रण क्रमांक –3.4.1 (अ) मूल्यांकन प्रक्रिया

3.4.2 मेन्टर द्वारा पढ़ाने / गतिविधि कराने के तरीके

(अ) कक्षा में पढ़ाने के तरीके (बहुविकल्पीय) :

मेन्टर कक्षा मे किस तरह विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसकी की जानकारी के विश्लेषण अनुसार शत–प्रतिशत ने व्याख्यान पद्धति का उपयोग किया जाना बताया, 40% द्वारा ही ऑडियो–वीडियो का उपयोग किया जाना एवं मात्र 19% ने ही ई–लेक्चर का उपयोग होना बताया है।

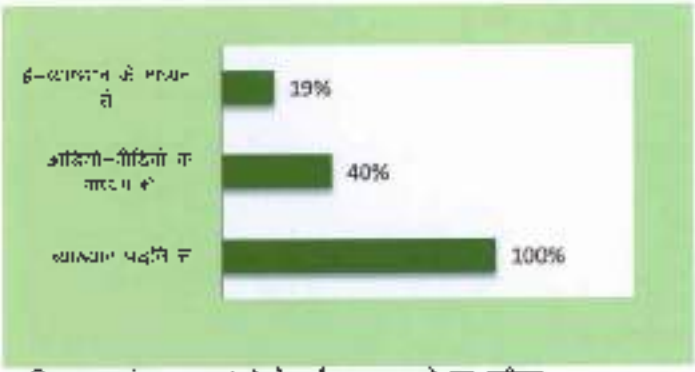

चित्रण क्रमांक –3.4.2(अ) मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का तरीका

(ब) फील्ड कार्य हेतु ग्राम चयन के तरीके :

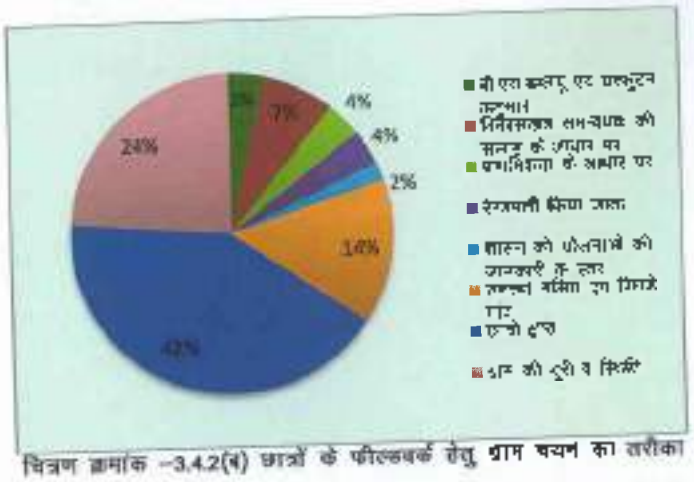

चित्रण क्रमांक –3.4.2(ब) छात्रों के फील्डवर्क हेतु ग्राम चयन का तरीका

इस पाठ्यक्रम में **'मेरा गाँव मेरी पाठशाला/प्रयोगशाला'** के आधार पर फील्ड कार्य छात्रों को वास्तविक/व्यावहारिक अनुभव दिये जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय–वस्तु के रूप में जोड़ा गया है। इसी संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि विद्यार्थियों द्वारा फील्ड कार्य करने हेतु ग्रामों का चयन किस आधार पर किया जाता है। सबसे अधिक 42% द्वारा बताया गया कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ही ग्रामो का चयन किया जाता है। 24% ने बताया कि ग्रामो की स्थिति व दूरी के आधार पर भी ग्रामों का चयन करते हैं, 14% द्वारा बताया गया कि समस्या ग्रस्त एवं पिछड़े ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाता है।

(स) फील्ड कार्य हेतु गतिविधियाँ चयन एवं कराने के तरीके :

फील्ड कार्य हेतु गतिविधियाँ कैसे चयन की जाती हैं एवं कैसे कराई जाती हैं? इसके उत्तर में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सबसे ज्यादा (26%) उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि चयनित गांव की समस्या के आधार पर, 21% द्वारा ग्रामीण सहभागिता के आधार पर एवं 19% द्वारा पाठ्यक्रम अनुसार एवं प्रदत्त कार्य के आधार पर वे गतिविधि का चयन करते हैं।

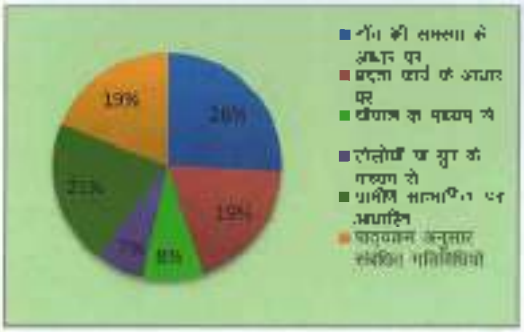

चित्रण क्रमांक –3.4.2(स) गतिविधियाँ चयन का तरीका

(द) विद्यार्थियों के मूल्यांकन के तरीके :

मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकन के क्या तरीके अपनाये जाते हैं, इस संबंध में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सबसे ज्यादा 43% ने बताया गया कि उनके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, 22% ने प्रोजेक्ट वर्क एवं 19% ने टेस्ट द्वारा मूल्यांकन किया जाने की बात कही, 4% द्वारा बताया गया कि उन्होंने मूल्यांकन ही नहीं किया है। अतः मूल्यांकन के संबंध में सभी जगहों पर एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता है।

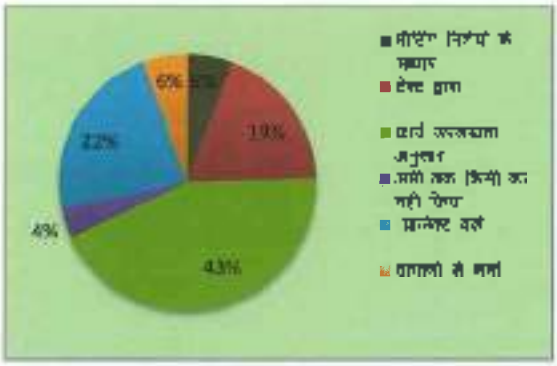

चित्रण क्रमांक –3.4.2(द) विद्यार्थियों के मूल्यांकन की विधि

3.4.3 मेन्टर द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं कक्षा में सक्रिय सहभागिता की स्थिति

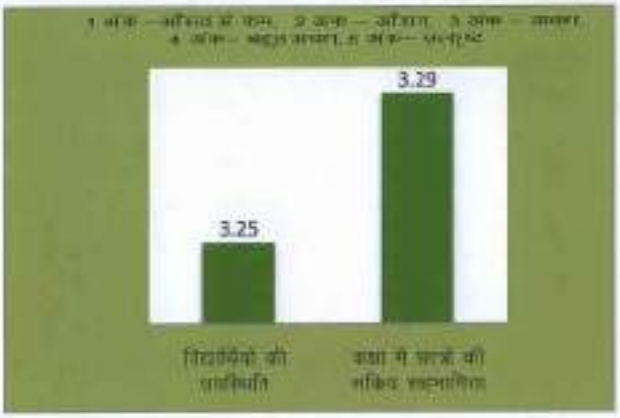

बार चित्रण क्रमांक –3.4.3 विद्यार्थियों की उपस्थिति का आकलन

अध्ययनित मेन्टर्स से कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं कक्षा में सक्रिय सहभागिता के बारे मे पूछकर उसे अंक देने हेतु कहे जाने पर उपस्थिति को 3.25 अंक एवं 3.29 अंक, दिये गये हैं, जो कि अच्छा श्रेणी के ही करीब माने जा सकते है, दिये गये हैं।

इस संबंध में आगे मेन्टर्स को कोर्स संचालन में आने वाली समस्याओं के विश्लेषण में भी छात्रों की उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता का मुद्दा एक बिन्दु के रूप मे उभरकर आया है। इसमें दो पहलू हो सकते हैं एक तो सचमुच छात्रों की सहभागिता एवं उपस्थिति का मुद्दा चिंता जनक होना अथवा दूसरा पहलू मेन्टर्स का स्वयं का विषय को पढ़ाने एवं कक्षा संचालन का तरीका भी महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। क्योंकि बिलकुल यही बात विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु लिये गये सुझावों में निकलकर आई है कि मेन्टर्स की गुणवत्ता बढ़ाई जाए एवं उनके द्वारा वास्तविक कार्य कराकर पढ़ाया जाए। इस संबध में गहराई से आगे अध्ययन कराया जा सकता है।

3.5 मेन्टर्स को आने वाले समस्याएं एवं मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

3.5.1 मेन्टर कार्य में आने वाली समस्याएं

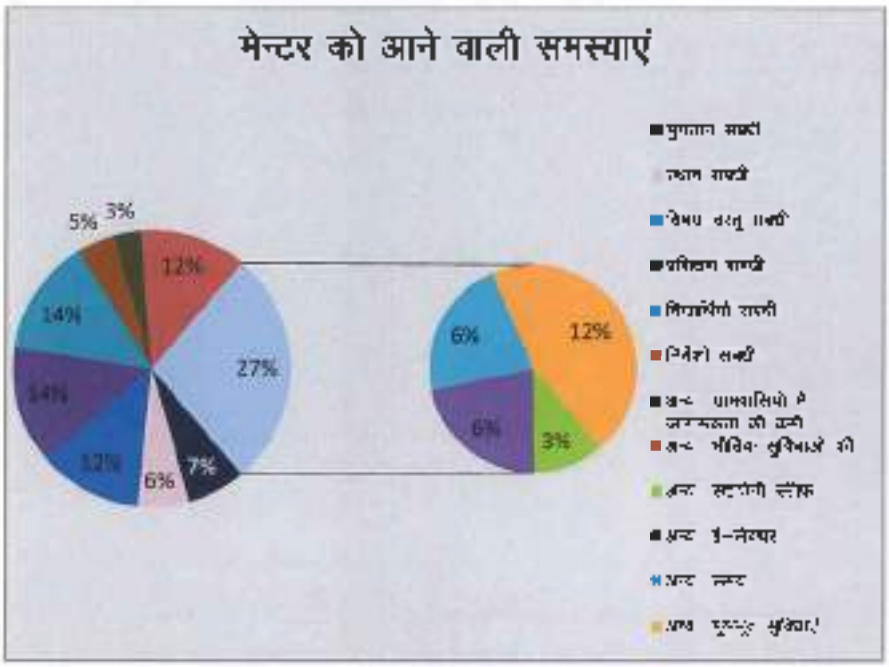

चित्रण क्रमांक –3.5.1 मेन्टर्स को आने वाली समस्याए

मेन्टर का कार्य करने में किस तरह की समस्याएं आ रही है की जानकारी लिये जाने पर स्वतंत्र रूप से– प्रशिक्षण (14%), विषय–वस्तु संबंधी (12%), विद्यार्थियो के सहयोग संबंधी (14%) –उपस्थिति, समझ के स्तर संबंधी एवं निर्देशो संबंधी समस्याएं मुख्य रूप से निकलकर आई है। सबसे ज्यादा प्रतिशत 27% अन्य समस्याओ का है, जिसमे– भौतिक सुविधाओं (12%), गुणवत्ता सुविधाओं (12%), समय की पाबंदी (6%), ई–लेक्चर (6%), ग्रामवासियों मे जागरूकता की कमी (3%), सहयोगी स्टॉफ की कमी (3%) जैसे बिन्दु निकलकर आए हैं।

3.5.2 मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

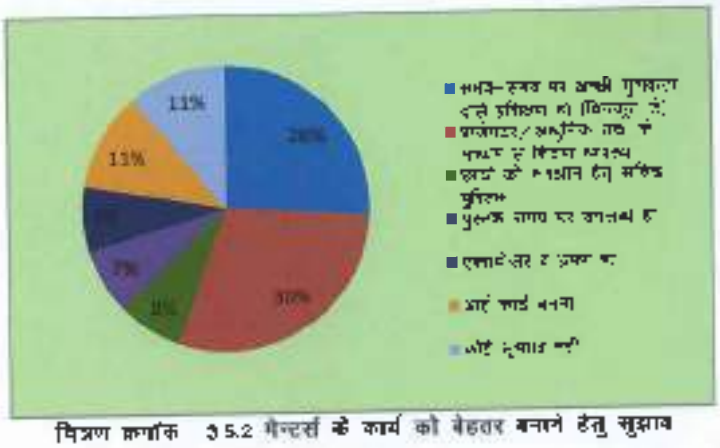

चित्रण क्रमांक 3.5.2 मेन्टर्स के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

मेन्टर के कार्य को और प्रभावी एवं बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इस बारे में पूछे गये प्रश्न के जवाब मे सबसे ज्यादा 30% ने प्रोजेक्टर/आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने एवं शिक्षण व्यवस्था किये जाने की बात कही। इसके बाद 26% द्वारा अच्छी गुणवत्ता के एवं निश्चित समय अंतराल मे प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की बात कही गई है। यह प्रतिशत पूर्व में विश्लेषित बिन्दुओ – प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सचालन हेतु प्राप्त सामग्री को अंक दिये जाने, पढाने में प्रशिक्षण की उपयोगिता, प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण अवधि में उल्लेखित तथ्यों को पुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त आई कार्ड बनाया जाना (11%), एक्सपोजर भ्रमण (प्रशिक्षण/कोर्स सचालन के दौरान) (7%), पुस्तकों की समय पर उपलब्धता (7%) आदि मुख्य सुझाव निकलकर आए हैं।

है? इस बारे में पूछे
माध्यम से प्रशिक्षण
द्वारा अच्छी गुणवत्ता
त कहीं गई है। यह
म संचालन हेतु प्राप्त
देने वाली संस्था एवं
इं कार्ड बनाया जाना
स्तकों की समय पर

3.6 विद्यार्थियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

3.6.1(अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण

अध्ययनित विद्यार्थियों से यह पूछे जाने पर कि उन्होंने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश क्यों लिया, तो 80% ने स्वयं की इच्छा से प्रवेश लेना बताया। शेष 20% विभाग द्वारा नामांकित किये गए व्यक्ति हैं।

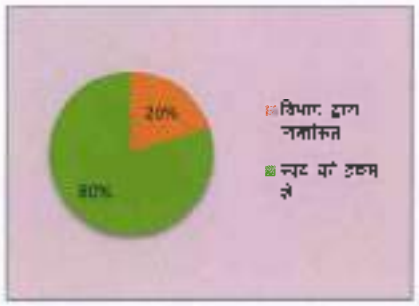

चित्रण क्रमांक –3.6.1 (अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण

(ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति

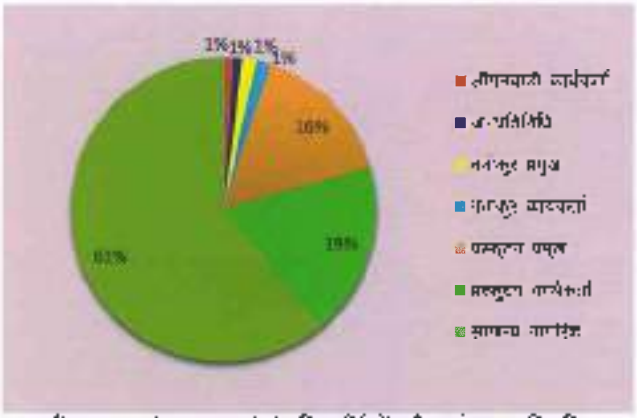

चित्रण क्रमांक –3.6.1(ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति

पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी वर्तमान में क्या करते है। यह जानकारी लिये जाने पर हुआ बड़ा सकारात्मक बिन्दु निकलकर आया 61% विद्यार्थी सामान्य नागरिक की श्रेणी के एवं

3.6 विद्यार्थियों से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु

3.6.1(अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण

अध्ययनित विद्यार्थियो से यह पूछे जाने पर कि उन्होने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश क्यों लिया, तो 80% ने स्वयं की इच्छा से प्रवेश लेना बताया। शेष 20% विभाग द्वारा नामांकित किये गए व्यक्ति हैं।

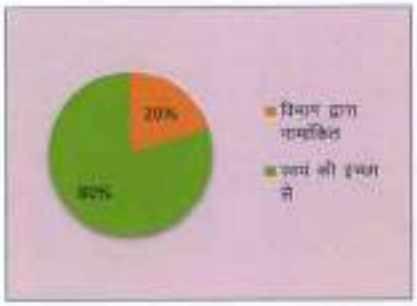

चित्रण क्रमांक –3.6.1 (अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण

(ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति

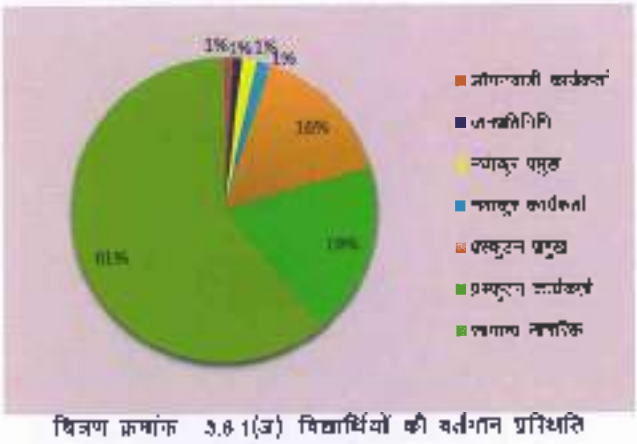

चित्रण क्रमांक 3.6.1(ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति

पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी वर्तमान में क्या करते है। यह जानकारी लिये जाने पर बहुत बड़ा सकारात्मक बिन्दु निकलकर आया 81% विद्यार्थी सामान्य नागरिक की श्रेणी के एवं

1% जन प्रतिनिधि हैं। शेष में 16% प्रस्फुटन प्रमुख, 19% प्रस्फुटन कार्यकर्ता है एवं अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नवाकुर कार्यकर्ता, नवांकुर प्रमुख हैं।

(स) विद्यार्थियों द्वारा अटैण्ड की गई कक्षाओं की संख्या

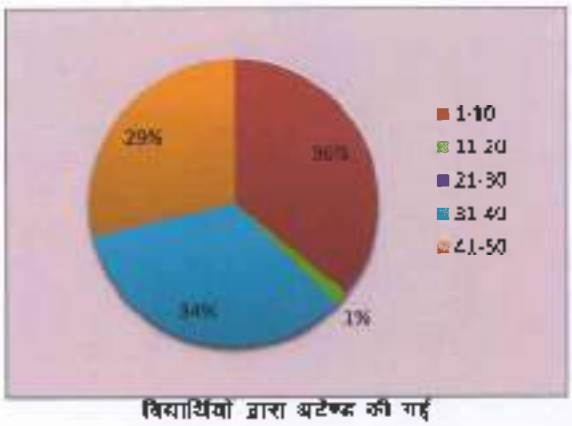

विद्यार्थियों द्वारा अटेण्ड की गई

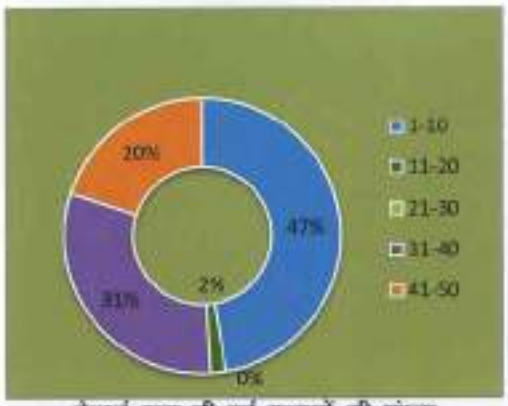

मेन्टर्स द्वारा ली गई कक्षाओं की संख्या

चित्रण क्रमांक -3.6.1(स) विद्यार्थियों द्वारा अटेण्ड की गई / मेन्टर्स द्वारा ली गई कक्षाओं की संख्या

विद्यार्थियों द्वारा कितनी कक्षाएं साल भर में अटैण्ड की गई है, एवं मेन्टर्स द्वारा ली गई कक्षाओं के संबध में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार 34% द्वारा 41–50, 29% द्वारा 31–40 एवं 36% द्वारा 1–10 कक्षाएं अटेण्ड करने की बात कही गई है।

3.6.2 उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता

बार चित्रण में अंकित अनुसार 5 बिन्दुओं पर अध्ययनित विद्यार्थियों से उन्हें प्राप्त अध्ययन सामग्री को 1–5 अंक देकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। उत्तरदाताओ द्वारा दिये गये अंकों का औसत निकाले जाने पर जानकारी के विश्लेषण अनुसार विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा अंक (3.12) विषय–वस्तु की गुणवत्ता को, फिर स्व–अध्ययन के संदर्भ में (समझने हेतु) विषय–वस्तु की बोधगम्यता एवं व्यावहारिक उपयोग हेतु विषय–वस्तु की सार्थकता को लगभग समान (3.05–3.07) अंक दिये गये। सबसे कम अंक (2.91–2.76) सामग्री

की उपलब्धता एवं मुद्रण की गुणवत्ता को दिये गये।

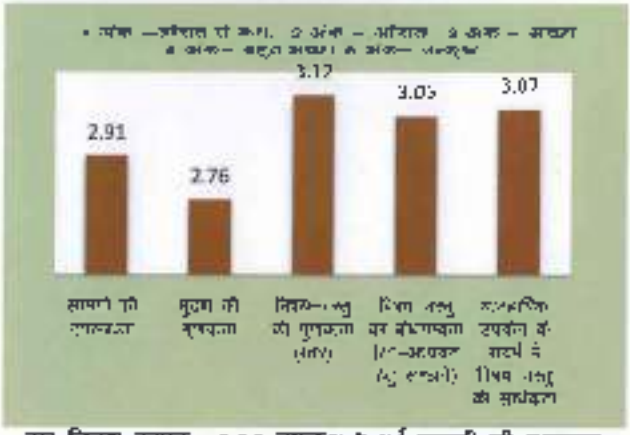

बार चित्रण क्रमांक –3.6.2 उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता

3.7 पाठ्यक्रम एवं अध्ययन केन्द्र के बारे में जानकारी

3.7.1 पाठ्यक्रम के विषयों के बारे में विद्यार्थियों की जानकारी का स्तर

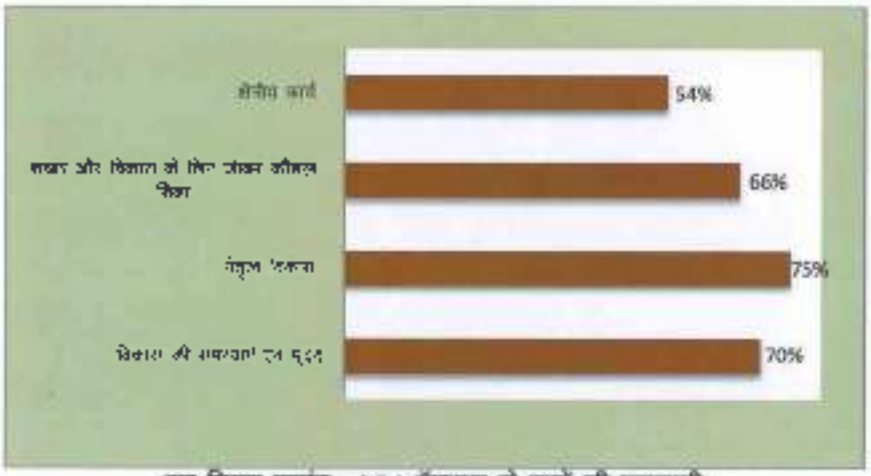

बार चित्रण क्रमांक –3.7.1 मॉड्यूल के नामों की जानकारी

विद्यार्थियो को विषयों के नाम भी पता हैं या नहीं, ताकि पाठ्यक्रम के प्रति उनकी गंभीरता को जाना जा सके, यह जानने हेतु विद्यार्थियों से मॉड्यूल के नाम पूछे गये थे। सबसे

ज्यादा 75% उत्तरदाताओं द्वारा नेतृत्व विकास का नाम, 70% उत्तरदाताओं द्वारा विकास की समस्याएं एवं मुद्दे का नाम बताया गया। क्षेत्रीय कार्य के बारे में सबसे कम 54% उत्तरदाताओं ने बताया। पाठ्यक्रम के लिए यह एक सकारात्मक बिन्दु है कि कम–से–कम 60% और 60% से कहीं अधिक उत्तरदाताओं को विषय के नाम तो पता है।

3.7.2 संपर्क कक्षाओं में पढ़ाए जाने का तरीका (बहुविकल्पीय)

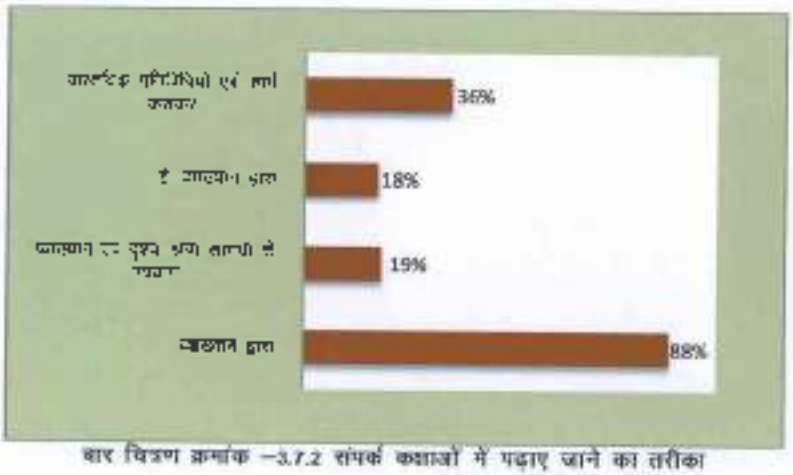

बार चित्रण क्रमांक –3.7.2 संपर्क कक्षाओं में पढ़ाए जाने का तरीका

अध्ययनित विद्यार्थियों से पूछे जाने पर कि संपर्क कक्षाओं में मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का क्या तरीका अपनाया जाता है (ताकि मेन्टर्स और विद्यार्थियों के जवाबों का मिलान कर सटीक निष्कर्ष निकाला जा सके)। 88% द्वारा व्याख्यान पद्धति के बारे मे बताया गया। 36% ने वास्तविक गतिविधियों एवं कार्य कराकर पढ़ाये जाने की बात भी कही है। यह प्रतिशत मंडला, धार, खरगोन, देवास, टीकमगढ़, ग्वालियर, विदिशा, मंदसौर एवं हरदा के कुछ केन्द्रों पर है। ई–व्याख्यान एवं दृश्य–श्रव्य सामग्री के उपयोग की बात बहुत कम प्रतिशत में निकलकर आई कुछ ही जिलों (शहडोल, मंडला, धार) निकलकर आई है।

3.7.3 सबसे अधिक पसंद का विषय

विद्यार्थियों से उनकी रूचि का पता लगाने हेतु पूछा गया कि उन्हें सबसे अधिक

कौनसा विषय पसंद है एवं क्यों। इसके जवाब के विश्लेषण अनुसार सबसे अधिक 36% विद्यार्थियों को नेतृत्व विकास, उसके बाद 16% को विकास की समस्याएं एवं मुद्दे तथा संचार एवं जीवन कौशल विषय सबसे अधिक पसंद हैं।

विषय पसंद होने के मुख्य कारण :
नेतृत्व गुण के बिना विकास के लिए कार्य नहीं कर सकते, आत्मविश्वास बढ़ता है, रूचिकर है, समस्याओं के बारे में समझने को मिलता है, कैसे कार्य करना है ये जागरूकता आती है, दी गई कहानियों के माध्यम से कार्य करने हेतु मार्गदर्शन मिलता है, लोगों को जागरूक करने के तरीके मालूम होते हैं, संचार के बारे में जानकारी मिलती है, विकास को संचार से कैसे जोड़ते हैं उन तरीकों के बारे में पता चलता है आदि।

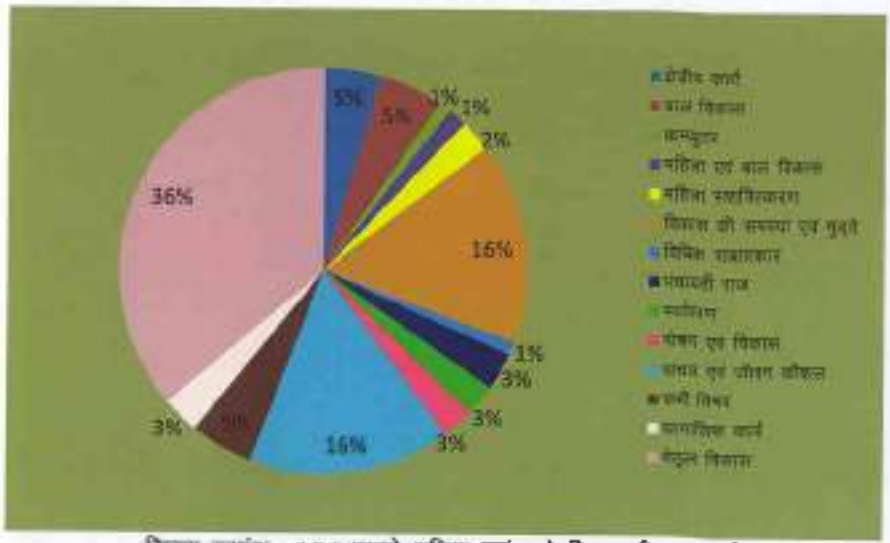

चित्रण क्रमांक –3.7.3 सबसे अधिक पसंद के विषय की जानकारी

3.7.4 मेन्टर्स द्वारा दिये गये मार्गदर्शन का आंकलन

विद्यार्थियों से मेन्टर्स द्वारा कक्षा संचालन के दौरान दिये गये मार्गदर्शन का आंकलन करने हेतु कहे जाने पर क्रमशः 18% एवं 19% विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट एवं बहुत अच्छा श्रेणी में आकलन किया है। सबसे अधिक 41% ने अच्छा श्रेणी में आंकलन किया है, जो कि सुधार की अभी बहुत गुंजाईश बाकी है, की ओर संकेत करता है। 6% द्वारा औसत (छतरपुर, ग्वालियर, खरगोन, सीधी, सिवनी, हरदा) एवं 4% द्वारा औसत से कम (छतरपुर) आंकलन करना मेन्टर्स एवं

प्रशिक्षण की गुणवत्ता के प्रति चिंता पैदा करता है।

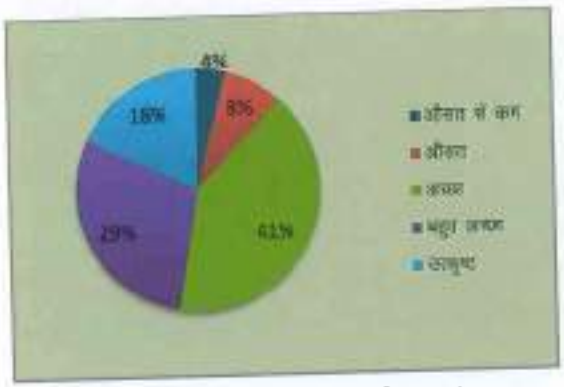

चित्रण क्रमांक –3.7.4 परामर्शदाताओं का आंकलन

3.7.5 अध्ययन केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं उनके स्तर के बारे में जानकारी

क्र.	विवरण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	औसत से कम	जवाब नहीं
1	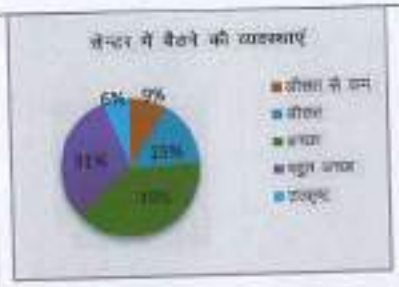	6%	31%	39%	15%	9%	
2		11%	31%	32%	13%	13%	

3			11%	33%	25%	20%	11%	
4	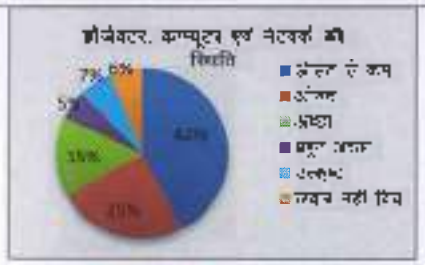		7%	5%	15%	25%	42%	6%
5			9%	13%	45%	14%	19%	
6		हाँ— 37% एवं नहीं 60%						3
7			16%	29%	38%	11%	6%	

अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण पर एक नज़र डाले तो कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं नेटवर्क की स्थिति, पुस्तकालय की व्यवस्था (जो कि मेन्टर्स के सुझावों में भी आया है) शौचालय एवं उसमें पानी का इंतजाम तथा पीने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिये जाकर बेहतर किये जाने की आवश्यकता है।

3.7.6 विद्यार्थियों के सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति

जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संचार एवं संपर्क को आधुनिक तकनीक ने बहुत सरल बना दिया है। पाठ्यक्रम के संदर्भ में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं इसे जानने के लिए ही विद्यार्थियों से पूछा गया कि क्या सोशल साइट्स पर उनके समूह बने हैं? 61% विद्यार्थियों द्वारा हाँ में जवाब दिया गया। ये दर्शाता है कि आज के परिदृश्य में सबसे निचले स्तर तक भी लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल प्रारंभ कर चुके हैं।

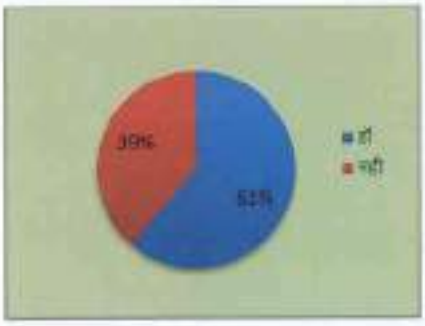

चित्रण क्रमांक –3.7.6 सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति

3.8 विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र कार्य के बारे में जानकारी

3.8.1 विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में सैद्धान्तिक विषयों के साथ–साथ क्षेत्र कार्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि विद्यार्थियों को थ्योरी पढ़ने के अतिरिक्त वास्तव

ग भी कार्यानुभव हो सके। इसे ही ध्यान में रखकर अध्ययनित विद्यार्थियों से पूछा गया कि क्या उनके द्वारा क्षेत्र कार्य किया गया है, 78% विद्यार्थियों द्वारा हाँ में जवाब दिया गया। नहीं वाले जिले जहां कई विद्यार्थियों ने क्षेत्र कार्य नहीं किया है– छतरपुर, ग्वालियर, हरदा, सिवनी, शहडोल, देवास, मंदसौर एवं श्योपुर

विद्यार्थियों से पूछे जाने पर क्षेत्र कार्य कैसे किया जाना है, क्या इस बारे में उन्हें संपर्क कक्षाओं में बताया गया है? 79% ने हाँ मे जवाब दिये 13% ने नही में (छतरपुर, देवास, मंदसौर, हरदा एवं ग्वालियर के कुछ केन्द्र) एवं 8% ने जवाब ही नही दिये।

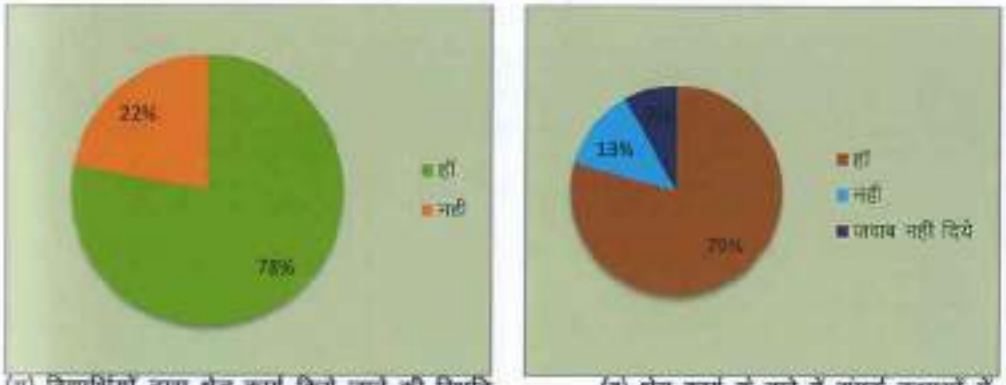

(अ) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति

(ब) क्षेत्र कार्य के बारे में संपर्क कक्षाओं में बताये जाने की स्थिति

चित्रण क्रमांक –3.8.1 क्षेत्र कार्य करने एवं उसके बारे में कक्षा में बताये जाने की स्थिति

3.8.2 क्षेत्र कार्य किस प्रकार एवं किन विषयों पर किया गया

क्षेत्र कार्य किस तरह किया गया एव किन विषयों पर किया गया, के जवाब में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सबसे ज्यादा 43% विद्यार्थियों ने ग्रामवासियों को एकत्रित कर सहभागिता से कार्य किया, 18% ने संबंधित विषय पर लोगों को जागरूक करने, 15% एवं 10% ने क्रमशः सर्वे एवं जनसंपर्क का कार्य किया। परिषद एवं चित्रकूट विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा चर्चा में लगभग इसी तरह की कार्यविधि क्षेत्र कार्य हेतु बताई गई।

सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा साक्षरता (29%), स्वच्छता (25%), स्वास्थ्य (17%) एवं पर्यावरण (14%) पर कार्य किये गये. कुछ विद्यार्थियों द्वारा नदी संरक्षण, गाँव के विकास एवं समस्याएं जैसे विषयों पर भी कार्य किया गया है।

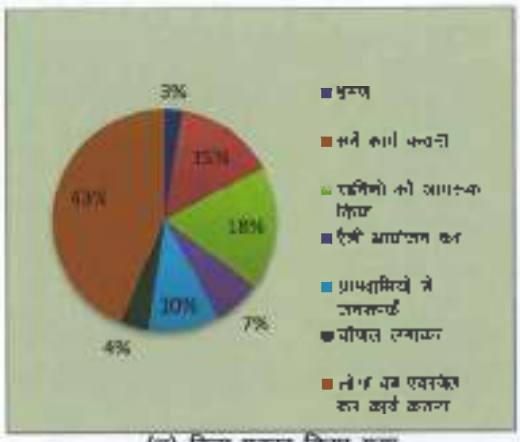

(अ) किस प्रकार किया गया

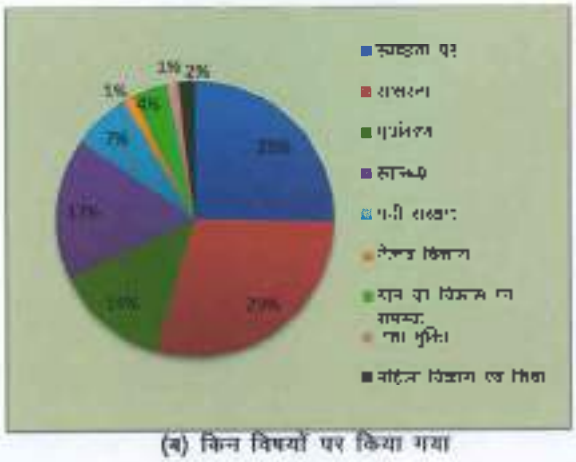

(ब) किन विषयों पर किया गया

चित्रण क्रमांक –3.8.2 क्षेत्र कार्य किस तरह एवं किन विषयों पर किया गया

3.8.3 विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

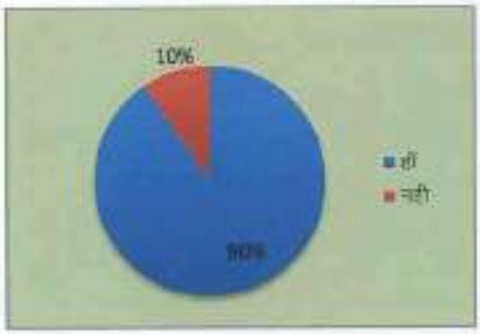

(अ) मूल्यांकन किये जाने की स्थिति

(ब) मूल्यांकन किस प्रकार किया गया

चित्रण क्रमांक 3.8.3 क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य का मूल्यांकन किया जाता है अथवा नहीं, यदि किया जाता है तो किस तरह किया जाता है, कि जानकारी क्षेत्र कार्य करने वाले विद्यार्थियों से लिये जाने पर 90% द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र कार्य का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन

किस प्रकार किया गया है, के संबंध में 41% उपस्थिति (ग्राम में की गई गतिविधि के फोटो एवं पेपर कटिंग) एवं अभिरूचि, 31% ग्रामीणो से चर्चा कर, प्रोजेक्ट वर्क को देखकर (14%) मूल्यांकन किया जाना बताया गया।

3.8.4 क्षेत्र कार्य करने की उपयोगिता एवं इससे विद्यार्थियों को होने वाले अनुभव

क्षेत्र कार्य करने से विद्यार्थियों को क्या अनुभव हुआ जानने पर सभी विद्यार्थियों से बहुत ही सटीक एवं सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 52% के द्वारा कार्य के प्रति जागरूकता (क्षेत्र कार्य के रूप में किये जाने वाले कार्य के साथ–साथ अन्य कार्यों) आने की बात कही गई, 18% ने बताया कि इससे उन्हें अपनी बात लोगो को समझाना आया, 12% ने स्वयं मे आत्मविश्वास आने की बात कही, 3% द्वारा नेतृत्व क्षमता विकसित होने की बात कही गई। हालांकि अन्य चारों बिन्दु भी अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व क्षमता के गुणों का ही हिस्सा हैं। **इससे क्षेत्र कार्य कराये जाने का उद्देश्य पूर्ण होने के साथ–साथ उसकी सार्थकता एवं उपयोगिता प्रमाणित होती है।**

चित्रण क्रमांक –3.8.4 क्षेत्र कार्य की उपयोगिता

3.8.5 पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं इसके कारण

अध्ययनित विद्यार्थियों से पूछे जाने पर कि कोर्स उन्हें उपयोगी लगा अथवा नहीं और उपयोगी लगता है तो क्यों के जवाब में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार 96% अनुसार कोर्स

को बहुत उपयोगी होना बताया गया, इसमें वे 20% विद्यार्थी जिन्हें विभाग द्वारा नामांकित किया गया था, (विश्लेषण चित्रण क्र. 3.6.1) भी शामिल है। ऐसे विद्यार्थियों को भी कोर्स उपयोगी लगना संचालित कोर्स की सफलता की ओर संकेत करता है। इसमें कोर्स की उपयोगिता भी सिद्ध होती हैं।

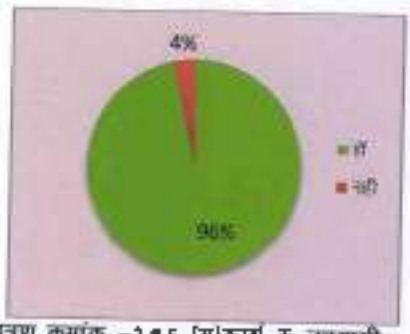

चित्रण क्रमांक –3.8.5 (अ)कोर्स के उपयोगी लगने के संबंध में अभिमत

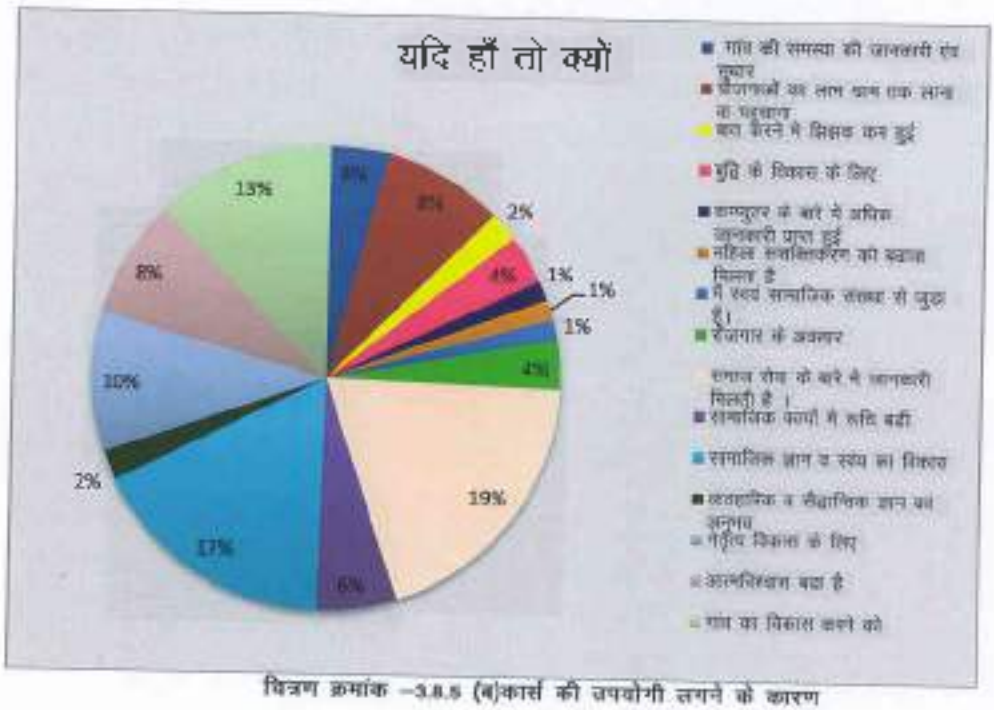

चित्रण क्रमांक –3.8.5 (ब)कोर्स की उपयोगी लगने के कारण

इसी में आगे विद्यार्थियों से यह पूछे जाने पर कि कोर्स क्यों उपयोगी लगा सबसे ज्यादा

19%, 17%, एवं 13% उत्तरदाताओं द्वारा क्रमशः समाज सेवा के बारे में जानकारी मिलना, सामाजिक ज्ञान एवं स्वयं का व्यक्तित्व विकास होना एवं गांव के विकास के बारे में समझ विकसित होना बताया गया।

3.8.6 कोर्स को आगे तक जारी रखने की स्थिति

इस पाठ्यक्रम में 01 साल का कोर्स पूरा करने पर प्रमाण–पत्र, 02 साल का कोर्स पूरा करने पर डिप्लोमा एवं पूरे 03 साल का कोर्स पूरा करने पर स्नातक की उपाधि दिये जाने का प्रावधान है। इसी संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने विद्यार्थी कोर्स को आगे जारी रखेंगें और यदि रखेंगे तो क्यों। यह जानकारी लिये जाने पर 96% उत्तरदाताओं द्वारा कोर्स को आगे तक बने रहने की बात कही। क्यों के जवाब में इन 96% में से 95% ने कोर्स का बहुत उपयोगी होना, 1% ने विभागीय बाध्यता की बात कहीं। कोर्स को आगे जारी नहीं रखने वाले वे ही उत्तरदाता हैं (ग्वालियर, मंदसौर, छतरपुर एवं सिवनी) जिन्होंने कोर्स को उपयोगी नहीं बताया है।

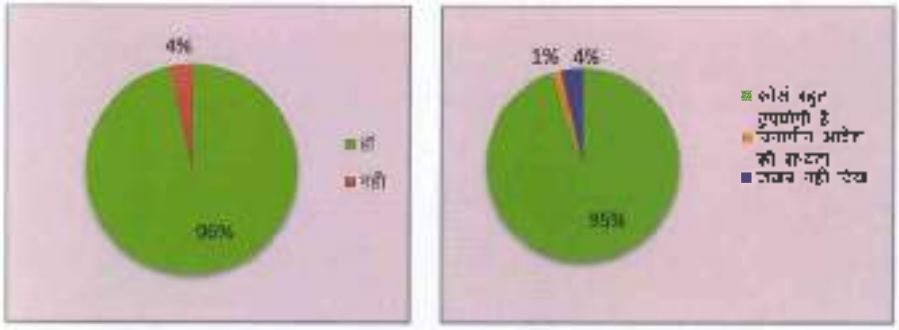

(अ) कोर्स में अध्ययन जारी रखें जाने की स्थिति

(ब) कोर्स के अध्ययन का मूल्यांकन किये जाने की स्थिति

चित्रण क्रमांक –3.8.6 क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

3.8.7 संपर्क कक्षाओं के दिन एवं समय के संबंध में अभिमत

सपर्क कक्षाएं प्रत्येक रविवार को पूरे दिन लगती हैं। संपर्क कक्षाओं के दिन एवं समय विद्यार्थियों के हिसाब से सुविधाजनक हैं अथवा नहीं, यह जानकारी लिये जाने पर 97% को निर्धारित दिन एवं समय में कोई आपत्ति नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता

है कि इसमें 96% लगभग सामान्य नागरिक हैं एवं 64% पुरुष हैं। मात्र 3% के अनुसार दिन एवं समय सुविधाजनक नहीं है।

चित्रण क्रमांक –3.8.7 संपर्क गतिविधियों के बारे में अभिमत

3.9 अध्ययन केन्द्र में उपलध सुविधाओं में सुधार/सुधार हेतु सुझाव की जानकारी

3.9.1 अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की स्थिति हेतु सुझाव

(अ) अध्ययन केन्द्र में सुधार की आवश्यकता

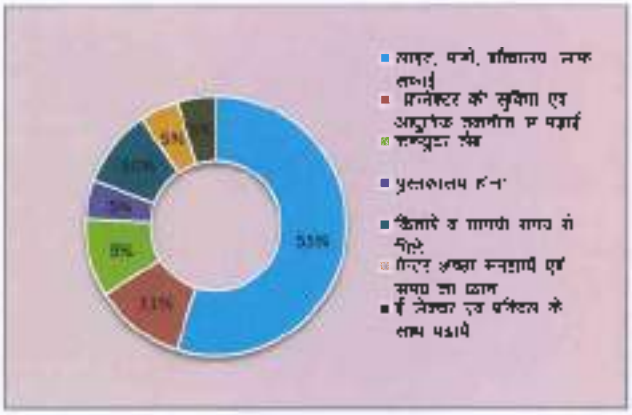

(ब) सुधार हेतु सुझाव

चित्रण क्रमांक –3.9.1 अध्ययन केन्द्र में सुधार हेतु अभिमत

विद्यार्थियों से पूछे जाने पर कि क्या अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की कोई आवश्यकता है, 37% उत्तरदाताओं द्वारा हाँ में जवाब दिया गया। यदि हाँ तो

किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है, के जवाब में सबसे ज्यादा 55% ने लाईट, पानी, शौचालय, साफ–सफाई की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया। शेष ने प्रोजेक्टर की सुविधा एवं आधुनिक तकनीक से पढ़ाई, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय की व्यवस्था, ई–लेक्चर, पुस्तकें एवं सामग्री समय से उपलब्ध होना एवं मेन्टर द्वारा अच्छे से समझाया जाना एवं समय से आना जैसे बिन्दुओं का उल्लेख किया है।

3.10 पाठ्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अभिमत

'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम' सभी जिलों एवं विकासखंडों में संचालित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ही ग्राम स्तर पर ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो ग्राम विकास एवं शासन–प्रशासन के बीच में सेतु का कार्य कर सही नेतृत्व कर सके। जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का मैदानी स्तर पर बेहतर कियान्वयन करने हेतु गांव के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले लोगों की हमेशा आवश्यकता रहती है, इसी संदर्भ में अध्ययनित जिलों के कुछ जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में कितनी जानकारी है एवं समाज पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, वे इस बारे में क्या राय रखते हैं।

3.10.1 अध्ययनित कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)

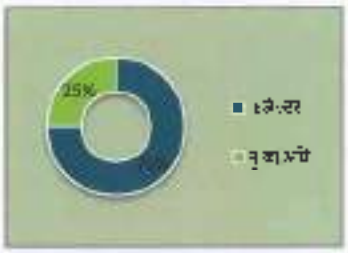

चित्रण क्रमांक –3.10.1 अध्ययनित कलेक्टर एवं मु.का. अधि.

03 जिला कलेक्टर एवं 01 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (दो ज़िलों के बारे में) से संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से चर्चा की गई।

3.10.2 पाठ्यक्रम संचालन के बारे में जानकारी

अध्ययनित उत्तरदाताओं में शत–प्रतिशत को जिले में मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम संचालित होने की जानकारी है। इनमें से 03 उत्तरदाताओं द्वारा कक्षाओं का संचालन भी देखा गया है। ये जिले के अन्दर समन्वय को प्रदर्शित करता है।

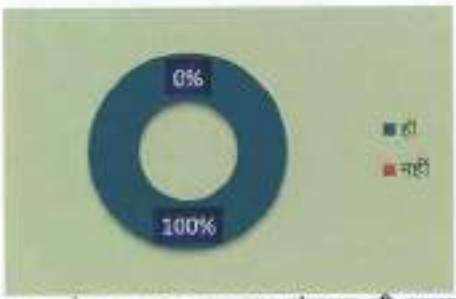

चित्रण क्रमांक –3.10.2 पाठ्यक्रम संचालन की जानकारी

3.10.3 पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत

चित्रण क्रमांक –3.10.3 पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत

अध्ययनित उत्तरदाताओं से पूछा गया कि पाठ्यक्रम समाज के लिए कितना उपयोगी है एवं इसमें क्या कोई सुधार की गुंजाईश है। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये अभिमत को

तीन मुख्य बिन्दुओं में विभक्त कर दिया गया। समग्र रूप मे यदि देखा जाए तो उत्तरदाताओं द्वारा समाज एवं प्रशासन के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बताया गया, लेकिन इसके साथ यह भी चिंता जताई कि अन्य विभाग इसका किस तरह सार्थक उपयोग कर पाते हैं, विभाग की इसमें आगे क्या रणनीति रहेगी, विशेषकर मॉनिटरिंग का बहुत अधिक सशक्त एवं निर्धारित मापदण्डों पर करना होगा एवं इस सबसे भी महत्वपूर्ण है मेन्टर्स की गुणवत्ता बढ़ाई जाना/उनके चयन के तरीके से तथा प्रशिक्षण से जो भी उचित हो। जिन उत्तरदाताओं ने काफी देर रूककर कक्षा संचालन देखा है, उनके अनुसार मेन्टर्स के ज्ञान एवं जानकारी में अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, उनकी गुणवत्ता का स्तर अभी उतना अच्छा नहीं है।

—0—

अध्याय चार

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

4.1 निष्कर्ष

मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम वर्ष के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम हेतु चयनित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम मे प्रवेश का आशय/मंशा जानना, संपर्क कक्षाओं हेतु चयनित अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की स्थिति का जानना, कक्षाओं के संचालन, पाठ्यक्रम विषय–वस्तु, एव पढ़ाने की विधि के बारे मे मेन्टर्स/विद्यार्थियो का फीडबेक/अभिगत एवं उन्हें आने सगरयाओं (यदि आ रही हैं तो) को जानना।

जन अभियान परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम/कोर्स संबंधी कुछ जानकारी/आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं जिनसे कई बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाले जाने में सहयोग एवं दिशा मिली है।

4.1.1 पाठ्यक्रम के संबंध में ग्रामवासियों में जानकारी का स्तर

- अध्ययन में चयनित ग्रामों के 755 ग्रामवासिगों से चर्चा की गई, जिसमें सभी जाति, आयु वर्ग एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगो का प्रतिनिधित्व था। अध्ययनित उत्तरदाताओ में से मात्र 19% उत्तरदाताओं को ही पाठ्यक्रम संचालन की जानकारी है।

4.1.2 उत्तरदाताओं की लिंगवार, जातिवार, आयुवार एवं शैक्षिक जानकारी

- अध्ययनित मेन्टर्स में 19% महिलाएं एवं विद्यार्थियों में 36% महिलाएं ही हैं।
- मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों में वैसे तो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन मेन्टर्स मे सामान्य जाति के सबसे ज्यादा 51% एव दूसरे नबंर पर 33% अ.पि.वर्ग के उत्तरदाताओं संख्या है।

- विद्यार्थियों में अनु.जाति के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे कम 11% है इसका एक कारण अध्ययन सेम्पल में ऐसे जिले होना भी हो सकता है, जहां अनु. जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कम है।
- मेन्टर्स में सबसे ज्यादा संख्या 58% 31–40 आयुवर्ग के लोगों की है। इस आयुवर्ग के पास ज्ञान के साथ–साथ अनुभव, साथ ही विद्यार्थियों के साथ उम्र में ज्यादा अंतर न होने के कारण उनके साथ मित्रवत् व्यवहार कर तादातम्य बिठाने का कौशल भी होता है, जो विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि 2 मेन्टर्स ने कोई जवाब नहीं दिया।
- विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा 72% संख्या 18–30 आयुवर्ग के विद्यार्थियों की है। यह आयुवर्ग विश्व में सबसे उत्पादक आयुवर्ग माना जाता है। गॉव के वास्तविक विकास के नजरिये से यह भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खजाना साबित हो सकता है। यदि इनके द्वारा इस पाठ्यक्रम की शिक्षा को गंभीरता से लिया जाता है एवं मेन्टर्स द्वारा सही तरीके से इनका मार्गदर्शन किया जाता है तो!
- मेन्टर्स की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किये जाने पर 86% स्नातकोत्तर एवं 10% पीएच. डी. हैं जो कि मेन्टर्स के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता के अनुरूप ही है। 2% मेन्टर्स स्नातक भी हैं।
- विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या 43% स्नातक योग्यता धारीयों की एवं 12वीं पास विद्यार्थियों की 35% है।

4.1.3 मेन्टर्स चुने जाने हेतु अपनाई चयन प्रकिया संबंधी जानकारी

- अध्ययनित मेन्टर्स में से 68% ने विज्ञापन के माध्यम से चयन किये जाने की बात कही है जबकि 7% ने सीधे विभाग द्वारा नामांकित किया जाना एवं 12% ने योग्यता, मेरिट एवं अनुभव के आधार पर चुना जाना बताया, 9% द्वारा जवाब नहीं दिया गया। विज्ञापन के

माध्यम से चयनित उत्तरदाताओं में से कुछ ने अगले चरण में साक्षात्कार, कुछ ने अनुभव एवं कुछ ने योग्यता को चयन का आधार बताया।

- अध्ययनित मेन्टर्स मे सबसे ज्यादा 44% मेन्टर्स का अनुभव शिक्षा क्षेत्र में है। सामाजिक क्षेत्र में अनुभव वाले 22% मेन्टर्स हैं, 12 मेन्टर्स स्वास्थ्य देखभाल, 7–7 मेन्टर्स पोषण एवं महिला सशक्तिकरण क्षेत्र का अनुभव रखने वाले एवं शेष अशा. संस्थाओं का अनुभव रखने वाले हैं।

4.1.4 मेन्टर्स के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी

(अ) प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति :

- अध्ययनित शत–प्रतिशत मेन्टर्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह धनात्मक पहलू है।
- उत्तरदाताओं के जवाब प्रशिक्षण अवधि में भिन्नता पाई गई। प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार 54% उत्तरदाताओं द्वारा प्रशिक्षण अवधि 1–5 दिन बताई गई, जबकि 35% द्वारा 6–10 दिन के प्रशिक्षण लेने की जानकारी दी गई। भिन्नता का कारण जन अभियान परिषद एवं चित्रकूट विश्वविद्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा बताए अनुसार अनु. ज.जा.विकासखंडों मे मेन्टर्स के प्रशिक्षण की अवधि 10 दिवस एवं शेष 224 गैर अनु.ज. जा. विकासखंडों मे 05 दिवस की प्रशिक्षण अवधि निर्धारित है।

(ब) प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता संबंधी

- प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की उत्तरदाताओं से मुद्रण की गुणवत्ता, विषय–वस्तु की गुणवत्ता एवं विषय–वस्तु की बोधगम्यता एवं प्रशिक्षक द्वारा विषय–वस्तु समझाये जाने की कला को 1–5 अंकों के बीच अंक देने हेतु कहा गया था (1 औसत से कम एवं 5 उत्कृष्ट)। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सर्वाधिक अंक 3.48 अंक

विषय–वस्तु की उपयुक्तता को एव दूसरे नंबर पर प्रशिक्षक द्वारा विषय–वस्तु परोसने की कला को 3.27 अक हैं, जिन्हें कमोबेश अच्छा एवं बहुत अच्छा के मध्य की श्रेणी मे गिना जा सकता है। भाषा एवं समझ के आधार पर विषय–वस्तु की बोधगम्यता एवं सामग्री के प्रस्तुतीकरण (मुद्रण के आधार पर) को औसत की श्रेणी (3.11 एवं 3.16) में ही गिना जाएगा। शेष बिन्दु भी अच्छे से ऊपर की ही श्रेणी में हैं किन्तु उनमें बेहतरी की गुंजाईश नजर आती है।

(स) मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता (बहुविकल्पीय)

- मेन्टर के रूप में कार्य करने में प्रशिक्षण की क्या उपयोगिता रही, प्राप्त निष्कर्ष अनुसार 75% मेन्टर्स ने कोर्स के उद्देश्य को समझने एवं मेन्टर्स की भूमिका को समझने में एवं विषय वस्तु की संप्रेषण प्रकिया के लिए 67% ने ही उपयोगी बताया। पाठ्यक्रम बिलकुल नया है और सफलता का सारा दारोमदार मेन्टर्स के ऊपर ही टिका है, इस स्थिति में तीनों बिन्दुओं में 25% एवं 33% का अन्तर (गेप) परिषद् के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा सकती है।

(द) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता

- मेन्टर्स द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता के 4 बिन्दुओ सामग्री की उपलब्धता, मुद्रण की गुणवत्त, विषय–वस्तु की गुणवत्ता, विषय–वस्तु की बोधगम्यता (स्व–अध्ययन हेतु आसानी से समझने) पर 1–5 के बीच (1 औसत से कम एवं 5 उत्कृष्ट) अंक दिये जाने थे। सबसे ज्यादा अंक 3.56 (बहुत अच्छा के करीब) विषय–वस्तु की बोधगम्यता (स्व–अध्ययन हेतु) को दिये गये, सबसे कम 3.13 अंक सामग्री की उपलब्धता को दिये गये। मेन्टर्स द्वारा अधिकांश बिन्दुओं पर अच्छा से बहुत अच्छा के बीच अंक दिये गये हैं।

4.1.5 मेन्टर्स के कार्य के मूल्यांकन, उनके द्वारा पढ़ाने एवं गतिविधि कराने संबंधी जानकारी

(अ) मेन्टर्स के कार्य का मूल्यांकन

- 96% मेन्टर्स द्वारा बताया गया कि उनके कार्य का मूल्यांकन होता है। इनमें से शत–प्रतिशत ने जन अभियान परिषद् के प्रतिनिधियों द्वारा एवं 27% ने स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा मूल्यांकन किये जाने की भी बात कही है। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को मूल्यांकन कार्य में शामिल किया जाना एवं उनके द्वारा इसमें सहभागिता करना ये एक सकारात्मक पहलू है।
- मूल्यांकन हेतु अपनाई गई प्रकिया के संबंध में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार सबसे ज्यादा 37% उत्तरदाताओं ने छात्रों से मेन्टर के बारे में राय पूछकर, 18% ने विद्यार्थियों के फील्ड कार्य के आधार पर एवं इसके अतिरिक्त उपस्थिति पंजी, छात्रों की उपस्थिति एवं परीक्षा परिणामों के आधार पर भी उनका मूल्यांकन होने की बात कही।

(अ) मेन्टर द्वारा पढ़ाने, गतिविधि कराने एवं मूल्यांकन के तरीके

- **कक्षा में पढ़ाने के तरीके (बहुविकल्पीय)** : मेन्टर द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने के तरीके में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण अनुसार शत–प्रतिशत व्याख्यान पद्धति का उपयोग करते हैं, 40% द्वारा आडियो–वीडियो का उपयोग किया जाना एवं मात्र 19% द्वारा ही ई–लेक्चर के उपयोग होना बताया है।
- **फील्ड कार्य हेतु ग्राम चयन के तरीके** : फील्ड कार्य हेतु ग्रामों के चयन के तरीके में सबसे ज्यादा (42%) ने विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ग्रामों का चयन किये जाने की 24% ने ग्रामों की दूरी एवं स्थिति के आधार पर ग्राम चयन की बात कही है। ग्रामों के चयन का तरीका लगभग सही है।

➢ **विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका :** मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु अपनाये तरीकों में सबसे ज्यादा 43% मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन कॉन्टेक्ट कक्षाओं में किये गये कार्य के आधार पर, 22% ने प्रोजेक्ट वर्क एवं 19% ने टेस्ट द्वारा मूल्यांकन किये जाने की बात कही है। 4% द्वारा मूल्यांकन ही नहीं किया जाना बताया गया जो कि गंभीर मुद्दा है। अतः मूल्यांकन के संबंध में सभी जगहों पर एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता है।

4.1.6 विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सकिय सहभागिता के बारे में मेन्टर का अभिमत

➢ कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सकिय सहभागिता के बारे में मेन्टर्स द्वारा 1–5 के (1 औसत से कम एवं 5 उत्कृष्ट) बीच अंक देने थे। दिय अंकों का औसत निकले जाने पर उपस्थिति को 3.25 अंक एवं सकिय सहभागिता को 3.29 अंक मिले हैं, जो कि अच्छे से बहुत अच्छे श्रेणी के बीच हैं। मेन्टर्स द्वारा कोर्स सचालन में आने वाली समस्याओं में भी छात्रों की उपस्थिति एवं सकिय सहभागिता के मुद्दे का जिक्र किया है।

बच्चों की उपस्थिति एवं सकिय सहभागिता तथा शिक्षक की गुणवत्ता एवं कौशल के बीच सह–संबंध है। बच्चों की उपस्थिति/सकिय सहभागिता पूर्णतः शिक्षक की गुणवत्ता एवं कौशल से प्रभावित होती है। अतः इसे दो नजरियों से देखा जा सकता है, एक तो सचमुच छात्रो की सहभागिता एवं उपस्थिति का मुद्दा चिंता जनक होना अथवा दूसरा मेन्टर्स का स्वयं का विषय को पढ़ाने एवं कक्षा संचालन का तरीका भी महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इसी तरह की बात विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु लिये गये सुझावों में भी निकलकर आई है कि, मेन्टर्स की गुणवत्ता बढ़ाई जाए एवं उनके द्वारा अच्छे से समझाकर एवं वास्तविक कार्य कराकर पढ़ाया जाए।

4.1.7 मेन्टर्स को आने वाले समस्याएं एवं मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

(अ) मेन्टर कार्य में आने वाली समस्याएं

➢ मेन्टर का कार्य करने मे मुख्य समस्याओं के रूप में जिसमें प्रशिक्षण (14%), विषय–वस्तु संबंधी (12%), भौतिक सुविधाएं (12%), मूलभूत सुविधाएं (12%), समय की पाबंदी (6%), ई–लेक्चर (6%), ग्रामवासियों में जागरूकता की कमी (3%), सहयोगी स्टॉफ की कमी (3%) एवं विद्यार्थियों के सहयोग संबंधी (14%) जिसमें –उपस्थिति, समझ के स्तर एव निर्देशों संबंधी समस्याए सामने आई हैं।

(ब) मेन्टर के कार्य को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

- मेन्टर के कार्य को अधिक प्रभावी एव बेहतर बनाने हेतु मुख्य सुझावों मे सबसे ज्यादा उत्तरदाताओं (30%) ने प्रोजेक्टर/आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने एवं शिक्षण व्यवस्था किये जाने, अच्छी गुणवत्ता के एवं निश्चित समय अंतराल मे प्रशिक्षण आयोजित किये जाने (26%) की बात कही है। इसके अतिरिक्त आई कार्ड बनाया जाना (11%), एक्सपोजर भ्रमण (प्रशिक्षण/कोर्स संचालन के दौरान) (7%), पुस्तकों की समय पर उपलब्धता (7%) आदि के संबध में भी सुझाव आए है।

4.1.8 विद्यार्थियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

(अ) विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्रवेश का कारण एवं उनकी वर्तमान स्थिति

- अध्ययनित विद्यार्थियों में से 80% ने स्वयं की इच्छा से पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और पाठ्यक्रम के प्रथम चरण की सफलता होने के साथ–साथ विभाग के लिए उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने एवं डिग्री पूर्ण करने तक उन्हें बांधे रखने की चुनौती भी है।

➢ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा 61% संख्या सामान्य नागरिकों की है। शेष में 16% प्रस्फुटन प्रमुख, 19% प्रस्फुटन कार्यकर्ता, 1–1% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नवांकुर कार्यकर्ता, नवांकुर प्रमुख हैं।

(ब) विद्यार्थियों द्वारा अटैण्ड की गई कक्षाओं की संख्या

➢ 34% विद्यार्थियों द्वारा 41–50, 29% द्वारा 31–40 एवं 36% ने 1–10 कक्षाएं अटेण्ड करने की बात कही है। इस दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम में जबकि कक्षाएं रविवार के दिन लगती हैं, उसके बावजूद 63% विद्यार्थियों द्वारा 30 से अधिक कक्षाएं अटैण्ड करना, यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक और पाठ्यक्रम के बारे में विद्यार्थियों की रूचि को दर्शाने वाले आंकड़े हैं। वर्तमान परिदृश्य में नियमित पाठ्यक्रम एवं डिग्री वाले महाविद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति न होना चिन्ता का विषय है।

(स) उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता

➢ विद्यार्थियों से उन्हें प्राप्त अध्ययन सामग्री को 1–5 अंक (1 औसत से कम एवं 5 उत्कृष्ट) देकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कहा गया, जिसमें सबसे ज्यादा अंक 3.12 विषय–वस्तु की गुणवत्ता को, फिर स्व–अध्ययन के संदर्भ में (समझने हेतु) विषय–वस्तु की बोधगम्यता एवं व्यावहारिक उपयोग हेतु विषय–वस्तु की सार्थकता को लगभग समान 3.05 एवं 3.07 अंक दिये गये। सबसे कम अंक (2.91–2.76) सामग्री की उपलब्धता एवं मुद्रण की गुणवत्ता को दिये गये।

मेन्टर्स द्वारा मेन्टर कार्य को प्रभावी बनाने संबंधी विश्लेषण में भी सामग्री एवं पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने की बात सामने निकलकर आई है। अतः कियान्वयन करने वाली नोडल संस्था एवं संलग्न अन्य संस्थाओं को इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

4.1.9 पाठ्यक्रम एवं अध्ययन केन्द्र के बारे में जानकारी

(अ) पाठ्यक्रम के विषयों के बारे में विद्यार्थियों की जानकारी का स्तर

- विद्यार्थियों को विषयों के नाम की जानकारी के बारे में पता करने पर लगभग 70% उत्तरदाताओं को सभी मॉड्यूल के नाम पता थे। यह पाठ्यक्रम के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है।

(ब) संपर्क कक्षाओं में पढ़ाए जाने का तरीका (बहुविकल्पीय)

- संपर्क कक्षाओं में मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का क्या तरीका अपनाया जाता है (ताकि मेन्टर्स और विद्यार्थियों के जवाबों का मिलान कर सटीक निष्कर्ष निकाला जा सके) विद्यार्थियों से जानकारी लिये जाने पर 88% ने व्याख्यान पद्धति 36% ने वास्तविक गतिविधियों एवं कार्य कराकर (मंडला, धार, खरगोन, देवास, टीकमगढ, ग्वालियर, विदिशा, मंदसौर एवं हरदा) पढ़ाये जाने एवं बहुत कम लेकिन कुछ प्रतिशत ने (शहडोल, मंडला, धार में) ई–व्याख्यान एवं दृश्य–श्रृव्य सामग्री के उपयोग के साथ पढ़ाने की बात कही है। नोडल संस्था को देखने की आवश्यकता है कि यदि पाठ्यक्रम ई–व्याख्यान दृश्य–श्रृव्य, सामग्री के उपयोग एवं वास्तविक गतिविधियाँ एवं कार्य करकर पढ़ाये जाने से ज्यादा प्रभावी बनता है तो अन्य अध्ययन केन्द्रों पर भी यही अध्ययन प्रणाली उपयोग करने का प्रयास करें।

(स) सबसे अधिक पसंद का विषय

- विद्यार्थियों से उनकी रूचि के विषय के बारे में पता करने पर सबसे अधिक 36% विद्यार्थियों को नेतृत्व विकास, उसके बाद 16% को विकास की समस्याएं एवं मुददे तथा संचार एवं जीवन कौशल विषय सबसे अधिक पसंद हैं।
- इन विषयों के पसंद होने के कारण जानने पर–नेतृत्व गुण के बिना विकास के लिए कार्य नहीं कर सकते, आत्मविश्वास बढ़ता है, रूचिकर है, समस्याओं के बारे में समझने को

मिलता है, कैसे कार्य करना है, ये जागरूकता आती है, दी गई कहानियों के माध्यम से कार्य करने हेतु मार्गदर्शन मिलता है, लोगों को जागरूक करने के तरीके मालूम होते हैं, संचार के बारे में जानकारी मिलती है, विकास को संचार से कैसे जोड़ते हैं, उन तरीकों के बारे में पता चलता है आदि कारण निकलकर आए हैं।

(ढ) मेन्टर्स द्वारा दिये गये मार्गदर्शन का आंकलन

- विद्यार्थियों को मेन्टर्स द्वारा कक्षा मे दिये गये मार्गदर्शन को चार श्रेणियों में आंकलित करने हेतु कहे जाने पर सबसे अधिक 41% ने अच्छा की श्रेणी में आकलन किया है, जो कि सुधार की अभी बहुत गुंजाईश बाकी है, की ओर संकेत करता है। मात्र 18% एवं 19% विद्यार्थियों ने ही उत्कृष्ट एवं बहुत अच्छा श्रेणी में मेन्टर्स के मार्गदर्शन को रखा है। 8% द्वारा औसत (छतरपुर, ग्वालियर, खरगोन, सीधी, सिवनी, हरदा) एवं 4% द्वारा औसत से भी कम (छतरपुर) की श्रेणी में आंकलन होना, मेन्टर्स की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता के प्रति चिंता पैदा करता है।

4.1.10 अध्ययन केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का आंकलन एवं सुझाव

(अ) अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन

- अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओ के बारे में जानने हेतु विद्यार्थियों को इन उपलब्ध सुविधाओं को 5 श्रेणियों (उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत एवं औसत से कम) मे वर्गीकृत करने हेतु कहा गया। जानकारी के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को जानने हेतु निम्न सारणी पर एक नजर डालनी होगी–

क्र.	विवरण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	औसत से कम	जवाब नहीं
1	सेन्टर में बैठने की व्यवस्थाए	6%	31%	39%	15%	9%	
2	पीने के पानी की व्यवस्था	11%	31%	32%	13%	13%	
3	कक्षा मे पंखे एवं लाइट की व्यवस्था	11%	33%	25%	20%	11%	
4	प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर एवं नेटवर्क की स्थिति	7%	5%	15%	25%	42%	6%
5	शौचालय एव उसमें पानी की व्यवस्था	9%	13%	45%	14%	19%	
6	वाहन आदि खड़े करने की व्यवस्था	16%	29%	38%	11%	6%	
7	सेन्टर पर पुस्तकालय की सुविधा है	हाँ– 37%		नहीं –60%			3%

कियान्वयन संस्था को कम्प्यूटर प्रोजेक्टर एवं नेटवर्क की स्थिति, पुस्तकालय की व्यवस्था (जो कि मेन्टर्स के सुझावों में भी आया है) शौचालय एवं उसमें पानी का इंतज़ाम तथा पीने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था, कक्ष में पंखे एवं लाईट की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिये जाकर बेहतर किये जाने की आवश्यकता है, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भविष्य में पाठ्यक्रम संचालन पर पड़ सकता है।

(ब) अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव

- अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं मे सुधार की आवश्यकता 37% उत्तरदाताओं ने स्वीकारी है। किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है, के जवाब में सबसे ज्यादा 55% ने लाईट, पानी, शौचालय, साफ–सफाई की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया। शेष ने प्रोजेक्टर की सुविधा एवं आधुनिक तकनीक से पढ़ाई, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय की व्यवस्था, इं–लेक्चर, पुस्तकें एवं सामग्री समय से उपलब्ध होना एवं मेन्टर द्वारा अच्छे से समझाया जाना एवं समय से आना जैसे बिन्दुओं का उल्लेख किया है।

यही बिन्दु मेन्टर्स से प्राप्त सुझावों में भी निकलकर आए हैं।

4.1.11 विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र कार्य के बारे में जानकारी

(अ) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति

- अध्ययनित विद्यार्थियों में से अधिकांश (78%) द्वारा क्षेत्र कार्य किया गया है, जो सकारात्मक पहलू है एवं कोर्स की मंशा के अनुरूप है। परन्तु छतरपुर, ग्वालियर, हरदा, सिवनी, शहडोल, देवास, मंदसौर एवं श्योपुर जिले में क्षेत्र कार्य नहीं किये जाने की बात सामने आई है।
- क्षेत्र कार्य कैसे किया जाना है, इसके बारे में अधिकांश विद्यार्थियों (79%) को संपर्क कक्षाओं में बताया गया है। छतरपुर, देवास, मंदसौर, हरदा एवं ग्वालियर के कुछ केन्द्रों से यह बात सामने आयी है कि इन केन्द्रो पर क्षेत्र कार्य कैसे करना है, इस बारे में मार्गदर्शन नहीं दिया गया है।

(ब) क्षेत्र कार्य किस प्रकार एवं किन विषयों पर किया गया

- क्षेत्र कार्य किस तरह किया गया एवं किन विषयों पर किया गया, के बारे विद्यार्थियों ने ग्रामवासियो की सहभागिता से, दिये गये विषय पर लोगों को जागरूक कर एवं सर्वे तथा जनसंपर्क के माध्यम से कार्य करना बताया, जो लगभग क्षेत्र कार्य हेतु निर्धारित यही कार्यविधि के अनुसार ही है।

  सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा साक्षरता (29%) एवं स्वच्छता (25%) पर, उसके बाद स्वास्थ्य (17%) और पर्यावरण (14%) पर कार्य किये हैं। नदी संरक्षण, गॉव के विकास एवं समस्याएं जैसे विषयों पर भी कुछ विद्यार्थियों ने कार्य किया है।
- जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दी गई जानकारी अनुसार भी छात्रों द्वारा किये गये इन कार्यों की पुष्टि हुई है।

(स) विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

- विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य का मूल्यांकन किय जाने की बात अधिकांश उत्तरदाताओं (90%) ने स्वीकारी है जो एक सकारात्मक पहलू है। छतरपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, सिवनी एवं मंदसौर जिले में क्षेत्र कार्य का मूल्यांकन नहीं किये जाने की बात सामने आई है।
- मूल्यांकन मुख्य रूप से 41% ग्राम मे की गई गतिविधि के फोटो एव पेपर कटिंग (41%), ग्रामीणो से चर्चा कर (31%) एवं प्रोजेक्ट वर्क को देखकर (14%) किया जाना बताया गया। इससे पता चलता है कि मूल्यांकन में एकरूपता नही है।

(स) क्षेत्र कार्य करने की उपयोगिता एवं इससे विद्यार्थियों को होने वाले अनुभव

- क्षेत्र कार्य करने से विद्यार्थियो को क्या अनुभव हुआ/आया जानने पर सभी विद्यार्थियों से बहुत ही सटीक एवं सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 52% के द्वारा कार्य के प्रति जागरूकता (क्षेत्र कार्य के रूप में किये जाने वाले कार्य के साथ–साथ अन्य कार्यों) आने की बात कही गई, 18% ने बताया कि इससे उन्हे अपनी बात लोगो को समझाना आया, 12% ने स्वयं में आत्मविश्वास आने की बात कही, 3% द्वारा नेतृत्व क्षमता विकसित होने की बात कही गई। हालांकि अन्य चारो बिन्दु भी अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व क्षमता के गुणों का ही हिस्सा है। **इससे क्षेत्र कार्य कराये जाने का उद्देश्य पूर्ण होने के साथ–साथ उसकी सार्थकता एवं उपयोगिता प्रमाणित होती है।**

4.1.12 पाठ्यक्रम की उपयोगिता, इसके कारण एवं कोर्स निरंतर रखे जाने की स्थिति

(अ) पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं इसके कारण

- 96% उत्तरदाताओ द्वारा कोर्स बहुत उपयोगी होना बताया गया, इसमे वे 20% विद्यार्थी जिन्हें विभाग द्वारा नामांकित किया गया था इतनी संख्या मे विद्यार्थियों को कार्स उपयोगी लगना संचालित कोर्स की सफलता की ओर संकेत करता है

➢ कोर्स क्यों उपयोगी लगा के संबंध में कुछ प्रमुख कारण समाज सेवा के बारे में जानकारी मिलना, सामाजिक ज्ञान एवं स्वयं का व्यक्तित्व विकास होना एवं गांव के विकास के बारे में समझ विकसित होना बताया गया।

(ब) कोर्स को आगे तक जारी रखने की स्थिति

➢ इस पाठ्यक्रम में 01 साल का कार्स पूरा करने पर प्रमाण–पत्र, 02 साल का कोर्स पूरा करने पर डिप्लोमा एवं पूरे 03 साल का कोर्स पूरा करने पर स्नातक की उपाधि दिये जाने का प्रावधान है। लगभग सभी (98%) विद्यार्थियों द्वारा कोर्स को आगे जारी रखने की बात कही गई, जो कि कोर्स की सफलता को दर्शाता है।

➢ क्यों बने रहेंगे की जानकारी लिये जाने पर 95% ने कोर्स का बहुत उपयोगी होना, 1% ने विभागीय बाध्यता की बात कही। कोर्स को आगे जारी नहीं रखने वाले वे ही उत्तरदाता हैं (ग्वालियर, मंदसौर, छतरपुर एवं सिवनी) जिन्होंने कोर्स को उपयोगी नहीं बताया है।

4.1.13 पाठ्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का मत

शासन की विभिन्न योजनाओं का मैदानी स्तर पर बेहतर कियान्वयन करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर होती है। इसी संदर्भ सभी जिलों एवं विकासखंडो में संचालित 'मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम' के बारे में अध्ययनित जिलों के कुछ जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियो को जानकारी है अथवा नहीं एवं वे इसके बारे में क्या राय रखते हैं, जानने का प्रयास किया गया।

(अ) पाठ्यक्रम संचालन के बारे में जानकारी

➢ 03 जिला कलेक्टर एवं 01 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (दो ज़िलों के बारे में) से चर्चा की गई। शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं को जिले में मुख्यमत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम संचालित

होने की जानकारी है। इन 04 मे से 03 उत्तरदाताओं द्वारा कक्षाओं का सचालन भी देखा गया है। ये जिले के अन्दर समन्वय को प्रदर्शित करता है।

(स) पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत

- उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये अभिमत को तीन मुख्य बिन्दुओं मे विभक्त कर दिया गया। समग्र रूप में यदि देखा जाए तो उत्तरदाताओं द्वारा समाज एवं प्रशासन के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बताया गया लेकिन इसके साथ यह भी चिंता जताई कि अन्य विभाग इसका किस तरह सार्थक उपयोग कर पाते हैं, विभाग की इसमे आगे क्या रणनीति रहेगी विशेषकर मॉनिटरिंग को बहुत अधिक सशक्त एव निर्धारित मापदण्डो पर करना होगा। जिन उत्तरदाताओं ने काफी देर रूककर कक्षा सचालन देखा है उनके अनुसार मेन्टर्स के ज्ञान एवं जानकारी में अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, उनकी गुणवत्ता का स्तर अभी उतना अच्छा नही है।

उत्तरदाताओं का पाठ्यक्रम के बारे मे अभिमत

4.1.13.1 जन अभियान परिषद् से प्राप्त जानकारी अनुसार

(अ) पाठ्यक्रम/कोर्स की वर्तमान स्थिति

यह पाठ्यक्रम राज्य मंत्री–परिषद् द्वारा 2014 में अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2015–16 से मैदानी स्तर पर प्रारंभ हो गया। जिसमे शैक्षणिक वर्ष 2016–17 में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में

विद्यार्थियों की संख्या, प्रथम वर्ष उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं वर्ष 2015–16 का परीक्षा परिणाम परिषद् से प्राप्त जानकारी अनुसार नीचे वर्णित है –

शैक्षणिक वर्ष 2016–17 में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में छात्रों की संख्या :

क्र.	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	89 अनसूचित विकासखंड	3432	2889
2	224 गैर अनुसूचित विकासखंड	7024	5112
	योग	10456	8001

(स्रोत: जन अभियान परिषद्)

प्रथम वर्ष उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों की संख्या :

क्र.	विकासखंड	पंजीकृत छात्रों की संख्या	पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों की संख्या	प्रतिशत
1	89 अनसूचित विकासखंड	3580	280	7 8
2.	224 गैर अनुसूचित विकासखंड	8862	2215	25
	योग	12442	2496	

(स्रोत: जन अभियान परिषद्)

वर्ष 2015–16 के परीक्षा परिणाम :

विकासखंड	पंजीकृत छात्र	उत्तीर्ण छात्र	अनुउत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत
89 अनसूचित विकासखंड	3580	3195	385	89.24
224 गैर अनुसूचित विकासखंड	8862	7877	985	88.88
योग	12442	11072	1370	

(स्रोत: जन अभियान परिषद्)

शैक्षणिक वर्ष 2016–17 में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में छात्रों की संख्या, पंजीकृत छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा में शामिल एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में देखने पर अनुसूचित विकासखंडों की स्थिति गैर अनुसूचित विकासखंडों की तुलना में बहुत

बेहतर है। इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि, पाठ्यक्रम विशेषकर आदिवासी इलाकों के लिए लाभकारी एवं प्रभावी है।

(ब) क्षेत्र कार्य से संबंधित जानकारी

(1) समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई– 89 अनुसूचित विकासखंडों में समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई विषय पर 2727 ग्रामों के 817519 परिवारों एवं सार्वजनिक भवनों / शालाओं का बेसलाइन एवं एंडलाईन सर्वेक्षण किया गया

परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई निम्न जानकारी अनुसार शौचालय युक्त परिवारों एवं शौचालय का उपयोग करने वाले परिवारों में एक वर्ष में विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य के दौरान लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हो जाना अपने आप में प्रशंसनीय उपलब्धि है। इस तथ्य की पुष्टि कलेक्टर / ग्रामवासियों से प्राप्त प्राथमिक जानकारी से भी हुई है। इसी तरह सार्वजनिक भवनों / स्कूलों में भी इन आंकड़ों में 16.64 की वृद्धि दर्शाई गई है।

1. व्यक्तिगत शौचालयों की उपलब्धता एवं उपयोग :

बेसलाइन एवं एंडलाईन सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामों में कुल परिवार एवं व्यक्तिगत शौचालयों की उपलब्धता व उपयोगिता की स्थिति का तुलनात्मक विवरण

सर्वेक्षित ग्राम	ग्रामों के कुल परिवार	शौचालय युक्त परिवार			शौचालय युक्त उपयोग न करने वाले परिवार			शौचालय विहीन परिवार		
		बेसलाइन	एंडलाईन	उपलब्धि	बेसलाइन	एंडलाईन	उपलब्धि	बेसलाइन	एंडलाईन	उपलब्धि
2727	857915	213501	348573	135072	65862	52698	13164	644414	509342	135072
प्रतिशत		24.89	40.63	15.74	30.85	15.11	15.74	75.11	59.36	15.75

(स्रोत: जन अभियान परिषद)

2. सार्वजनिक भवनों में शौचालयों की उपलब्धता एवं उपयोग :

सर्वेक्षित ग्राम	शौचालय युक्त सार्वजनिक भवनों / स्कूलों की संख्या जहा महिला व पुरूष हेतु पृथक–पृथक शौचालय है		
	बेसलाइन	एंडलाईन	उपलब्धि
2727	4780	6772	1992
प्रतिशत	39.92%	56.56%	16.64%

(स्रोत: जन अभियान परिषद)

(2) संपूर्ण साक्षरता– प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत निरक्षरों का चिन्हांकन कर संपूर्ण साक्षरता हेतु साक्षरता कक्षाएं आयोजित की जा रही है। जिसके प्रमाण स्वरूप जन अभियान परिषद् द्वारा निम्न आंकड़े उपलब्ध कराए गये हैं–

संभाग	विकासखंड की संख्या	बेस लाईन सर्वे में चिन्हांकित निरक्षर व्यक्तियों की संख्या	आयोजित साक्षरता कक्षाओं की संख्या	दि. 21 अगस्त 2017 को आयोजित साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित कुल निरक्षर व्यक्तियों की संख्या	
				संख्या	प्रतिशत
जबलपुर	64	277612	35957	61968	22 32
भोपाल	47	52693	6569	16139	30 63
ग्वालियर	40	64829	16540	37631	58.05
इंदौर	54	147014	43924	26160	17.79
रीवा	37	188347	8920	26423	14.03
उज्जैन	34	81732	4778	19919	24.37
सागर	37	85617	7158	42799	49.99
योग	313	897844	123246	231039	25.73

(स्रोत: जन अभियान परिषद्)

मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत असाक्षरों को नवसाक्षर करने एवं नवसाक्षरों हेतु आयोजित परीक्षाएं संपन्न कराने में उल्लेखनीय सहयोग देने की बात सिर्फ जन अभियान परिषद् द्वारा ही नहीं बल्कि इसका उल्लेख संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अपने पत्र क्र. 1278, दिनांक 6.4.2017 में इससे संबंधित आंकड़ों के साथ किया गया है, जिसके अनुसार इस कोर्स के प्रारंभ होने एवं इसके विद्यार्थियों के इस विषय पर क्षेत्र कार्य करने से से असाक्षरो को नवसाक्षर कर परीक्षाओं में सम्मिलत करने के प्रतिशत में एकदम से वृद्धि परिलक्षित होती है। तुलनात्मक सारणी निम्नानुसार है–

राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार लक्ष्य	9 मार्च 2014	24 अगस्त 2014	15 मार्च 2015	23 अगस्त 2015	20 मार्च 2016 (CMCLDP के विद्यार्थियों कार्य प्रारंभ कर चुके थे)	21 अगस्त 2016	19 मार्च 2017
योग	5146266	180368	277282	360054	402934	694948	1054761	1409951
प्रतिशत वृद्धि	–		53%	29%	11%	72%	51%	33%

सारांश में पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य के दौरान साक्षर भारत अभियान एवं समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई अभियान में उल्लेखनीय कार्य किये जाने एवं सहयोग दिये जाने की बात विभिन्न स्त्रोतों से निकलकर सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही मेन्टर्स चयन, मेन्टर्स की गुणवत्ता एवं ज्ञान, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण की अवधि, नियमित सशक्त मॉनिटरिंग, मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों का मूल्याकन, क्षेत्र कार्य कराये जाने का तरीका एवं उसका मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की गुणवत्ता आदि बिन्दुओं पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता भी निकलकर आई है, जिसके संबंध में संस्थान द्वारा आसानी से कियान्वयन की जा सकने वाली कुछ अनुशंसाएं दी गई हैं।

4.2 अनुशंसाएं

4.2.1. ग्रामवासियों में जागरूकता

- पाठ्यक्रम का संबंध सीधे–सीधे ग्राम विकास से है, इसका मुख्य उद्देश्य भी ग्रामीण शिक्षित युवाओं के स्थानीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। चूंकि 19% उत्तरदाताओं को ही पाठ्यक्रम की जानकारी है, अतः आवश्यक है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार हो। मैदानी स्तर पर इसके कियान्वयन की नोडल संस्था जन अभियान परिषद् है। अतः यह जिम्मेदारी परिषद् के मैदानी पदाधिकारियो एव कार्यकर्ताओं की बनती है कि वे निचले स्तर तक इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें।

4.2.2. मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों का लिंगानुपात एवं शैक्षिक स्तर

- विद्यार्थियो मे सबसे ज्यादा (72%) संख्या 18–30 आयुवर्ग के विद्यार्थियों की संख्या होना नोडल संस्था के लिए अवसर के साथ–साथ बडी चुनौती भी है। यह आयुवर्ग विश्व में सबसे उत्पादक और उर्जादान आयुवर्ग माना जाता है, इसके साथ ही इन लोगों के साथ व्यवहार करना दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। यदि संस्था सार्थक तरीके से इन्हें अपने साथ जोड लेती है और इनका मार्गदर्शन करती है, तो ये लोग ग्राम स्तर पर संस्था, समाज एव शासन के लिए फौज की तरह काम करेगें। अन्यथा ये भी वर्तमान के अन्य स्नातको की तरह रोजगार मांगने वाली एक भीड बनकर खडे हो जाएगे।

- मेन्टर्स में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम 19% है। इसी तरह अध्ययनित विद्यार्थियों में भी महिलाओं का प्रतिशत (36%) पुरुषों की तुलना में कम ही है। संभवतः इसका एक बहुत बडा कारण विकासखंड स्तर पर कक्षाए लगना एवं रविवार के दिन कक्षाएं लगना

हो सकता है। पाठ्यक्रम संचालन करने वाली नोडल संस्था को इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

- 2% मेन्टर्स स्नातक भी हैं (मेन्टर्स हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है), ऐसा किन विशेष कारणों से है, यह जानना परिषद के लिए आवश्यक है।

4.2.3 मेन्टर्स चुने जाने की प्रकिया

- मेन्टर्स के चयन हेतु अलग-अलग प्रकियाऐं सामने आयी हैं। कहीं पर चयन विज्ञापन के माध्यम से तो कहीं पर सीधे विभाग द्वारा नामांकित किया गया है। कहीं पर अनुभव के आधार पर चयन हुआ है। जब परिषद् द्वारा मेन्टर्स के चयन हेतु एक निर्धारित प्रकिया तय की गई है, तो उसका सभी जगह पालन हो, इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

4.2.4 मेन्टर्स का प्रशिक्षण

(अ) प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति :

मेन्टर्स की प्रशिक्षण अवधि एव प्रशिक्षण देने वाली प्रकियाएं भी अलग-अलग सामने आयी है।

- अनु.ज.जा.विकासखंड हो या गैर अनु.ज.जा.विकासखंड, चूंकि एक ही तरह का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी विषयवस्तु, क्षेत्र कार्य सब कुछ एक ही है, तो फिर प्रशिक्षण अवधि में भी समरूपता होनी चाहिए। कुछ मेन्टर्स को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। अन्य प्रकरणों में मेन्टर्स को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जो कि उन लोगों द्वारा दिया गया है जो स्वयं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित होकर आए हैं। अर्थात् कुछ प्रकरणों में मेन्टर्स की प्रशिक्षण अवधि भी कम है एवं प्रशिक्षण भी सीधे संस्था

द्वारा न होकर मास्टर्स ट्रेनर्स की मदद से है। नोडल संस्था को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है. कि पूरे पाठ्यक्रम में समरूपता बनी रहे ताकि किसी भी कारण से पढ़ाई की गुणवत्ता का स्तर कम न हो।

- बहुत से मेन्टर्स को विषय के नाम एवं विषय अंतर्गत विषय–वस्तु के संबंध में स्पष्टता नहीं है. जो कि मेन्टर्स जैसी जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(ब) प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता

- प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री को भले ही मेन्टर्स द्वारा 3 से अधिक अंक दिये गये हैं लेकिन संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर इनमें सुधार की बहुत गुंजाईश नज़र आती है। विशेष रूप से प्रशिक्षक द्वारा विषय–वस्तु परोसने की कला एवं पाठ्य सामग्री को और अधिक सचित्र बनाने में। अगले चरणों में इस पर कार्य कर इसे प्रभावी बनाया जा सकता है।

(स) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई सामग्री की गुणवत्ता (मेन्टर्स की नज़र में)

- मेन्टर्स द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्री के संबंध में 4 बिन्दुओं पर प्रदाय अंकों में सबसे कम 3.13 अंक (5 अंकों में से) सामग्री की उपलब्धता को दिये गये हैं। पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने संबंधी मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों के अन्य सुझावों में भी सामग्री की समय पर उपलब्धता का सुझाव सामने आया है।

(द) उपलब्ध कराई गई पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता (विद्यार्थियों की नज़र से)

- उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में विद्यार्थियो द्वारा 5 अंक में से सबसे कम 2.76 अंक मुद्रण की गुणवत्ता को एवं 2.91 अंक सामग्री की उपलब्धता को दिये गये

है। पूर्व निष्कर्षों में मेन्टर्स द्वारा भी मेन्टर कार्य को प्रभावी बनाने में भी सामग्री एवं पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराये जाने की बात निकलकर आई है।

अतः कियान्वयन करने वाली नोडल संस्था एवं संलग्न अन्य संस्थाओं को इस पर

विशेष ध्यान देते हुए भविष्य में सामग्री समय पर प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

4.2.5 मेन्टर्स के कार्य का मूल्यांकन एवं मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन

(अ) मेन्टर्स के कार्य का मूल्यांकन

➢ अध्ययनित मेन्टर्स द्वारा बताये अनुसार उनके कार्य का मूल्यांकन तो होता है, लेकिन इसके लिये कोई एकरूप निर्धारित मूल्यांकन पद्धति नहीं अपनाई गई है। अतः एकरूपता लाने हेतु कुछ मापदंड एवं प्रकिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

(ब) विद्यार्थियों द्वारा मेन्टर्स के मार्गदर्शन का मूल्यांकन

➢ छतरपुर, ग्वालियर, खरगोन, सीधी, सिवनी, हरदा में 8% विद्यार्थियों द्वारा मेन्टर्स का मूल्यांकन औसत एवं छतरपुर में 4% द्वारा औसत से भी कम श्रेणी में करना, मेन्टर्स की गुणवत्ता एवं उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता के प्रति चिंता पैदा करता है। इस संबंध में परिषद् को गहराई से पता लगाने की आवश्यकता है, कि कितनी कमी मेन्टर्स के स्वयं के मानसिक स्तर की है एवं कितनी कमी प्रशिक्षण में है और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है।

(स) मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन

➢ अध्ययनित मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के अलग-अलग तरीके बताये गये हैं। 4% मेन्टर्स द्वारा मूल्याकन ही नहीं किया जाना (श्योपुर) बताया गया जो कि गंभीर

मुद्दा है। मूल्यांकन के संबंध में सभी जगहो पर एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता है।

(द) मेन्टर्स द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता का मूल्यांकन

- कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता के बारे में मेन्टर्स द्वारा उपस्थिति को 3.25 अंक एवं 3.29 अंक (5 अंकों में से) दिये गये हैं। इस संबंध में जिम्मेदार पदाधिकारियों को यह पता लगाना आवश्यक है कि वास्तव में समस्या बच्चों की उपस्थिति/सक्रिय सहभागिता की है अथवा मेन्टर्स की गुणवत्ता एवं कौशल की है। इसके लिए सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

4.2.6 मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का तरीका एवं क्षेत्र कार्य

(अ) मेन्टर द्वारा पढ़ाने के तरीके

- **कक्षा में पढ़ाने के तरीके (बहुविकल्पीय)** : मेन्टर द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने के तरीके में शत-प्रतिशत व्याख्यान पद्धति का उपयोग किया गया है। पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों से ई-लेक्चर एवं आडियो-वीडियो की व्यवस्था एवं उपयोग संबंधी सुझाव भी आए हैं। चूंकि यह पाठ्यक्रम अन्य पाठयक्रमों से थोड़ा भिन्न है, अत इसमें जितना ज्यादा दृश्य-श्रृव्य सामग्री एवं ई-लेक्चर का उपयोग किया जाए, उतना ही यह पाठ्यक्रम प्रभावी हो सकता है।

- संपर्क कक्षाओं में मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने क तरीके के बारे में 36% ने वास्तविक गतिविधियों एवं कार्य कराकर (मंडला, धार, खरगोन, देवास, टीकमगढ़, ग्वालियर, विदिशा, मंदसौर एवं हरदा) कुछ ने (शहडोल, मडला, धार में) ई-व्याख्यान एवं दृश्य-श्रृव्य सामग्री के उपयोग के साथ पढ़ाने की बात कही है। नोडल संस्था को देखने की आवश्यकता है कि यदि पाठ्यक्रम में ई-व्याख्यान दृश्य-श्रृव्य, सामग्री के उपयोग एवं वास्तविक गतिविधियों एवं

कार्य कराकर आसानी से पढ़ाया जा सकता है एवं पाठ्यक्रम को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो अन्य अध्ययन केन्द्रों पर भी इस प्रणाली को उपयोग करने का प्रयास करें।

(ब) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति

- छतरपुर, देवास, मंदसौर, हरदा एवं ग्वालियर जिलों में कुछ विद्यार्थियों (13%) के अनुसार उन्हें संपर्क कक्षाओं में क्षेत्र कार्य के बारे में नहीं बताया गया है।
- छतरपुर, ग्वालियर, हरदा, सिवनी, शहडोल, देवास, मंदसौर एवं श्योपुर जिले के अध्ययनित कुछ विद्यार्थियों द्वारा (22%) द्वारा क्षेत्र कार्य नहीं किय जाने की बात सामने आयी है। यहाँ परिषद् द्वारा सघन मॉनिटरिंग (विशेषकर इन जिलों में) किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करता है।

(स) विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

- छतरपुर, ग्वालियर, टीकमगढ, सिवनी एव मदसौर जिलों के ही कई विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य का मूल्यांकन नहीं होने की बात कही गई है। **इन कुछ विशेष जिलों पर परिषद् को ध्यान केन्द्रित करने एवं सघन औचक मॉनिटरिंग/निरीक्षण की आवश्यकता है।**
- विद्यार्थियों द्वारा उनके क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन के जो तरीके बताये गये हैं उनमें एकरूपता नहीं है। मूल्यांकन में एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त वर्णित कई विश्लेषणों में भी ऐसे बिन्दु निकलकर आए है, जिनमें एकरूपता लाने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्र कार्य मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित रणनीति** : इस पाठ्यक्रम में **'मेरा गाँव मेरी पाठशाला/प्रयोगशाला'** के आधार पर फील्ड कार्य छात्रों को वास्तविक/व्यावहारिक अनुभव दिये जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय–वस्तु के रूप में जोड़ा गया है। **फील्ड कार्य को प्रभावी बनाये जाने हेतु आवश्यक है कि, विद्यार्थियों द्वारा किये क्षेत्र कार्य के**

तुलनात्मक परिणाम देख जा सकें कि विद्यार्थी के क्षेत्र कार्य करने के उपरान्त क्या बदलाव हुए हैं, ताकि वास्तविकता एवं कमियां जानकार उन्हें अगले क्षेत्र कार्य में सुधारा जा सके।

4.2.7 अध्ययन केन्द्र पर सुविधाएं

(अ) अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं

- विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत एव औसत से कम (5 श्रेणियों) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण अनुसार सबसे ज्याद चिंताजनक स्थिति कम्प्यूटर प्रोजेक्टर एवं नेटवर्क की उपलब्धता की है, जिसे 42% विद्यार्थियों द्वारा औसत से कम की श्रेणी में रखा गया है, साथ ही 60% विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 19% विद्यार्थियों ने शौचालय एव उसमें पानी की व्यवस्था, 13% ने पीने के पानी की व्यवस्था एवं कक्ष में पंखे तथा लाईट की व्यवस्था को औसत से भी कम की श्रेणी में रखा है। यह किसी भी कक्षा संचालन हेतु मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अतः इन पर कियान्वयन संस्था द्वारा ध्यान देकर बेहतर किये जाने की आवश्यकता है।

(ब) अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव

- 37% विद्यार्थियों ने अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता बताई है। इसमें से सबसे ज्यादा 55% ने लाईट, पानी, शौचालय, साफ–सफाई की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया है। शेष में प्रोजेक्टर की सुविधा एवं आधुनिक तकनीक से पढ़ाई, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय की व्यवस्था, ई–लेक्चर, पुस्तकें एव सामग्री समय से उपलब्ध होना, मेन्टर द्वारा अच्छे से समझाया जाना एवं समय से आना जैसे बिन्दुओं पर सुधार के सुझाव दिये हैं। यह परिणाम कियान्वयन संस्था को

तत्काल इन बिन्दुओं का हल खोजने की ओर संकेत करता है, अन्यथा लेट–लतीफी करने से भविष्य में इन मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं खराब गुणवत्ता का पाठ्यक्रम संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यही बिन्दु मेन्टर्स से प्राप्त सुझावों में भी निकलकर आए हैं।

4.2.8 पाठ्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अभिमत

(अ) पाठ्यक्रम के बारे में अभिमत

- समग्र रूप मे यदि देखा जाए तो उत्तरदाताओं द्वारा समाज एवं प्रशासन के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बताया गया, लेकिन इसके साथ यह भी चिंता जताई कि अन्य विभाग इसका किस तरह सार्थक उपयोग कर पाते हैं, विभाग की इसमें आगे क्या रणनीति रहेगी, विशेषकर बहुत सशक्त एवं निर्धारित मापदण्डों पर मॉनिटरिंग करना होगा।
- इस सबसे भी महत्वपूर्ण है मेन्टर्स की गुणवत्ता बढाई जाना जिसमें उनके चयन का तरीका एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। जिन उत्तरदाताओं ने काफी देर रूककर कक्षा संचालन देखा है, उनके अनुसार मेन्टर्स के ज्ञान एवं जानकारी में अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, उनकी गुणवत्ता का स्तर अभी उतना अच्छा नहीं है।
- विभागों के साथ समन्वय कर विभिन्न विभागों की ग्राम स्तरीय समितियों/गतिविधियों में विद्यार्थियों की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करना।

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह पाठ्यक्रम अन्य पाठ्यक्रमों से बिलकुल भिन्न है, इसकी विषय–वस्तु सामान्य नागरिक के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है एवं आमजन की रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं/आवश्यकताओं का निदान साबित हो सकती है, बशर्ते क्रियान्वयन संस्था उपरोक्त अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर कार्य

प्रारंभ कर दे। विशेषकर मेन्टर्स की गुणवत्ता, निश्चित समय अंतराल पर उनका गहन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के साथ–साथ सघन मॉनिटरिंग आवश्यक है।

साथ ही पाठ्यक्रम से जुड़े द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य के रूप में स्वच्छता एवं साक्षरता के लिए कार्य किये गये हैं, इसका ज्यादा सकारात्मक प्रभाव अनुसूचित विकासखंडों में परिलक्षित हुआ है। जिससे इस वर्ग के लिए एवं विशेषकर इस वर्ग की महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम की उपयुक्तता एव प्रासंगिकता प्रमाणित होती है।

पाठ्यक्रम अंतर्गत समाज की आवश्यकता से सीधे जुड़े मुद्दों पर क्षेत्र कार्य कराया जाना एव इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना अत्यन्त सराहनीय कदम है। संस्थान द्वारा पूर्व में किये गये कई अध्ययनों में भी यह बिन्दु निकलकर आय ह कि, अशिक्षित होने के कारण एक विशेष आयु वर्ग के लोगों में जानकारी एवं जागरूकता की कमी है। जिसके लिए प्रौढ शिक्षा को बढ़ावा देने एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर गंभीरता से कदम उठाने की बात संस्थान द्वारा अपनी अनुशसाओं में कही गई है। यदि पाठ्यक्रम अंतर्गत यह कार्य कराया जा रहा है, तो अन्य विभाग इससे समन्वय कर अपनी मैदानी योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं कियान्वयन हेतु इन विद्यार्थियों का सहारा ले सकते हैं।

यदि योजनाबद्ध तरीके से सशक्त मार्गदर्शन में इन विद्यार्थियों से क्षेत्र कार्य के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ–सफाई एवं जल तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर ही कार्य करा लिया जाता है, तो यह बहुत बड़ी सकारात्मक सामाजिक क्रांति होगी।

जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अन्य अध्ययनित उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी अनुसार यदि विभाग इस पाठ्यक्रम को गंभीरता से निरंतर संचालित करता है तो आने वाले कुछ वर्षों में ग्रामीण समाज (ज़मीनी स्तर पर) में इसके सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं।

——0——

अध्याय पाँच

परिशिष्ट

(तालिकाओ मे दिये गये संपूर्ण आंकड़े प्रतिशत में हैं)

5.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति (Profile of Repondents)

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं शैक्षिक प्रस्थिति

5.1.1 ग्रामवासियों की

तालिका: 5.1.1(अ) ग्रामवासियों की लिंगवार स्थिती

जिला	महिला	पुरूष	कुल
श्योपुर	38	62	100
शहडोल	11	89	100
धार	38	62	100
खरगोन	37	63	100
मंडला	41	59	100
मंदसौर	12	88	100
सीधी	38	62	100
सिवनी	45	55	100
रायसेन	42	58	100
टिकमगढ	51	49	100
हरदा	35	65	100
छतरपुर	47	53	100
देवास	22	78	100
ग्वालियर	40	60	100
राज्य	**36**	**64**	**100**

तालिका: 5.1.1(a) ग्रामवासियों की जातिवार स्थिति

जिला	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अ. पि.वर्ग.	सामान्य	कुल
श्योपुर	7	25	40	27	100
शहडोल	2	36	33	29	100
धार	0	67	0	33	100
खरगोन	5	5	50	40	100
मंडला	0	57	37	6	100
मंदसौर	23	2	58	16	100
सीधी	4	14	38	44	100
सिवनी	10	47	40	3	100
रायसेन	5	2	58	35	100
टिकमगढ़	18	4	60	18	100
हरदा	16	16	36	31	100
छतरपुर	0	5	44	51	100
देवास	26	2	28	44	100
ग्वालियर	29	6	47	18	100
राज्य	**10**	**21**	**41**	**28**	**100**

तालिका: 5.1.1(स) ग्रामवासियों का आयुवार वर्गीकरण

जिला	18—30 वर्ष	31—40 वर्ष	41—50 वर्ष	51 वर्ष से अधिक	कुल
श्योपुर	36	47	15	2	100
शहडोल	13	31	33	24	100
धार	25	45	29	0	100
खरगोन	12	55	28	5	100
मंडला	37	43	20	0	100
मंदसौर	21	60	19	0	100
सीधी	4	34	40	22	100
सिवनी	12	55	28	5	100
रायसेन	13	45	29	13	100
टिकमगढ़	35	44	20	2	100
हरदा	15	43	33	9	100
छतरपुर	36	33	25	5	100
देवास	34	34	22	10	100
ग्वालियर	31	40	22	7	100
राज्य	**23**	**44**	**26**	**7**	**100**

5.1.2 मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के बारे में ग्रामवासियों एवं परिषद् पदाधिकारियों की जानकारी

तालिका: 5.1.2(अ) ग्रामवासियों की जानकारी का स्तर

जिला	हाँ	नहीं	पता नहीं	कुल
श्योपुर	0	100	0	100
शहडोल	0	0	0	100
धार	47	53	0	100
खरगोन	0	0	0	100
मंडला	5	94	8	100
मंदसौर	12	60	28	100
सीधी	14	76	10	100
सिवनी	48	52	0	100
रायसेन	33	67	0	100
टिकमगढ़	9	91	0	100
हरदा	25	75	0	100
छतरपुर	32	68	0	100
देवास	39	51	10	100
ग्वालियर	24	76	0	100
राज्य	**19**	**49**	**32**	**100**

तालिका: 5.1.2(ब) परिषद् पदाधिकारियों की जानकारी का स्तर			
जिला	हाँ	उत्तर नहीं दिये	कुल
श्योपुर	100	0	100
शहडोल	100	0	100
धार	100	0	100
खरगोन	100	0	100
मंडला	67	33	100
मंदसौर	100	0	100
सीधी	100	0	100
सिवनी	100	0	100
रायसेन	100	0	100
टिकमगढ़	100	0	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	67	33	100
देवास	67	33	100
ग्वालियर	100	0	100
राज्य	**90**	**10**	100

5.1.3 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की लिंगवार जानकारी

तालिका: 5.1.3(अ) मेन्टर्स की लिंगवार स्थिति

जिला	महिला	पुरुष	कुल
श्योपुर	0	100	100
शहडोल	50	50	100
धार	0	100	100
खरगोन	0	100	100
मंडला	0	100	100
मंदसौर	0	100	100
सीधी	0	100	100
रीवा	25	75	100
रायसेन	50	50	100
छिंदवाड़ा	0	100	100
हरदा	50	50	100
छतरपुर	20	80	100
देवास	0	100	100
ग्वालियर	75	25	100
राज्य	**19**	**81**	**100**

तालिका- 5.1.3(ब) विद्यार्थियों की लिंगवार स्थिती			
जिला	महिला	पुरूष	कुल
श्योपुर	43	57	100
शहडोल	71	29	100
धार	50	50	100
खरगोन	14	86	100
मंडला	21	79	100
मंदसौर	43	57	100
सीधी	14	86	100
सिवनी	56	44	100
रायसेन	21	79	100
टिकमगढ	43	57	100
हरदा	43	57	100
छतरपुर	31	77	100
देवास	40	60	100
ग्वालियर	14	86	100
राज्य	36	64	100

5.1.4 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की जातिवार जानकारी

तालिका: 5.1.4(अ) मेंटर्स की जातिवार स्थिति

जिला	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अ. पि.वर्ग.	सामान्य	कुल
श्योपुर	0	0	0	100	100
मुरैना	0	0	100	0	100
भिंड	25	25	25	25	100
दतिया	25	0	0	75	100
शिवपुरी	0	25	25	50	100
गुना	50	0	0	50	100
अशोकनगर	0	0	25	75	100
विदिशा	0	50	25	25	100
रायसेन	0	0	100	0	100
सीहोर	25	0	0	75	100
हरदा	0	0	100	0	100
होशंगाबाद	33	0	34	33	100
बैतूल	0	0	25	75	100
ग्वालियर	0	0	25	75	100
राज्य	**9**	**7**	**33**	**51**	**100**

तालिका: 51.4(ब) विद्यार्थियों की जातिवार स्थिति					
जिला	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अ. पि.वर्ग.	सामान्य	कुल
श्योपुर	14	29	7	50	100
शहडोल	0	71	7	21	100
धार	0	93	7	0	100
खरगोन	7	7	64	21	100
मंडला	0	86	14	0	100
मंदसौर	0	0	50	50	100
सीधी	0	7	7	87	100
सिवनी	13	56	19	13	100
रायसेन	7	14	71	7	100
टिकमगढ़	8	0	38	54	100
हरदा	29	14	36	21	100
छतरपुर	7	0	57	36	100
देवास	33	7	27	33	100
ग्वालियर	36	0	50	14	100
राज्य	**11**	**28**	**32**	**29**	**100**

कुल
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5.1.5 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की आयुवार जानकारी

तालिका: 5.1.5(अ) मेंटर्स की आयु स्थिति

जिला	जवाब नहीं दिये	21–30 वर्ष	31–40 वर्ष	43–50 वर्ष	54 वर्ष से अधिक	
श्योपुर	0	25	25	25	25	100
शहडोल	25	25	25	25	0	100
धार	0	0	100	0	0	100
खरगोन	0	50	25	0	25	100
मंडला	0	0	50	25	25	100
मदसौर	0	25	75	0	0	100
सीधी	0	50	50	0	0	100
सिवनी	0	0	100	0	0	100
रायसेन	0	25	25	25	25	100
टिकमगढ़	0	25	50	25	0	100
हरदा	0	50	25	25	0	100
छतरपुर	0	20	80	0	0	100
देवास	0	25	75	0	0	100
ग्वालियर	0	0	100	0	0	100
राज्य	**2**	**23**	**58**	**10**	**7**	**100**

तालिका: 5.1.5(ब) विद्यार्थियों की आयु स्थिति

जिला	19–30 वर्ष	31–40 वर्ष	41–50 वर्ष	51 वर्ष से अधिक	कुल
श्योपुर	100	0	0	0	100
शहडोल	79	21	0	0	100
धार	64	36	0	0	100
खरगोन	29	71	0	0	100
मंडला	71	29	0	0	100
मंदसौर	71	29	0	0	100
सीधी	86	14	0	0	100
सिवनी	81	19	0	0	100
राजगढ़	93	7	0	0	100
टिकमगढ़	86	14	0	0	100
हरदा	57	43	0	0	100
छतरपुर	71	29	0	0	100
देवास	87	13	0	0	100
ग्वालियर	36	36	29	0	100
राज्य	**72**	**26**	**2**	**0**	**100**

5.1.6 मेन्टर्स एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति

तालिका: 5.1.6(अ) मेंटर की शैक्षिक स्थिति

जिला	स्नातक	स्नातकोत्तर	पी.एच.डी.	जवाब नहीं	कुल
श्योपुर	0	100	0	0	100
शहडोल	0	50	50	0	100
धार	0	100	0	0	100
खरगोन	0	50	50	0	100
रतलाम	0	75	25	0	100
मंदसौर	0	50	25	25	100
सीधी	0	100	0	0	100
सिवनी	0	100	0	0	100
रायसेन	0	100	0	0	100
टिकमगढ़	0	100	0	0	100
हरदा	25	75	0	0	100
छतरपुर	0	100	0	0	100
देवास	0	100	0	0	100
ग्वालियर	0	100	0	0	100
राज्य	2	86	10	2	100

तालिका: 5.1.6(ब) विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति					
जिला	स्नातक	स्नातकोत्तर	पी.एच.डी.	जवाब नहीं	कुल
श्योपुर	36	7	7	50	100
शहडोल	7	0	0	93	100
धार	0	0	0	100	100
खरगोन	29	29	0	43	100
मंडला	57	0	0	43	100
मंदसौर	64	7	0	29	100
सीधी	86	0	0	14	100
सिवनी	71	6	0	24	100
रायसेन	25	19	0	56	100
टीकमगढ़	47	0	0	53	100
हरदा	14	36	0	50	100
छतरपुर	50	14	0	36	100
देवास	80	7	0	13	100
ग्वालियर	29	7	0	64	100
राज्य	43	9	1	47	100

5.2 मेन्टर्स चुने जाने हेतु अपनाई चयन प्रकिया संबंधी जानकारी

5.2.1(अ) किसके द्वारा चुना गया

तालिका: 5.2.1(अ) किसके द्वारा चुना गया

जिला	जिला कलेक्टर	जन अभियान	चयन समिति द्वारा	जबाब नहीं दिये	कुल
श्योपुर	0	25	25	50	100
शहडोल	0	25	75	0	100
धार	0	0	100	0	100
खरगोन	0	100	0	0	100
मंडला	0	100	0	0	100
मंदसौर	0	25	50	25	100
सीधी	0	100	0	0	100
सिवनी	0	100	0	0	100
रायसेन	25	75	0	0	100
टिकमगढ़	0	0	100	0	100
हरदा	0	100	0	0	100
छतरपुर	0	100	0	0	100
देवास	0	0	100	0	100
ग्वालियर	0	100	0	0	100
राज्य	**2**	**61**	**32**	**5**	**100**

(ब) चयन प्रक्रिया

तालिका: 5.2.1(ब) मेन्टर्स के अनुसार चयन प्रक्रिया					
जिला	पता नही	जिला कलेक्टर	जन अभियान परिषद	चयन समिति द्वारा	कुल
श्योपुर	50	0	25	25	100
शहडोल	0	0	25	75	100
धार	0	0	0	100	100
खरगोन	0	0	100	0	100
मंडला	0	0	100	0	100
मंदसौर	25	0	25	50	100
सीधी	0	0	100	0	100
सिवनी	0	0	100	0	100
रायसेन	0	25	75	0	100
टिकमगढ़	0	0	0	100	100
हरदा	0	0	100	0	100
छतरपुर	0	0	100	0	100
देवास	0	0	0	100	100
ग्वालियर	0	0	100	0	100
राज्य	**5**	**2**	**61**	**32**	**100**

(स) विज्ञापन उपरान्त चयन हेतु अपनाई प्रकिया एवं मेन्टर्स का अनुभव

तालिका: 5.2.1(अ) विज्ञापन उपरान्त अपनाई प्रकिया

जिला	चर्चा द्वारा	मेरिट एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर	इंटरव्यू के आधार पर	अनुभव के आधार पर	बिना मानदेय के आधार पर	कुल
श्योपुर	0	0	100	0	0	100
शहडोल	66	33	33	16	0	100
धार	0	33	33	33	0	100
खरगोन	0	0	100	0	0	100
मंडला	0	0	75	25	0	100
मंदसौर	0	0	100	0	0	100
सीधी	0	40	60	0	0	100
शिवपुरी	0	0	100	0	0	100
रायसेन	0	40	40	20	0	100
दिग्विजयगढ़	15	30	30	23	0	100
रीवा	0	50	50	0	0	100
छतरपुर	0	33	33	33	0	100
सतना	0	100	0	0	0	100
ग्वालियर	10	30	30	30	0	100
राज्य	**6**	**31**	**43**	**19**	**1**	**100**

तालिका 5.2.1(ब) मेन्टर्स के अनुभव क्षेत्र							
जिला	एन.जी.ओ	महिला शक्तिकरण	शिक्षा के क्षेत्र	पोषण देखभाल	सामजिक कार्य	स्वास्थ्य देखभाल	कुल
श्योपुर	0	0	50	0	50	0	100
शहडोल	0	0	100	0	0	0	100
धार	0	0	100	0	0	0	100
खरगोन	33	0	67	0	0	0	100
मंडला	33	0	67	0	0	0	100
मंदसौर	0	0	33.5	0	33.5	33	100
सीधी	0	0	50	0	50	0	100
सिवनी	0	0	100	0	0	0	100
रायसेन	0	66	33	0	0	0	100
टीकमगढ़	50	0	50	0	0	0	100
हरदा	0	50	0	50	0	0	100
छतरपुर	0	0	12.5	25	12.5	50	100
देवास	0	0	33.5	0	66.5	0	100
ग्वालियर	0	0	0	0	100	0	100
राज्य	7	7	44	7	22	12	100

5.3 मेन्टर्स के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी

5.3.1 प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण के विषय की स्थिति

तालिका: 5.3.1(अ) प्रशिक्षण अवधि (दिनों में)

जिला	1–5	6–10	11–15	16–20	कुल
श्योपुर	25	25	0	50	100
शहडोल	0	100	0	0	100
धार	0	50	0	50	100
खरगोन	50	50	0	0	100
मंडला	0	75	0	25	100
मंदसौर	67	33	0	0	100
सीधी	50	50	0	0	100
सिवनी	0	100	0	0	100
रायसेन	75	0	25	0	100
टीकमगढ़	100	0	0	0	100
हरदा	100	0	0	0	100
छतरपुर	100	0	0	0	100
देवास	100	0	0	0	100
ग्वालियर	100	0	0	0	100
राज्य	54	35	2	9	100

5.3.2 प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं प्रशिक्षण स्थल संबंधी जानकारी (बहुविकल्पीय)

तालिका: 5.3.2(ब) प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम

जिला	मां गौरैया प्रस्फुटन समिति लुगासी	म.प्र.जन अभियान परिषद्	साक्षर भारत मिशन	महात्मा गाँधी ग्राम उदय चित्रकूट	यूनीरसेप फीडबैक संस्था	कुल
श्रृंगापुर	0	50	0	50	0	100
शहडोल	0	0	0	100	0	100
धार	0	0	0	100	0	100
खरगोन	0	67	0	33	0	100
भिंड	0	0	0	100	0	100
मंदसौर	0	75	0	0	0	100
सीधी	0	0	60	0	40	100
सिवनी	0	25	0	75	0	100
रायसेन	0	80	0	0	0	100
टिकमगढ़	0	100	0	0	0	100
हरदा	0	100	0	0	0	100
छतरपुर	40	60	0	0	0	100
दतिया	0	100	0	0	0	100
ग्वालियर	0	100	0	0	0	100
राज्य	**4**	**59**	**5**	**29**	**3**	**100**

5.3.3 मैन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता (बहुविकल्पीय)

तालिका: 5.3.3 मेन्टर का कार्य करने में प्रशिक्षण की उपयोगिता

जिला	कोर्स के उद्देश्य को समझने में	मेन्टर की भूमिका को समझने में	विषय–वस्तु के संप्रेषण की प्रक्रिया समझने में	कोई उपादेयता नहीं है	कुल
श्योपुर	40	20	40	0	100
शहडोल	33	17	50	0	100
धार	33	33	33	0	100
खरगोन	44	33	22	0	100
झाबुआ	22	44	33	0	100
मंदसौर	60	40	0	0	100
सीधी	60	20	20	0	100
सिवनी	33	33	33	0	100
रायसेन	36	36	27	0	100
टिकमगढ़	33	33	33	0	100
हरदा	29	29	43	0	100
छतरपुर	27	45	27	0	100
देवास	25	50	25	0	100
ग्वालियर	33	33	33	0	100
राज्य	75	75	67	0	100

5.4 मेन्टर्स कार्य के मूल्यांकन, मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने एवं गतिविधि कराने संबंधी जानकारी

5.4.1 मेन्टर के कार्य का मूल्यांकन

तालिका: 5.4.1(अ) मूल्यांकन होने की स्थिति

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	100	0	100
शहडोल	100	0	100
धार	100	0	100
खरगोन	100	0	100
मंडला	100	0	100
मंदसौर	100	0	100
सीधी	100	0	100
सिवनी	100	0	100
रायसेन	50	50	100
टिकमगढ	100	0	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	100	0	100
देवास	100	0	100
ग्वालियर	100	0	100
राज्य	**96**	**4**	**100**

तालिका: 5.4.1(ब) मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है (बहुविकल्पीय)					
जिला	विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा	राज्य स्तरीय गठित समिति द्वारा	जन अभियान परिषद् के प्रतिनिधियों द्वारा	छात्रों द्वारा	स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा
श्योपुर	0	33	67	0	0
शहडोल	20	20	40	0	20
धार	50	0	50	0	0
खरगोन	14	29	57	0	0
मंडला	0	0	67	0	33
मंदसौर	0	0	67	0	33
सीधी	0	0	57	43	0
सिवनी	33	0	33	0	33
रायसेन	0	0	100	0	0
टिकमगढ़	0	33	50	0	17
हरदा	0	0	100	0	0
छतरपुर	0	0	63	0	38
देवास	0	29	57	0	14
ग्वालियर	0	20	80	0	0
राज्य	**20**	**20**	**100**	**5**	**27**

5.4.2 मेन्टर द्वारा पढ़ाने / गतिविधि कराने के तरीके

(अ) कक्षा में पढ़ाने के तरीके (बहुविकल्पीय)

तालिका: 5.4.2(अ) मेन्टर्स द्वारा पढ़ाने का तरीका

जिला	व्याख्यान पद्धति से	आडियो–वीडियो के माध्यम से	ई–व्याख्यान के माध्यम से	कुल
श्योपुर	67	33	0	100
शहडोल	33	33	33	100
धार	100	0	0	100
खरगोन	50	25	25	100
मंडला	50	25	25	100
इंदौर	100	0	0	100
रीवा	67	33	0	100
सिंगरौली	57	43	0	100
सतना	57	43	0	100
टीकमगढ़	50	25	25	100
हरदा	80	20	0	100
झाबुआ	45	27	27	100
देवास	80	20	0	100
ग्वालियर	100	0	0	100
राज्य	**19**	**40**	**100**	**100**

5.6 विद्यार्थियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

5.6.1(अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण

तालिका: 5.6.1(अ) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कारण

जिला	विभाग की ओर से नामांकित किया गया	स्वयं की इच्छा से प्रवेश लिया	कुल
श्योपुर	7	93	100
शहडोल	0	100	100
धार	0	100	100
खरगोन	36	64	100
मंडला	50	50	100
गदरौर	7	93	100
सीधी	43	57	100
सिवनी	0	100	100
रायसेन	29	71	100
टीकमगढ़	0	100	100
हरदा	0	100	100
छतरपुर	43	57	100
देवास	0	100	100
ग्वालियर	71	29	100
राज्य	20	80	100

5.6.1(ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति

तालिका: 5.6.1(ब) विद्यार्थियों की वर्तमान प्रस्थिति

जिला	आँगनवाड़ी कार्यकर्ता	जनप्रतिनिधि	नवांकुर प्रमुख	नवांकुर कार्यकर्ता	प्रस्फुटन प्रमुख	प्रस्फुटन कार्यकर्ता	सामान्य नागरिक	कुल
श्योपुर	0	0	0	0	7	7	86	100
शहडोल	0	8	0	0	0	0	92	100
धार	0	0	20	7	13	20	40	100
खरगोन	7	0	0	0	0	14	79	100
मंडला	0	0	0	0	14	0	86	100
मंदसौर	0	0	0	7	13	7	73	100
सीधी	0	0	0	0	21	43	36	100
सिवनी	0	0	0	6	0	44	50	100
रायसेन	0	0	0	0	0	43	57	100
टिकमगढ़	0	0	0	0	29	14	57	100
हरदा	7	7	0	0	14	36	36	100
छतरपुर	0	0	0	0	36	7	57	100
देवास	0	0	0	0	0	20	80	100
ग्वालियर	0	0	0	0	71	0	29	100
राज्य	**1**	**1**	**2**	**2**	**16**	**19**	**61**	**100**

5.6.1(स) विद्यार्थियों द्वारा अटैण्ड की गई कक्षाओं की संख्या

तालिका: 5.6.1(अ) विद्यार्थियों द्वारा अटेण्ड की गई

जिला	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	कुल
श्योपुर	0	0	7	57	36	100
शहडोल	0	0	0	100	0	100
धार	0	0	0	100	0	100
खरगोन	29	7	0	21	36	100
मंडला	0	0	0	0	100	100
मंदसौर	86	14	0	0	0	100
सीधी	0	0	14	86	0	100
सिवनी	38	0	0	13	50	100
रायसेन	43	0	0	0	57	100
टिकमगढ़	29	0	0	0	71	100
हरदा	50	0	0	36	14	100
उत्तरप्र	100	0	0	0	0	100
दमोह	100	0	0	0	0	100
ग्वालियर	14	0	0	57	29	100
राज्य	36	1	2	34	29	100

5.7 पाठ्यक्रम एवं अध्ययन केन्द्र के बारे में जानकारी

5.7.1 पाठ्यक्रम के विषयों के बारे में विद्यार्थियों की जानकारी का स्तर

तालिका: 5.7.1 मॉड्यूल के भागों की जानकारी

जिला	विकास की समस्याएं एवं मुद्दे	नेतृत्व विकास	संचार और विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा	क्षेत्रीय कार्य	कुल
श्योपुर	30	32	16	22	100
शहडोल	25	25	25	25	100
धार	25	25	25	25	100
खरगोन	28	30	26	17	100
मंडला	37	37	20	7	100
मंदसौर	40	27	27	7	100
सीधी	27	19	35	19	100
सिवनी	26	35	39	0	100
रायसेन	22	36	25	17	100
टीकमगढ़	24	25	25	25	100
छतरपुर	32	21	21	26	100
छतरपुर	25	30	23	23	100
देवास	17	26	30	26	100
ग्वालियर	21	29	21	29	100
राज्य	**70**	**75**	**66**	**54**	**100**

5.7.2 संपर्क कक्षाओं में पढ़ाए जाने का तरीका (बहुविकल्पीय)

तालिका: 5.7.2 संपर्क कक्षाओं में पढ़ाए जाने का तरीका

जिला	व्याख्यान द्वारा	व्याख्यान एवं आडियो–विजुअल सामग्री उपयोग के माध्यम से	ई–व्याख्यान द्वारा	वास्तविक गतिविधियों के माध्यम से कार्य कराकर	कुल
श्योपुर	85	15	0	0	100
शहडोल	41	41	18	0	100
धार	39	19	19	22	100
खरगोन	48	3	28	21	100
मंडला	29	17	34	20	100
मंदसौर	74	0	0	26	100
सीधी	54	8	8	31	100
सिवनी	80	15	5	0	100
रायसेन	73	0	0	27	100
टिकमगढ़	52	0	0	48	100
हरदा	64	21	0	14	100
छतरपुर	93	0	0	7	100
देवास	59	0	0	41	100
ग्वालियर	54	0	0	46	100
राज्य	**88**	**19**	**18**	**36**	**100**

5.7.4 मेन्टर्स द्वारा दिये गये मार्गदर्शन का आंकलन

तालिका: 5.7.4 परामर्शदाताओं का आंकलन

जिला	औसत से कम	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	कुल
श्योपुर	0	7	53	40	0	100
शहडोल	0	0	43	36	21	100
धार	0	0	50	50	0	100
खरगोन	0	14	21	36	29	100
मंडला	0	0	50	0	50	100
मंदसौर	0	0	64	14	21	100
सीधी	0	20	27	53	0	100
सिवनी	0	13	13	38	38	100
रायसेन	0	0	71	21	7	100
टिकमगढ़	0	0	29	50	21	100
हरदा	0	7	7	36	50	100
छतरपुर	57	36	7	0	0	100
देवास	0	0	53	33	13	100
ग्वालियर	0	14	86	0	0	100
राज्य	**4**	**8**	**41**	**29**	**18**	**100**

5.7.5 अध्ययन केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं उनके स्तर के बारे में जानकारी

तालिका: 5.7.5(1) सेन्टर में बैठने की व्यवस्थाएं

जिला	औसत से कम	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	कुल
श्योपुर	0	7	64	29	0	100
शहडोल	8	15	31	31	15	100
धार	0	0	50	50	0	100
खरगोन	0	7	43	29	21	100
मंडला	0	50	0	50	0	100
मंदसौर	0	0	71	29	0	100
सीधी	27	27	47	0	0	100
सिवनी	0	13	13	50	25	100
रायसेन	0	0	57	43	0	100
टिकमगढ़	0	0	43	50	7	100
हरदा	7	14	57	7	14	100
छतरपुर	50	50	0	0	0	100
देवास	0	20	33	47	0	100
ग्वालियर	36	7	43	14	0	100
राज्य	9	15	39	31	6	100

तालिका: 5.7.5(2) पीने के पानी की व्यवस्था

जिला	औसत से कम	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	कुल
श्योपुर	7	0	43	50	0	100
शहडोल	0	29	29	36	7	100
धार	0	0	100	0	0	100
खरगोन	0	0	36	36	29	100
मंडला	50	0	0	50	0	100
मंदसौर	0	0	57	21	21	100
सीधी	38	8	0	54	0	100
सिवनी	0	0	19	13	69	100
रायसेन	7	0	57	36	0	100
टिकमगढ	0	0	50	29	21	100
हरदा	7	21	36	36	0	100
छतरपुर	57	43	0	0	0	100
देवास	13	20	20	47	0	100
ग्वालियर	7	64	0	29	0	100
राज्य	13	13	32	31	11	100

तालिका: 5.7.5(3) कक्ष में पंखे एवं लाइट की व्यवस्था

जिला	औसत से कम	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	कुल
श्योपुर	0	50	43	7	0	100
शहडोल	0	31	23	38	8	100
धार	0	0	50	50	0	100
खरगोन	0	21	21	36	21	100
मंडला	0	50	0	50	0	100
मंदसौर	0	0	62	15	23	100
सीधी	50	0	14	36	0	100
सिवनी	0	0	0	44	56	100
रायसेन	29	29	29	7	7	100
टिकमगढ़	0	0	0	71	29	100
हरदा	7	21	50	21	0	100
छतरपुर	50	0	50	0	0	100
देवास	13	20	13	53	0	100
ग्वालियर	0	64	0	36	0	100
राज्य	**11**	**20**	**25**	**33**	**11**	**100**

तालिका: 5.7.5(4) प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर एवं नेटवर्क की स्थिति						
जिला	औसत से कम	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	जवाब नहीं दिये	कुल
श्योपुर	79	21	0	0	0	100
शहडोल	0	29	29	29	14	100
धार	50	0	50	0	0	100
खरगोन	0	21	36	29	14	100
मंडला	50	0	0	0	50	100
मंदसौर	43	21	29	0	0	100
सीधी	64	36	0	0	0	100
सिवनी	0	44	25	19	13	100
रायसेन	71	21	7	0	0	100
टिकमगढ़	21	0	0	0	0	100
हरदा	71	7	21	0	0	100
छतरपुर	100	0	0	0	0	100
देवास	47	40	13	0	0	100
ग्वालियर	0	100	0	0	0	100
राज्य	**42**	**25**	**15**	**6**	**7**	**100**

तालिका: 5.7.5(6) शौचालय एवं उसमें पानी की व्यवस्था

जिला	औसत से कम	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	कुल
श्योपुर	79	14	7	0	0	100
शहडोल	0	29	29	36	7	100
धार	0	0	100	0	0	100
खरगोन	0	21	36	21	21	100
मंडला	50	0	0	50	0	100
मंदसौर	0	0	77	8	15	100
सीधी	50	0	50	0	0	100
सिवनी	0	19	31	6	44	100
रायसेन	0	14	71	7	7	100
टिकमगढ़	0	0	38	38	23	100
हरदा	7	21	57	14	0	100
छतरपुर	50	50	0	0	0	100
देवास	33	13	53	0	0	100
ग्वालियर	0	14	86	0	0	100
राज्य	**19**	**14**	**45**	**13**	**9**	**100**

तालिका: 5.7.5(6) सेन्टर पर पुस्तकालय की सुविधा है				
जिला	हाँ	नहीं	जवाब नहीं दिये	कुल
श्योपुर	0	100	0	100
शहडोल	50	50	0	100
धार	100	0	0	100
खरगोन	100	0	0	100
मंडला	100	0	0	100
मंदसौर	0	100	0	100
सीधी	0	100	0	100
सिवनी	44	56	0	100
रायसेन	79	21	0	100
टिकमगढ़	0	100	0	100
हरदा	0	50	50	100
छतरपुर	0	100	0	100
देवास	40	60	0	100
ग्वालियर	0	100	0	100
राज्य	37	60	3	100

5.7.6 विद्यार्थियों के सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति

तालिका: 5.7.6 सोशल साइट्स पर समूह बने होने की स्थिति

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	50	50	100
शहडोल	50	50	100
धार	100	0	100
खरगोन	71	29	100
[illegible]	100	0	100
मंदसौर	14	86	100
सीधी	79	21	100
सिवनी	38	63	100
रायसेन	50	50	100
टिकमगढ़	71	29	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	0	100	100
देवास	87	13	100
ग्वालियर	50	50	100
राज्य	61	39	100

5.8 विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र कार्य के बारे में जानकारी

5.8.1 क्षेत्र कार्य करने एवं उसके बारे में कक्षा में बताये जाने की स्थिति

तालिका: 5.8.1(अ) विद्यार्थियों द्वारा क्षेत्र कार्य किये जाने की स्थिति

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	93	7	100
शहडोल	50	50	100
धार	100	0	100
खरगोन	100	0	100
मंडला	100	0	100
मंदसौर	79	21	100
रीवा	100	0	100
सिवनी	81	19	100
रायसेन	100	0	100
टिकमगढ़	100	0	100
हरदा	50	50	100
भारपुर	7	93	100
देवास	67	33	100
ग्वालियर	64	36	100
राज्य	78	22	100

तालिका: 5.8.2(ब) क्षेत्र कार्य के बारे में संपर्क कक्षाओं में बताये जाने की स्थिति

जिला	हाँ	नहीं	जवाब नहीं दिये	कुल
श्योपुर	93	7	0	100
शहडोल	7	0	93	100
धार	100	0	0	100
खरगोन	100	0	0	100
मंडला	100	0	0	100
मंदसौर	79	21	0	100
सीधी	100	0	0	100
सिवनी	81	0	19	100
रायसेन	100	0	0	100
टिकमगढ़	100	0	0	100
हरदा	50	50	0	100
छतरपुर	50	50	0	100
देवास	64	36	0	100
ग्वालियर	86	14	0	100
राज्य	79	13	8	100

5.8.3 विद्यार्थियों द्वारा किये गये क्षेत्र कार्य के मूल्यांकन की स्थिति

तालिका: 5.8.3(अ) मूल्यांकन किये जाने की स्थिति

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	100	0	100
शहडोल	100	0	100
धार	100	0	100
खरगोन	100	0	100
पंडला	100	0	100
मंदसौर	71	29	100
सीधी	100	0	100
सिवनी	81	19	100
रायसेन	100	0	100
टिकमगढ़	79	21	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	50	50	100
देवास	100	0	100
ग्वालियर	86	14	100
राज्य	90	10	100

5.8.5 पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं इसके कारण

तालिका: 5.8.5(अ) कार्स के उपयोगी होने के संबंध में अभिमत

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	100	0	100
शहडोल	100	0	100
धार	100	0	100
खरगोन	100	0	100
मंडला	100	0	100
मंदसौर	79	21	100
सीधी	100	0	100
सिवनी	100	0	100
रायसेन	100	0	100
टिकमगढ़	100	0	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	86	14	100
देवास	100	0	100
ग्वालियर	86	14	100
राज्य	96	4	100

5.8.6 कोर्स को आगे तक जारी रखने की स्थिति

तालिका: 5.8.6(अ) कोर्स में अध्ययन जारी रखे जाने की स्थिति

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	100	0	100
शहडोल	100	0	100
धार	100	0	100
खरगोन	100	0	100
गरुला	100	0	100
मंदसौर	86	14	100
सीधी	100	0	100
रीवनी	81	19	100
रायसेन	100	0	100
टिकमगढ़	100	0	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	100	0	100
देवास	100	0	100
ग्वालियर	86	14	100
राज्य	96	4	100

तालिका: 5.8.6(ब) कोर्स के अध्ययन का मूल्यांकन किये जाने की स्थिति

जिला	कोर्स बहुत उपयोगी है	विभागीय आदेश की बाध्यता	जवाब नहीं दिये	कुल
श्योपुर	100	0	0	100
शहडोल	100	0	0	100
धार	50	0	50	100
खरगोन	100	0	0	100
मंडला	100	0	0	100
मंदसौर	100	0	0	100
सीधी	100	0	0	100
सिवनी	100	0	0	100
रायसेन	100	0	0	100
टिकमगढ़	100	0	0	100
हरदा	93	7	0	100
छतरपुर	86	14	0	100
देवास	100	0	0	100
ग्वालियर	100	0	0	100
राज्य	95	1	4	100

5.8.7 संपर्क कक्षाओं के दिन एवं समय के संबंध में अभिमत

तालिका: 5.8.7(अ) संपर्क कक्षाओं के बारे में अभिमत

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	100	0	100
शहडोल	100	0	100
धार	100	0	100
खरगोन	93	7	100
मंडला	100	0	100
मंदसौर	86	14	100
सीधी	100	0	100
शिवनी	100	0	100
रायसेन	100	0	100
टिकमगढ़	100	0	100
हरदा	100	0	100
छतरपुर	100	0	100
देवास	100	0	100
ग्वालियर	86	14	100
राज्य	97	3	100

5.9 अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार/सुधार हेतु सुझाव की जानकारी

5.9.1 अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की स्थिति हेतु सुझाव

तालिका: 5.9.1(अ) अध्ययन केन्द्र में सुधार की आवश्यकता

जिला	हाँ	नहीं	कुल
श्योपुर	43	57	100
शहडोल	0	100	100
धार	0	100	100
खरगोन	57	43	100
मंडला	50	50	100
मंदसौर	43	57	100
सीधी	64	36	100
सिवनी	7	93	100
रायसेन	57	43	100
टिकमगढ़	21	79	100
हरदा	21	79	100
छतरपुर	50	50	100
देवास	47	53	100
ग्वालियर	50	50	100
राज्य	37	63	100